"निरौपचारिक शिक्षा के सामाजिक परिवर्तन में योगदान का आलोचनात्मक अध्ययन"

"A critical study of the contribution of non-formal education for social change"

बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी (उ.प्र.)

की

पी-एच0डी0 उपाधि (शिक्षा शास्त्र)

हेतु प्रस्तुत

शोध-प्रबन्ध

2004

निर्देशक :
डॉ० डी०एस० दुबे

सेवानिवृत
रीडर एवं विभागाध्यक्ष बी.एड. विभाग
बुन्देलखण्ड कालेज, झाँसी (उ.प्र.)

वर्तमान में,

प्राचार्य
सर्वधर्म शिक्षा महाविद्यालय
ग्वालियर (म.प्र.)

अन्वेषक
रूद्र प्रताप यादव
(एम.ए., एम.एड.)
सहा. प्रवक्ता
बिपिन बिहारी इण्टर कॉलेज,
झाँसी (उ.प्र.)
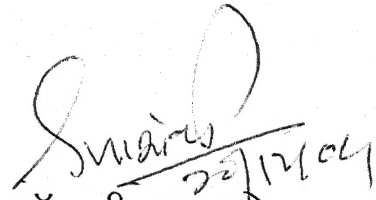
प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि *"श्री रुद्र प्रताप यादव"* ने बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी द्वारा शिक्षा शास्त्र विषय पर स्वीकृत *"निरौपचारिक शिक्षा के सामाजिक परिवर्तन में योगदान का आलोचनात्मक अध्ययन"* शीर्षक पर मेरे निर्देशन में परिश्रम, लगन एवं अध्यवसाय से प्रस्तुत शोध प्रबन्ध पूर्ण किया है। यह इनका मौलिक प्रयास है। इसकी विषय सामग्री सम्पूर्ण या आंशिक रूप से किसी अन्य परीक्षा के लिये प्रयोग नही की गई है।

यह शोध प्रबन्ध बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी की पी-एच०डी० परीक्षा की नियमावली के सभी उपबंधों की पूर्ति करता है। मैं संस्तुति करता हूँ कि इसे मूल्यांकन हेतु विश्वविद्यालय में प्रस्तुत किया जाये।

20/12/04
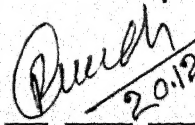
डॉ० डी०एस०दुबे
सेवा निवृत
रीडर एवं विभागाध्यक्ष बी.एड. विभाग
बुन्देलखण्ड कालेज, झाँसी
वर्तमान में -
प्राचार्य
सर्वधर्म शिक्षा महाविद्यालय,
ग्वालियर (म०प्र०)

दिनांक 20/12/04

घोषणा पत्र

मैं यह प्रमाणित करता हूँ कि निम्नलिखित विषय शोध प्रबन्ध डॉ० डी०एस० दुबे सेवा निवृत, रीडर एवं विभागाध्यक्ष, बी.एड. विभाग, बुन्देलखण्ड कालेज, झाँसी के निर्देशन में पूर्ण किया है। यह मेरी मौलिक कृति है तथा इस परीक्षा के पूर्व किसी अन्य परीक्षा अथवा किसी अन्य विश्वविद्यालय में आंशिक या पूर्ण रूपेण किन्हीं अन्य उद्देश्यो की पूर्ति हेतु प्रयुक्त नहीं की गई है।

"निरौपचारिक शिक्षा के सामाजिक परिवर्तन में योगदान का आलोचनात्मक अध्ययन"

दिनांक- 20.12.2004

20.12.2004

श्री रूद्र प्रताप यादव

(अन्वेषक)

सहा. प्रवक्ता

बिपिन बिहारी इण्टर कॉलेज,

झाँसी (उ.प्र.)

कृतज्ञता प्रकाशन

"न मनुष्यात् श्रेष्ठतरं हि किंचिंत" महर्षि वेदव्यास के कथन के अनुसार मनुष्य को सृष्टि में सर्वोच्च स्थान प्राप्त है; किन्तु उस कोटि तक पहुँचने के लिये संस्कृति और सामाजीकरण द्वारा उत्पन्न किये गये परिवर्तन से ही सम्भव है; क्योंकि जीवन के स्वीकृत तरीकों में होने वाला परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन है।

मनुष्य की सभ्यता के विकास से ही समाजोत्थान और सामाजिक परिवर्तन के लिये शिक्षा को ही आवश्यक उपकरण माना गया है।

शिक्षा के क्षेत्र में निरौपचारिक शिक्षा द्वारा सामाजिक परिवर्तन विषयक उपलब्धि पर अपनी जिज्ञासा को मैंने डॉ. डी.एस. दुबे जी से व्यक्त किया जिस पर डॉ. दुबे ने प्रस्तुत शोध समस्या सुझायी और शोध विषय निरूपित कर उसमें अग्रसर होने हेतु मार्ग दर्शन दिया।

प्रस्तुत शोध प्रबन्ध के चयन से लेकर उसकी समाप्ति तक श्रद्धेय गुरूवर डॉ. डी. एस. दुबे जी से पितृ तुल्य सहानुभूति एवं विद्वता पूर्ण निर्देशन प्राप्त हुआ, उससे मैं उऋण नहीं हो सकता और उसके लिये कृतज्ञता ज्ञापन मात्र औपचारिकता ही होगी। अन्वेषक उनकी विद्वता, अनुभव और गुरूगरिमा के आगे श्रद्धावनत् है।

प्रस्तुत शोध प्रबन्ध के सैद्धान्तिक व प्रायोगिक साहित्य के अध्ययन एवं संकलन की दिशा में भोपाल विश्वविद्यालय भोपाल, जीवाजी विश्वविद्यालय पुस्तकालय, ग्वालियर, उपसंचालक शिक्षा मण्डल, टीकमगढ़, महाविद्यालय दतिया पुस्तकालय प्रभारी श्री नरेन्द्र यादव का आभारी हूँ।

मुझे हर्ष है कि मैं इस शोध प्रबन्ध को पूर्ण करके अपने पूज्य पिताश्री लक्ष्मण प्रसाद यादव (प्रधानाध्यापक) एवं माताजी श्रीमती विद्या यादव जी की आज्ञा का पालन कर सका, जो बहुत वर्षो से मेरे मन में यह प्रेरणा जगाते रहे। उनके आर्शीवाद से ही यह गुरूतर दायित्व को मैं पूर्ण कर सका। उसके लिये मैं उनके चरणों में श्रद्धावनत् हूँ।

शोध कार्य में मेरे पिता तुल्य श्री करण सिंह यादव (प्रधानाचार्य) नेहरू इण्टर कालेज, महोबा तथा मेरी धर्म-पत्नी श्रीमती सावित्री यादव एवं अनुज डॉ. श्रवण प्रताप सिंह यादव से निरन्तर सहयोग व प्रोत्साहन मिलता रहा। इस कार्य को पूर्ण करने हेतु ये सदैव मेरा मनोबल बढ़ाते रहे जिसके लिये मैं आभारी हूँ।

शोध कार्य में अनेक विद्वानों एवं शिक्षा शास्त्रियों के विचारों की सहायता ली गयी है। अन्वेषक उन सभी विद्वानों एवं प्रकाशकों के प्रति आभारी है। जिनके श्रम बिन्दु से चिंतित, सुप्रभात रूपी सुसमय में सुविकसित प्रस्तुत शोध प्रबन्ध रूपी श्रद्धा सुमन सादर समर्पित है।

अन्त में, मैं श्री मनोज वर्मा का बहुत आभारी हूँ जिन्होंने समय से मेरी इस समस्त सामग्री को लिखित रूप दिया।

20.12.2004

श्री रूद्र प्रताप यादव

(अन्वेषक)

अनुक्रमणिका

अध्याय	विषयवस्तु	पृष्ठ संख्या
	विषय परिचय	**1-5**
प्रथम अध्याय :	शोध की परिचयात्मक भूमिका	**6-21**
	1. विषय चयन : आवश्यकता एवं उद्देश्य	
	2. शोध समस्या के अध्ययन हेतु क्षेत्र का चयन, विवरण एवं परिसीमन	
	3. परिकल्पना	
	4. अध्ययन विधियां - न्यादर्श, सांख्यिकीय परिगणन, आंकड़ों का संकलन	
	5. विषय के अध्ययन में सैद्धांतिक एवं शास्त्रीय कठिनाइयां	
	6. शोध अध्ययन का संक्षिप्त विवरण	
द्वितीय अध्याय :	पूर्व शोध साहित्य समीक्षा	**22-41**
	1. एम०एड० स्तर पर शोध साहित्य	
	2. प्रोजेक्ट रिपोर्ट समीक्षा	
	3. पी-एच०डी० शोध साहित्य समीक्षा	

अध्याय	विषयवस्तु	पृष्ठ संख्या

तृतीय अध्याय : प्राथमिक शिक्षा का लोकव्यापीकरण **42-61**

1. शिक्षा के लोकव्यापीकरण की आवश्यकता
2. प्राथमिक स्तर की शिक्षा के लोकव्यापीकरण में कठिनाईयां
3. नई शिक्षा नीति में प्राथमिक शिक्षा का लोकव्यापीकरण
4. प्राथमिक शिक्षा के लोकव्यापीकरण के मुख्य उद्देश्य
5. प्राथमिक शिक्षा के लोकव्यापीकरण हेतु अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग - यूनीसेफ परियोजनाएं
6. म०प्र० में प्राथमिक शिक्षा के लोकव्यापीकरण में नवाचार -

   i - पढ़ो कमाओ योजना

   ii - पनघट योजना

   iii - नई पाठ्य पुस्तकें

   iv - शिक्षा गारंटी योजना

   v - महिला पढ़ना-बढ़ना आन्दोलन

   vi - हैडस्टार्ट कम्प्यूटर समर्पित शिक्षा कार्यक्रम

   vii - ग्राम शिक्षा विकास योजना

अध्याय	विषयवस्तु	पृष्ठ संख्या
चतुर्थ अध्याय :	निरौपचारिक शिक्षा-परिचय एवं विवेचन	**62-105**

1. शिक्षा का स्वरूप एवं प्रकार
2. निरौपचारिक शिक्षा की आवश्यकता
3. निरौपचारिक शिक्षा की आवधारणा
4. निरौपचारिक शिक्षा का अर्थ एवं महत्व
5. निरौपचारिक शिक्षा की परिभाषायें
6. निरौपचारिक शिक्षा के लक्ष्य
7. निरौपचारिक शिक्षा के उद्देश्य
8. निरौपचारिक शिक्षा के आयाम एवं कार्यक्रम
9. निरौपचारिक शिक्षा के निर्देश
10. निरौपचारिक शिक्षा की विशिष्टियाँ
11. निरौपचारिक शिक्षा के लक्षण
12. औपचारिक शिक्षा तथा निरौपचारिक शिक्षा में अन्तर
13. निरौपचारिक शिक्षा पाठ्यक्रम की संरचना (6-14 आयु वर्ग हेतु)
14. विज्ञान शिक्षण में निरौपचारिक शिक्षा की भूमिका
15. नई शिक्षा नीति और निरौपचारिक शिक्षा
16. निरौपचारिक शिक्षा के कार्यकर्ताओं के लिये प्रशिक्षण
17. म०प्र० में निरौपचारिक शिक्षा
18. म०प्र० में निरौपचारिक कार्यकर्ताओं के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रम
19. म०प्र० में निरौपचारिक शिक्षा में मनोरंजन और सांस्कृतिक क्रियाओं की भूमिका

अध्याय	विषयवस्तु	पृष्ठ संख्या

पंचम अध्याय : शोध तथ्यों का संकलन, गणना एवं विश्लेषण **106-177**

1. आवृति वितरण सारिणी क्र० 1-32
2. शिक्षार्थियों से संबंधित N, M, SD मान सारिणी क्र० 33
3. शिक्षार्थियों से संबंधित N_{Comb} M_{Comb} SD_{Comb} t मान
   सारिणी क्र० 34-40
4. स्तम्भ रेखाचित्र क्र० 1-16
5. परिकल्पना परीक्षण
6. शिक्षक, पालक, सरपंच / प्रतिष्ठित व्यक्तियों के अभिमत का काई वर्ग मान एवं प्रतिशत सारिणी क्र० 41, 43, 45, 47
7. काई वर्ग आधारित विश्लेषण सारिणी 42, 44, 46, 48
8. शिक्षक, पालक, सरपंच / प्रतिष्ठित व्यक्तियों से अतिरिक्त जानकारी वाले प्रश्नों के उत्तरों का विश्लेषण

षष्ठ अध्याय : शोध तथ्यों का संकलन, गणना एवं विश्लेषण **178-183**

1. निष्कर्ष एवं सुझाव
2. भावी शोध अध्ययन की संभावनायें

अध्याय	विषयवस्तु	पृष्ठ संख्या
	परिशिष्ट	**184-197**
1.	टीकमगढ़ जिले के शोध सम्बन्धी केन्द्रों की सूची ब्लाक वार	
2.	केन्द्रों में अध्ययनरत शिक्षार्थियों के लिये साक्षात्कार अनुसूची	
3.	शिक्षक, पालक, सरपंच / प्रतिष्ठित व्यक्तियों से साक्षात्कार के लिये सामान्य अनुसूची	
4.	शिक्षक, पालक, सरपंच से केन्द्र सम्बन्धी अतिरिक्त प्रश्न	
	सन्दर्भ सूची	**198-206**
1.	अंग्रेजी साहित्य	
2.	हिन्दी साहित्य	

विषय परिचय

महर्षि वेदव्यास के कथन "न मनुष्यात् श्रेष्ठतरं हि किंचित" के अनुसार मनुष्य को सृष्टि में सर्वोच्च स्थान प्राप्त है, किन्तु उस कोटि तक पहुँचने के लिये *मनुष्य में वांछित परिवर्तन सांस्कृतिक और समाजीकरण की प्रक्रिया द्वारा ही संभव होता है, क्योंकि "जीवन के स्वीकृत तरीकों में होने वाला परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन होता है।" मनुष्य की सभ्यता के विकास से ही समाज उत्थान और सामाजिक परिवर्तन के लिये शिक्षा को आवश्यक उपकरण माना गया है। इसी शैक्षणिक क्रिया के माध्यम से विश्व के विभिन्न समाज व समुदाय समय-समय पर वांछित लक्ष्यों की पूर्ति करते रहे हैं। भौगोलिक परिस्थितियों के कारण पृथकता और सामाजिक तथा सांस्कृतिक परिस्थतियों से निर्मित अनेकता के वातावरण में रहने वाले निरक्षर जनमानस के भी विचार, विश्वास और पद्धतियों में परिवर्तन लाकर एकता का भाव जाग्रत करना केवल शिक्षा के व्यावहारिक पक्ष के कारण ही संभव होता है।

"वसुधैव कुटुम्बकम्" के विचार के प्रति समाज का प्रतिबद्ध होना इन्हीं प्रयासों का फल है। "संगच्छंध्वं संवदध्वं सं वो मनांसि जानतास"** के शाश्वत एवं प्रजातांत्रिक वातावरण का निर्माण समाज में शिक्षा के विभिन्न स्वरूपों के व्यावहारिक प्रभाव के कारण दिखाई देता है। व्यावहारिक ज्ञान की शुरूआत मनुष्य में जन्म से ही होती है और मृत्युपर्यन्त उसमें सीखने की क्रिया चलती रहती है। इस कार्य में परिवार, समाज, पर्यावरण और शिक्षण संस्थाओं द्वारा मनुष्य में परिवर्तन लाने की उपयोगी भूमिका निभाई जाती है। इस प्रकार यह माना जाता है कि देश, काल और परिस्थिति के अनुसार शिक्षा का स्वरूप, प्रक्रिया, पद्धति में परिवर्तन होता रहता है।

---

* - *Gillin & Gillin, Cultural Society p. 561-562*

** - ऋग्वेद 10/191/2

प्राचीन विश्व में ग्रीक के भ्रमणशील अध्यापक, भैंस की पीठ पर चलने वाले नेपाली स्कूल, बौद्ध मठ, हिन्दू ऋषियों द्वारा संचालित आश्रम आदि में शिक्षा का निरौपचारिक स्वरूप ही अपनाया जाता था।

जनसाधारण में साक्षरता के महत्व को भारत में स्वतंत्रता पूर्व ही समझते हुए अनेक समाज सुधारकों ने पहल शुरू की थी। इस प्रसंग में शिक्षा के सार्वजनीकरण से संबंधित स्वामी विवेकानन्द ने सन्तों को भी शिक्षा प्रसार के लिए औपचारिक, निरौपचारिक प्रणाली के द्वारा अनुदेशक के रूप में भागीदारी करने के दायित्व को मुख्य माना।

"जब तक करोंड़ों भारतवासी अशिक्षा के अन्धकार में जीवन बिता रहें हैं, तब तक मैं उस प्रत्येक नागरिक को देशद्रोही मानता हूँ जो उनके द्वारा चुकाये कर रूपी धन से शिक्षित हुआ है तथा अब उनकी ओर लापरवाह हो गया है। निम्न वर्ग के लोगों में उनके खोये हुए-पतित व्यक्तित्व के विकास हेतु शिक्षा देना ही मानवता की सच्ची सेवा है।" जन - जन तक शिक्षा पहुंचाने के लिये वे कितने अधीर एवं उत्सुक थे ? इस महान यज्ञ में उन्होंने साधु महात्माओं का भी आव्हान किया था। देखिये-यदि दरिद्र बालक शिक्षा लेने नहीं आ सकता तो शिक्षा को ही उसके पास पहुँचना चाहिए। हमारे देश में सहस्त्रों निष्ठावान नि:स्वार्थी सन्यासी हैं जो एक गांव से दूसरे गांव में धर्मोपदेश करते फिरते हैं। यदि उनमें से कुछ को मौलिक या भौतिक विषयों के शिक्षक के रूप में भी संगठित किया जा सके तो वे एक स्थान से दूसरे स्थान को, एक द्वार से दूसरे द्वार को, न केवल धर्मोपदेश करते हुए, अपितु शिक्षा कार्य भी करते हुए जायेंगें। मानलो, इनमें से दो मनुष्य संध्या के समय किसी गांव में अपने साथ मैजिक लानटेन, दुनिया का ग्लोव तथा कुछ नक्शे आदि ले कर गये, तो वे अनजाने में भी मनुष्यों को भी बहुत कुछ खगोल तथा भूगोल सिखा सकते है। भिन्न-भिन्न देशों की कहानियां बताकर वे उन दरिद्रों को कानों के द्वारा उससे कही सौ गुनी अधिक जानकारी करा सकते हैं जो जन्मभर में पुस्तकों के द्वारा भी कठिनाई से प्राप्त होती है।*

सन् 1976 में दिल्ली में भारतीय प्रौढ़ शिक्षा संघ द्वारा जाकिर हुसैन की स्मृति में आयोजित व्याख्यान में जे० पी० नामक व्यक्ति ने कहा था - "आकस्मिक (Incidental) और निरौपचारिक शिक्षा बहुत पूर्व से प्रचलित है और औपचारिक शिक्षा ही अन्य देशों की तरह भारत में बाद में प्रचलित हुई।" उनके कथन के अनुसार- "भारत में सभ्यता के प्रारम्भ के समय आदिवासी समुदाय में केवल आकस्मिक/प्रासंगिक शिक्षा ही प्रचलित थी इस समुदाय के बच्चे और युवा घर और समाज में विभिन्न क्रियाओं में जीकर तथा उनमें भाग लेकर शिक्षा प्राप्त करते थे। यह शिक्षा जीवन के लिए शिक्षा न होकर जीवन द्वारा शिक्षा थी और समाजीकरण तथा शिक्षा में कोई भेद नहीं था।" ज्ञान की वृद्धि के साथ शिक्षा देने की विभिन्न धाराओं के उद्गम के विषय में श्री नायक कहतें है -

"Gradually as the quantum of available knowledge began to increase and need for specialise skills began to grow some persons began to specialise in certain skills. This led to forms of education, which stand midway between incidental and N.F.E. e.g. individual children or young persons learning essential skills through apprenticeship to a member of family or some other suitable outside it. Later on some regular forms of N.F.E. also come to be organised e.g. Ghotal for young persons among Muria Gonds and even where the modern school has been opened, so few tribal children avail themseves of it, that it would be a truism to say that bulk of tribal people are educated through incidental, semi formal or early N.F. channels. The same would also we true of quite a proportion of children in rural areas who never enter schools."

* - बायती जमना लाल शिविरा पत्रिका अप्रैल 1985

वर्तमान में एक नया एवं व्यापक विचार यह सामने आया है कि शिक्षा को अधिक दिनों तक समय व स्थान, बद्धक्रिया नहीं माना जा सकता। शिक्षा के विकास संबंधी अन्तराष्ट्रीय कमीशन ने शिक्षा को आजीवन चलने वाली प्रक्रिया के रूप में समझने के विषय पर बल दिया है और उसके महत्व को प्रतिपादित किया है। यह कमीशन उसे ही शिक्षा मानता है जो सीखने के स्थान, समय और पद्धति की सीमाओं से मुक्त हों। केवल विद्यालयीय अध्ययन और वर्ष के बाद उसके मूल्यांकन को शिक्षा नहीं माना जाता। इस आधार पर शिक्षा की विभिन्न धारायें स्वीकार की गई हैं जिन्हें सरलता के आधार पर नाम दिया गया है - औपचारिक शिक्षा, आकस्मिक शिक्षा तथा निरौपचारिक शिक्षा। शिक्षा की ये तीन धारायें एक दूसरे से पृथक नहीं है बल्कि परस्पर सम्मिलित होती है जिनके बीच एक उच्च स्तर की अन्त:क्रिया निहित होती है।

स्पष्ट है कि आवश्यकता आधारित कार्यक्रम ही परिवर्तन लाने में समर्थ हो सकते हैं। इसी मान्यता वाली निरौपारिक शिक्षा की नवीन धारणा को शिक्षा के लोक व्यापीकरण में भी आवश्यक माना गया।

"Existing education of terminology is so tightly bound to western concepts of formal and Adult educations that tends to creat confusion than enlightment... this is evedenc need for a new vocabalory appropriate ot this field but this will have to evolve over time" *

---

* *Coombs Philip H. etal, New Patha to learning-prepared by UNESCO (International commission on Dev. of education) 1973, p.10*

आज इसे शिक्षा की धारा से वंचित हुये लोगों की समस्या समाधान में सहायक होने वाला शिक्षा का नवाचार, मुक्त शिक्षा और जनशिक्षा के रूप में सामाजिक परिवर्तन के लिए सार्वभौमिक और प्रभावकारी उपकरण माना जाता है -

*Non formal education in the modern times though started as an educational Innovation within the systems of education to solve problem of dropents has steadily grown into development and political education. It is evedent that non formal education is proving to be a powerful insturment of a social change in India and other development countries.**

× × ×

* *Ready V. Eswara, Nonformal Eduacation and Social change in India – Social Change Journal June Sept., 1986 Vol. 16, No. 2 & 3*

प्रथम अध्याय

शोध की परिचयात्मक भूमिका

1. विषय चयन : आवश्यकता एवं उद्देश्य
2. शोध समस्या के अध्ययन हेतु क्षेत्र का चयन, विवरण एवं परिसीमन
3. परिकल्पना
4. अध्ययन विधियां -
   - i न्यादर्श
   - ii सांख्यिकीय परिगणन
   - iii आंकड़ों का संकलन
5. विषय के अध्ययन में सैद्धांतिक एवं शास्त्रीय कठिनाइयां
6. शोध अध्ययन का संक्षिप्त विवरण

शोध की परिचयात्मक भूमिका

1. विषय का चयन - आवश्यकता एवं उद्देश्य :-

प्राथमिक शिक्षा के लोकव्यापीकरण के लक्ष्य पूर्ति के लिए निरौपचारिक शिक्षा को एक रूपक विकल्प के रूप में स्वीकार किया गया है। साधन वंचित एवं पिछड़े वर्ग के शाला अप्रवेशी एवं शाला त्यागी बच्चों को प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर तक की निःशुल्क शिक्षा सुलभ कराना इस शिक्षा तंत्र का मूल अभिप्राय है।

उक्त अभिप्राय को कार्यात्मक दिशा प्रदान करने की दृष्टि से म०प्र० में सन् 1975 से निरौपचारिक शिक्षा का प्रारंभ हुआ और सफलता की दिशा में अग्रणी स्थान बनाकर प्रदेश ने केन्द्र शासन से दो बार पुरूस्कृत होकर श्रेय भी प्राप्त किया। प्रदेश में निरौपचारिक शिक्षा के विस्तार की दृष्टि से प्रारंभ से ही प्रतिवर्ष केन्द्रों की संख्या में वृद्धि होती रही है। शोध के क्षेत्र में अभी तक प्रदेश की केन्द्रों के संगठन, संचालन क्रिया पद्धति, केन्द्रों पर छात्रों की उपस्थिति एवं ज्ञानात्मक उपलब्धि संबंधी पहलुओं को ही पूर्ववर्ती शोधकर्ताओं द्वारा ध्यान में रखा गया है ,किन्तु केन्द्र में अध्ययनरत छात्रों में होने वाले सामाजिक परिवर्तनों में निरौपचारिक शिक्षा की भूमिका का आलोचनात्मक अध्ययन पक्ष से ओझल कर दिया गया। "जबकि इसे सामाजिक परिवर्तन करने वाला चमत्कार माना गया है।"* निश्चय ही यह एक ऐसा विषय है जिसने शोधकर्ता का ध्यान आकृष्ट किया है टीकमगढ़ जिले के परिप्रेक्ष्य में यह शोध इसलिए भी आवश्यक प्रतीत होता है, क्योंकि इस क्षेत्र में साधन विहीन, पिछड़े वर्ग एवं अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति की पर्याप्त जनसंख्या उपलब्ध है। साथ ही यह क्षेत्र पूर्व से ही शिक्षा सम्बन्धी नवाचारों के प्रचार - प्रसार में समुचित सहयोग प्रदान करता रहा है।

---

* *See Naik Smt. Chitra Project report – Developing NF Primary Education – A rewarding experience NFE Bulletin NCERT, Delhi Vol. IV, No. 2 Sept. 1986*

अतः शोधार्थी ने *"निरौपचारिक शिक्षा के सामाजिक परिवर्तन में योगदान का आलोचनात्मक अध्ययन"* विषय को शोध के लिए चयन करना उपयुक्त समझा।

प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा के लोकव्यापीकरण के लिये गत वर्षों से निरौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम में निरंतर विस्तार हुआ है। परिणाम स्वरूप केन्द्रों पर अध्ययन करने वाले छात्रों में सामाजिक परिवर्तनों की अपेक्षा करना स्वाभाविक है। इन परिवर्तनों के अनेक पक्ष हैं किन्तु सामाजिक गुण, शिक्षा की मुख्य धारा से जुड़ना, प्रजातांत्रिक गुण एवं वैज्ञानिक अभिरूचि विकास से संबंधित महत्वपूर्ण पक्षों को ही प्रस्तुत अध्ययन में केन्द्रीभूत किया गया है। निम्न पक्षों के अन्तर्गत बालक बालिकाओं में होने वाले विभिन्न गुणों के विकास के आधार पर परिवर्तनों का अध्ययन करना ही प्रस्तुत शोध का उद्देश्य है :-

1- सामाजिक गुणों का विकास :- सभ्यवादिता, सहयोग, समायोजन सहानुभूति, प्रेम दया, मानव सेवा भाव, परोपकार, दूसरों का आदर, स्वरोजगार के प्रति रुचि छोटे बड़े कार्य की हीन भावना के त्याग से संबंधित परिवर्तनों का अध्ययन करना।

2- शिक्षा की मुख्य धारा से जुड़ने सम्बन्धी रूचि :- शाला त्यागी एवं अप्रवेशी बच्चों की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण पक्ष है जो भविष्य में प्रत्येक बच्चे को उन्नति करने का अवसर प्रदान करता है और उसे समाज का उपयोगी अंग बनाकर चैतन्य नागरिक होने में सहायता प्रदान करता है। इसके अन्तर्गत शिक्षा के प्रति रूचि बढ़ाना, जीवन में शिक्षा की व्यावहारिक उपयोगिता विषयक ज्ञान विचाराभिव्यक्ति (मौखिक + लेखी) अध्ययन का व्यवहार पर परिवर्तन व्यावसायिक शिक्षा के प्रति रूचि का विकास आदि से सम्बन्धित तथ्यों का अध्ययन करना।

3- प्रजातांत्रिक गुणों का विकास :- समानता की भावना, अनुशासन के महत्व का ज्ञान, स्वतंत्रता की भावना, दूसरों के विचारों को मान्यता देना, स्वतंत्रतापूर्वक अपने विचार प्रकट करने की क्षमता का विकास, समाज कल्याण की भावना जाग्रत होना,

सर्वधर्म सदभाव, अपने अधिकारों एवं कर्तव्य के प्रति सजगता, राष्ट्रीय सम्पत्ति के सदुपयोग की भावना के विकास से सम्बन्धित तथ्यों का अध्ययन करना।

4- वैज्ञानिक अभिवृत्ति का विकास :- अंधविश्वास एवं रूढ़िवादिता के उन्मूलन, निरीक्षण एवं स्वप्रयोग, तर्क एवं चिंतन स्वच्छता एवं पर्यावरण के प्रति सजगता, दूसरे के विचारों को धैर्यपूर्वक सुनने की क्षमता के विकास से सम्बन्धित तथ्यों का अध्ययन करना।

2. शोध समस्या के अध्ययन क्षेत्र का चयन, विवरण एवं परिसीमन :-

प्रजातांत्रिक सामाजिक व्यवस्था में समग्र विकास की दृष्टि से शिक्षा की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रजातंत्र की सफलता जन सामान्य की जागरूकता और राष्ट्रीय विकास अभियान में उनकी सक्रिय भागीदारी पर निर्भर रहती है। इसके दूरगामी उददेश्य को ध्यान में रखते हुए भारतीय संविधान 6-14 वर्ष के आयु समूह के समस्त बालक-बालिकओं को 2003 तक पंजीकृत एवं 2010 तक सर्व शिक्षा अभियान के तहत निशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा सुलभ कराने के लिए संकल्प लिया गया है। इस क्रम में अप्रवेशी अथवा शाला त्यागी व्यक्तियों को आवश्यकता आधारित शिक्षा देने के लिए निरौपचारिक शिक्षा को एक उपयोगी तंत्र के रूप में स्वीकार करके म०प्र० में सन् 1975 में प्रारम्भ किया गया। कार्यक्रमों की दृष्टि से निरौपचारिक शिक्षा का क्षेत्र बहुत व्यापक है। इसके अन्तर्गत 6-14 आयु वर्ग के शाला त्यागी और अप्रवेशी बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा के लोकव्यापीकरण कार्यक्रम की दिशा में निरौपचारिक शिक्षा के केन्द्रों के संचालन में म०प्र० ने अद्वितीय सफलता प्राप्त की है। प्रदेश में निरौपचारिक शिक्षा में दो प्रकार के केन्द्र चल रहे है :-

प्रथम प्रकार के म०प्र० मॉडल नं० 1 के नाम से जाने जाते है जिनमें औपचारिक विद्यालयों का ही पाठ्यक्रम दो वर्ष की अवधि में पूर्ण करके छात्र को कक्षा 5 अथवा कक्षा 8 की बोर्ड की परीक्षा में बैठने की पात्रता होती है। उत्तीर्ण होने पर उसे प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है जिसके आधार पर छात्र अगली कक्षा में प्रवेश लेकर शिक्षा की मुख्य धारा से जुड़ जाता है।

दूसरे प्रकार के केन्द्र म०प्र० मॉडल नं० 2 के औपचारिक केन्द्र कहलाते है। इन केन्द्रों पर सर्वप्रथम गांव अथवा शहर के 6-14 आयु के बालकों की सीखने सम्बन्धी आवश्यकताओं का सर्वेक्षण किया जाता है। इसके पश्चात शिक्षार्थियों की सहमति से आवश्यकता आधारित पाठ्यक्रम (औपचारिक शालाओं से भिन्न) का निर्माण करके सम्बन्धित शिक्षा प्रदान की जाती है। इस कार्यक्रम द्वारा छात्र किसी विशेष व्यवसाय और कौशल में ज्ञान व अनुभव प्राप्त करके जीविकोपार्जन करने के लिए सक्षम हो जाते हैं और समाज के उपयोगी अंग बन जाते है। प्रदेश में प्रायोगिक रूप में चल रहे इन केन्द्रों की संख्या सीमित रही है।

प्रदेश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के साधनहीन पिछड़े वर्ग और गंदी बस्तियों के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा सुलभ कराने की दृष्टि से म०प्र० मॉडल नं० 1 के निरौपचारिक केन्द्रों की संख्या में प्रतिवर्ष वृद्धि होती रही है। हजारों की संख्या में उपलब्ध केन्द्रों पर अध्ययनरत छात्रों का शोध अध्ययन एक दुष्कर कार्य है। इसी प्रकार मॉडल नं० 2 के केन्द्रों की संख्या सीमित होने के कारण उनका अध्ययन अनुपयोगी समझा गया, अत: अध्ययन हेतु टीकमगढ़ जिले के 6 ब्लाकों में से 30 केन्द्रों का चयन किया जायेगा, इन केन्द्रों की संख्या 605 है।

अत: अध्ययन की सुगमता की दृष्टि से उक्त केन्द्रों में से केवल 30 (तीस) केन्द्रों को शोध अध्ययन हेतु चुनकर पर्याप्त छात्र संख्या का प्रतिनिधित्व प्राप्त किया गया।

3. परिकल्पना :-

शोध कार्य में संग्रह किये जाने वाले आंकड़ों का क्या प्रकार हो व किस दिशा से सम्बन्धित हो तथा कौन से सार्थक तथ्य उस कार्य के लिए संग्रहित किये जावें इसका पता लगाने के लिए यह आवश्यक है कि किन्ही विशिष्ट उददेश्यों पर आधारित सुनिश्चित परिकल्पना तैयार की जावे, क्योंकि "परिकल्पना शोध कार्य के मार्गदर्शन हेतु एक प्रभावशाली प्रकाश पुंज होता है।" साथ ही कार्यकारी परिकल्पना एक दिशा निर्देशक का कार्य करती है :-

"They aid in establishing direction inwhich to proceed."[2]

परिकल्पना द्वारा किसी विषय में वर्तमान प्रचलित तरीके मान्यताओं के स्तर का पता लगाया जाता है :-

"Studies in which the task is one of determining the status of a given phenomenon."[3]

शोधकर्ता द्वारा ऐसे तथ्यों का संकलन न्यायदर्श से किया जाता है जिनके परीक्षण के आधार पर समस्या पर सुस्पष्ट प्रकाश डाला जा सके। शोधकर्ता अपने रचनात्मक विचार और अन्तर्दृष्टि के द्वारा सुस्पष्ट परिकल्पना का निर्माण करके प्रचलित तथ्यों का सीमांकन, परीक्षण तक छटनी करते हुए उपयोगिता के आधार पर उन्हें स्वीकार करता है :-

---

1. *Daleri, Deqbald B.Van, "Roll of Hypothesis in Educational Research", Educational Administration and Supervision, 42 (Dec 1956) pp 457-62*
2. *Young, Paulin V. " Scientific Social Surveys and Researh", Englewood Cliffs, N.J. Prentice Hall, Inc. 1956 pp. 99.*
3. *Mouly George, J. "The Science of educational Research" New Delhi. An Asia publishing house (Pvt.) Ltd., 1964.*

Formulation of a sound hypothesis gives points to enquity............. it aids in delimiting and singling out pertinent facts and in determining which facts may be included and admitted. The use of hypothesis thus prevents a blind search and indescriminate gathering of masses of data, which may later prove irrevalent to the problem under study.[4]

लुंडवर्ग ने परिकल्पना की उपस्थिति और अनुपस्थिति में तथ्यों के संकलन से उत्पन्न होने वाली स्थिति को स्पष्ट किया है।

The only difference between gathering data without any hypothesis and gathering them without is that in the later case we deleberately recognise the limitations of our senses and attempts to reduce their fallibility by limiting our field of investigaition so as to permit a greater concentration of attention on the particular aspect which past experience leads us to believe, are significant for our purpose.[5]

परिकल्पना शब्द का उपयोग निष्कर्ष अवलोकन अथवा निष्कर्ष के सामान्यीकरण के लिए किया जाता है अर्थात परिकल्पना का कार्य विषय के महत्व को प्रदर्शित करना है।

प्रस्तुत शोध में शून्य परिकल्पना का चयन किया गया है। इस प्रकार की परिकल्पना में परीक्षण की वैद्यता तथा मापन में कोई कठिनाई नहीं होती तथा अनुसंधानकर्ता को परिकल्पना स्वीकार करने अथवा अस्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं होना पड़ता।

---

4. *Young, Pauline V. op-cit p. 99.*
5. *Lundberg, G.A. "Social Research" New York Longmans, Green and Co., 1942, p. 199.*

शून्य परिकल्पना के आधार पर शोधकर्ता द्वारा अधोलिखित शून्य परिकल्पनाओं का निर्धारण किया गया है।

1. केन्द्र पर अध्ययनरत बालक और बालिका शिक्षार्थियों के बीच सामाजिक गुणों के विकास में कोई सार्थक अंतर नहीं है।
2. केन्द्र पर अध्ययनरत शाला त्यागी और अप्रवेशी शिक्षार्थियों के बीच सामाजिक गुणों के विकास में कोई सार्थक अंतर नहीं है।
3. केन्द्र पर अध्ययनरत संवर्ण और असंवर्ण शिक्षार्थियों के बीच सामाजिक गुणों के विकास में कोई सार्थक अंतर नहीं है।
4. केन्द्र पर अध्ययनरत शहरी और ग्रामीण शिक्षार्थियों के बीच सामाजिक गुणों के विकास में कोई सार्थक अंतर नहीं है।
5. केन्द्र पर अध्ययनरत बालक और बालिका शिक्षार्थियों के बीच शिक्षा की मुख्य धारा से जुड़ने सम्बन्धी अभिरूचि के विकास में कोई सार्थक अंतर नहीं है।
6. केन्द्र पर अध्ययनरत शाला त्यागी और अप्रवेशी शिक्षार्थियों के बीच शिक्षा की मुख्य धारा से जुड़ने संबधी अभिरूचि के विकास में कोई सार्थक अंतर नहीं है।
7. केन्द्र पर अध्ययनरत संवर्ण और असंवर्ण शिक्षार्थियों के बीच शिक्षा की मुख्य धारा से जुड़ने संबंधी अभिरूचि के विकास में कोई सार्थक अंतर नहीं है।
8. केन्द्र पर अध्ययनरत शहरी और ग्रामीण शिक्षार्थियों के बीच शिक्षा की मुख्य धारा से जुड़ने संबंधी अभिरूचि के विकास में कोई सार्थक अंतर नहीं है।
9. केन्द्र पर अध्ययनरत बालक और बालिका शिक्षार्थियों के बीच प्रजातात्रिक गुणों के विकास में कोई सार्थक अंतर नहीं है।
10. केन्द्र पर अध्ययनरत शाला त्यागी और अप्रवेशी शिक्षार्थियों के बीच प्रजातांत्रिक गुणों के विकास में कोई सार्थक अंतर नहीं है।
11. केन्द्र पर अध्ययनरत सवर्ण और असवर्ण शिक्षार्थियों के बीच प्रजातांत्रिक गुणों के विकास में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

12. केन्द्र पर अध्ययनरत शहरी और ग्रामीण शिक्षार्थियों के बीच प्रजातांत्रिक गुणों के विकास में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

13. केन्द्र पर अध्ययनरत बालक और बालिका शिक्षार्थियों के बीच वैज्ञानिक अभिरूचि के विकास में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

14. केन्द्र पर अध्ययनरत शाला त्यागी और अप्रवेशी शिक्षार्थियों के बीच वैज्ञानिक अभिरूचि के विकास में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

15. केन्द पर अध्ययनरत सवर्ण और असवर्ण शिक्षार्थियों के बीच वैज्ञानिक अभिरूचि के विकास में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

16. केन्द्र पर अध्ययनरत शहरी और ग्रामीण शिक्षार्थियों के बीच वैज्ञानिक अभिरूचि के विकास में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

4. अध्ययन विधियाँ

(i) न्यादर्श :- शोधकार्य में न्यादर्श का चयन एक महत्वपूर्ण चरण होता है न्यादर्श को किसी समूह या जनसंख्या का लघुरूप मानते हुये यंग पॉलिन ने कहा है :-

"A statistical sample is a miniature picture of cross section of the entire group of aggregate from which the sample is taken. The entire group from which a sample is chosen known as the population, universe or supply."[1]

न्यादर्श के द्वारा समय की बचत होती है इस कारण इसे आवश्यक और लाभदायक माना गया है :-

"If we merely wanted to get national statistics there would be no reason for taking a cencus everyten years. This could be done more actually through sampling procedure and a fraction of a cost."

---

1. *Young, Pauline V. Op. cit. P 302 Scientific Social Survey and Research, Engle wood Cliffs N.J. Apprentic Hall Inc. 1965*

"किन्तु वैध न्यादर्श वही माना जाता है जो जनसंख्या का प्रतिनिधित्व पर्याप्त मात्रा में करता है - *"Sample should also be adequate in size in order to be reliable."*[2] साथ ही इसे व्यवस्थित रूप में होना चाहिये-

"Every Eens in the universe under consideration must have the same chance of inclusion in the sample"[2]

प्रस्तुत शोध में उद्देश्यपूर्ण (Purpasive) तथा यादृच्छिक न्यादर्श (Random) को उपयोग में लाया गया है।

वर्तमान में टीकमगढ़ जिले के छः ब्लाकों में केन्द्रों की संख्या स्थिति अधोलिखित है-

ब्लाक	केन्द्र
टीकमगढ़	106
बल्देवगढ़	104
जतारा	106
पलेरा	120
पृथ्वीपुर	119
निवाड़ी	50
कुल केन्द्र	**605**

2. *Maris H. Hanson, "More than noses will be counted" – Business week, Feb 27, 1960. page 30-31*

3. *Young Paulin V. Op. cit p 302.*

अध्ययन के लिये उक्त 605 केन्द्रों में से 30 केन्द्रों का चुनाव करके उन्हें तीन श्रेणियों में बाटा गया है-

1. तहसील या नगर में स्थित केन्द्र
2. बस पहुँच मार्ग पर स्थित गाँव के केन्द्र
3. दूर ग्रामीण अंचल के केन्द्र जहाँ पैदल अथवा साईकिल से ही पहुँचना संभव हो।

अध्ययन के लिये प्रथम श्रेणी के केन्द्र, शहर केन्द्र तथा दूसरे और तीसरे श्रेणी के केन्द्रों को ग्रामीण केन्द्र माना गया है। इनमें माध्यमिक स्तर के 4 केन्द्र तथा प्राथमिक स्तर के 26 केन्द्र है। इन केन्द्रों पर अध्ययनरत छात्रों की संख्या 719 है। जिसमें 96 छात्र छात्रायें माध्यमिक स्तर के तथा 623 प्राथमिक स्तर के है इन केन्द्रों पर कक्षा 1 व 2 स्तर के छात्रों की संख्या 219 है जिसे अध्ययन में सम्मिलित नही किया गया। क्योंकि साक्षात्कार अंतिम चतुर्थ क्रम में दस (32-40) प्रश्नों के आधार पर सामाजिक परिवर्तनों को जानने का प्रयास किया गया है प्रत्येक प्रश्न में दिये गये तीन विकल्पों में सही विकल्प के लिए एक अंक प्रदान किया गया है। शिक्षक, पालक एवं सरपंच/प्रतिष्ठित व्यक्ति के लिये निर्मित अनुसूची में तीनों अभिकर्ताओं से पृथक-पृथक प्रकार के प्रश्न न करते हुये 1 से 40 तक सामान्य प्रश्न रखे गये हैं। इन प्रश्नों के आधार पर केन्द्रों में अध्ययनरत बालकों-बालिकाओं में होने वाले सामाजिक परिवर्तनों के विषय में अभिमत प्राप्त किये गये हैं। इन प्रश्नों का भी आधारक्रम बालक - बालिकाओं की साक्षात्कार अनुसूची की भांति है। यथा प्रथम दस प्रश्न बालकों के सामाजिक गुणों के विकास से संबंधित, द्वितीय क्रम के दस प्रश्न शिक्षा की मुख्य धारा से जुड़ने संबंधी अभिरूचि विषयक, तृतीय क्रम में दस प्रश्न प्रजातात्रिक गुणों के विकास संबंधी तथा चतुर्थ क्रम के दस प्रश्नों का निर्धारण वैज्ञानिक अभिरूचि विकास के लिये किया गया है। प्रत्येक प्रश्न के लिये तीन श्रेणियां रखी गई है - सहमत, असहम, उदासीन। तीनों श्रेणियों के प्रश्नों में प्रत्येक प्रश्न के लिये प्रतिशत निकालकर काई वर्ग ज्ञात करके अभिमत जानने का प्रयास किया गया है। कुछ प्रश्न खुले भी रखे गये हैं जिनके द्वारा अभिमतको प्रदान करने का प्रयत्न किया गया।

इस प्रकार एक ही विशिष्ट गुण के विकास के लिये बालक, शिक्षक, पालक एवं प्रतिष्ठित व्यक्ति से अभिमत प्राप्त करके उन्हें पुष्टि प्रदान करने का प्रयास किया गया है। बालकों के विभिन्न क्रियाकलापों को जानने के लिये आवश्यकता पड़ने पर प्रेक्षण असहकारिता प्रेक्षण को सहायक अध्ययन विधि के रूप में उपयोग में लाया गया है।

(ii) सांख्यिकीय परिगणन :-

शोधकारी तथ्यों को तभी अर्थपूर्ण माना जाता है जब उनका विश्लेषण करके निष्कर्ष निकाला जावे। शोध को फलदायी बनाने एवं विशलेषण के सार्थक बनाने के लिये उपयोगी योजना बनाना आवश्यक होती है। इस क्रिया द्वारा अनुसूची का पूर्व परीक्षण करते समय इस आयु स्तर के छात्र - छात्राओं से प्राप्त होने वाले विचार और अभिमत शोध के उद्देश्य की पूर्ति में सहायक प्रतीत नहीं हुये। अतः 4-8 स्तर तक के 500 छात्रों को न्यादर्श के रूप में सम्मिलित किया गया है।

(iii) आंकड़ों का संकलन :-

आंकड़ों के संकलन में पढ़े लिखे एवं समझदार स्तर वाले लोगों के लिये प्रश्नावली उपयुक्त होती है; जबकि निरक्षर / कम स्वर की योग्यता रखने वाले / छोटी आयु वाले समूह के लिये साक्षात्कार को उपयोगी उपकरण माना जाता है। साक्षात्कार करने की गतिविधि मौखिक प्रश्नावली से कहीं अधिक गहन होती है यह साक्षात्कार कर्ता एवं साक्षात्कार देने वाले अनुकर्ता के मध्य बातचीत/अंतक्रिया की प्रक्रिया पर आधारित होता है इस हेतु अनुसूची तैयार किया जाना उपयोगी चरण समझा जाता है जिसमें विषय से संबंधित अभिमत प्राप्त करने के लिये प्रश्न समूह रहता है - "अनुसूची बहुधा उन प्रश्नों के समूह को कहते है जो कि साक्षात्कारकर्ता द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति के सामने बैठकर पूछे जाते है तथा लिखे जाते है।"

शोधकर्ता द्वारा उपयोगी तथ्यों का संकलन करने के लिये साक्षात्कार विधि का उपयोग करते हुये निम्नानुसार साक्षात्कार अंकसूचियों का निर्माण किया गया :-

1. बालकों के लिये साक्षात्कार अंकसूची।
2. शिक्षक, पालक एवं सरपंच या क्षेत्र के मोहल्ले के प्रतिष्ठित व्यक्तियों के लिये साक्षात्कार अनुसूची प्रश्नों की समानता की दृष्टि से तीनों के लिए एक ही अनुसूची बनाई गई। बालक बालिकाओं के लिये निर्मित अनुसूची में कुल 40 प्रश्नों का समावेश है जिसमें प्रथम दस (1-10 तक) सामाजिक गुणों का विकास, द्वितीय क्रम में दस (11-20 तक) शिक्षा की मुख्य धारा से जुड़ने संबंधी अभिरूचि विकास के लिये, तृतीय क्रम में दस (21-30) प्रजातांत्रिक गुणों के विकास के लिये चतुर्थ क्रम में दस (३१.४०तक) वैज्ञानिक अभिवृत्ति का विकास सम्बन्धी तथ्य संक्षिप्त रूप से सार्थक हो जाते हैं और सामान्यीकरण के लिये उपयोगी हो जाते हैं। विश्लेषण की क्रिया में प्रथम चरण पर तथ्यों को आवश्यकतानुसार वर्गीकृत किया जाता है तथ्यों को संख्या में परिवर्तित कर देने और उन्हें परिमाणात्मक बना देने से उनका विश्लेषण सुगम हो जाता है। चरों के आधार पर विश्लेषण न करके निष्कर्ष प्राप्त किये जाते हैं। सांख्यिकीय का पृथक रूप में कोई अर्थ नहीं होता; बल्कि एक विशाल तथ्य संकलन का मूर्त रूप देने में इसका महत्व होता है। किसी भी वैज्ञानिक शोध में गणितीय क्रिया को "विज्ञान का व्याकरण" कहा जाता है। सांख्यिकी का प्रयोग शोध के उत्पादक और उपभोक्ता दोनो के लिये अपरिहार्य होता है; क्योंकि इसके बगैर संबंधित साहित्य का बुद्धिमत्तापूर्ण अध्ययन संभव नहीं होता। प्रस्तुत शोध में भी आवृति वितरण, टी - मान, काई वर्ग आदि की गणना प्रयुक्त की गई है।

5. विषय के अध्ययन में सैद्धांतिक एवं पद्धति शास्त्रीय कठिनाइयाँ :-

भारतीय संविधान के अनुसार सभी को शिक्षा के लिये समान अवसर उपलब्ध कराने के लिये शिक्षा कालोकव्यापीकरण कार्यक्रम प्रारंभ हुआ किन्तु उसकी सफलता में देश की बहुल जनसंख्या एक प्राथमिक बाधक समस्या रही। साथ ही इसके लिये आर्थिक व सामाजिक पिछड़ापन भी एक अन्य गंभीर कारण सामने आया। अतः इस समस्या को

निरौपचारिक शिक्षा के प्रसार से तलब किये जानें का संकल्प लिया गया। इस हेतु म०प्र० में 1975 से ही 6-14 आयु वर्ग के शाला त्यागी एवं अप्रवेशी बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिये निरौपचारिक शिक्षा केन्द्र अपनी महती भूमिका का निर्वाह करते रहे है। किन्तु प्रदेश में इस कार्यक्रम के अध्ययन के लिये किये गये प्रयास अत्यंत ही अल्प एवं अपूर्ण है जो अध्ययन किये भी गये है वह व्यवस्थागत ही अधिक है किसी भी शोधकर्ता ने विषय को परिवर्तन से संबंधित करने का प्रयास नहीं किया। इसलिए प्रस्तुत अध्ययन की सैद्धांतिक पृष्ठभूमि को स्पष्ट करने में बहुत अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ा विभिन्न पुस्तकों, पत्रिकाओं, कार्यालयीय आंकड़ों, बुलेटिन्स, तथा समाचार पत्रों के आधार पर बिखरी हुई सामग्री को क्रमबद्ध स्वरूप देना बहुत ही कठिन कार्य था।

अध्ययन क्षेत्र टीकमगढ़ जिले के छः ब्लाकों टीकमगढ़, बल्देवगढ़, जतारा, पलेरा, पृथ्वीपुर और निवाड़ी के 30 केन्द्रों के क्षेत्रीय कार्य में भी अनेक कठिनाइयाँ थीं। प्रथम तो क्षेत्र की विशालता एवं केन्द्रों की दूरी के कारण एक - एक केन्द्र पर बहुत अधिक समय लगता था। द्वितीय हर शोध में उठायी जाने वाली इन शंकाओं कुशंकाओं का सामना करना पड़ता था कि शोधकर्ता किसी शासकीय एजेंसी से संबंधित होकर कार्य नहीं कर रहा है। केन्द्रों के शिक्षक तो शोध के उद्देश्य को समझ जाते थे; लेकिन सरपंचों एवं पालकों की शंका का समाधान बहुत मुश्किल से होता था। कई लोग तो अपने कार्य का बहाना बनाकर साक्षात्कार को टाल जाते थे जिनसे कि बार - बार संपर्क करने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं था। विद्यार्थियों से भी तथ्य संकलन में अधिक समय लग जाता था क्योंकि उन्हें अप्रत्यक्ष रूप से समझाना पड़ता था ताकि प्रश्नों से संबंधित वास्तविक जानकारी एकत्रित की जा सके।

उपर्युक्त के अतिरिक्त परिवर्तन से संबंधित जानकारी प्राप्त करने में कुछ पालकों एवं शिक्षकों का यह भी दृष्टिकोण रहता था कि अपने गाँव और केन्द्र की प्रतिष्ठा के विरूद्ध जानकारी न दी जाए। ऐसी स्थिति में अप्रत्यक्ष रूप से प्रश्न करके तथा असहयोगी रूप में केन्द्रों की गतिविधियों एवं विद्यार्थियों की क्रिया कलापों से संबद्ध होकर तथ्य संकलित करना आवश्यक हो जाता था।

इन छोटी - छोटी कठिनाइयों को छोड़कर विद्यार्थियों, पालकों, एवं सरपंच इत्यादि के उत्साहवर्द्धक सहयोग से ही तथ्य संकलित किये जा सके। इसके लिये शोधकर्ता अत्यंत आभारी है।

6. शोध अध्ययन का संक्षिप्त विवरण :-

शोधकर्ता ने अपने शोधकार्य को सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक दो पक्षों में पूर्ण करने का प्रयास किया है सैद्धांतिक कार्य के लिये अपने शोध शीर्षक *"निरौपचारिक शिक्षा के सामाजिक परिवर्तन में योगदान का आलोचनात्मक अध्ययन"* से संबंधित साहित्य का अध्ययन किया। निरौपचारिक शिक्षा के विभिन्न पक्षों एवं आयामों का अध्ययन करने के लिये पूर्ववर्ती शोध साहित्य का भी अवलोकन किया गया। इस अध्ययन का लाभ लेकर क्षेत्र में प्रायोगिक कार्य सम्पन्न किया गया। प्रस्तुत शोध प्रबंध के कार्य को छः अध्यायों में लिपिबद्ध किया गया। सर्वप्रथम प्रस्ताविका के रूप में विषय परिचय दिया गया है; जिसमें शिक्षा की तीन धाराएं - औपचारिक, आकिस्मिक एवं निरौपचारिक शिक्षा को स्पष्ट किया गया है।

प्रथम अध्याय में शोध विषय का चयन, अध्ययन क्षेत्र एवं परिसीमन का उल्लेख किया गया है। म०प्र० में निरौपचारिक शिक्षा के बहुसंख्या में चल रहे केन्द्रों में से सीमित केन्द्र लेकर शोध कार्य किये जाने के औचित्य का प्रतिपादन किया गया है। शोध क्षेत्र में व्याप्त मान्यताओं एवं धारणाओं को मूलाधार बनाकर शून्य परिकल्पिनाएं स्थापित की गई ताकि शोध कार्य वैज्ञानिक पद्धति पर किया जा सके। आंकड़ों का संकलन करने के लिये केन्द्र के छात्र - छात्राओं, शिक्षक, पालक एवं सरपंच अथवा प्रतिष्ठित व्यक्ति से साक्षात्कार करने के लिये साक्षात्कार अनुसूची का निर्माण किया तथा अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिये कुछ प्रश्न भी किये गये। तत्पश्चात तथ्यों की गणना करने के लिये सांख्यिकी सूत्र का प्रयोग किया गया। केन्द्र के चुनाव में ध्यान रखा गया कि टीकमगढ़ जिले के छः ब्लाकों के केन्द्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त हो सके। क्षेत्र में शोध कार्य के समय उत्पन्न हुई कठिनाइयों का भी शोधकर्ता ने उल्लेख किया है।

द्वितीय अध्याय में शोध विषय से संबंधित साहित्य के अवलोकन को संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है जिसमें एम०एड० प्रोजेक्ट, रिपोर्ट एवं पी-एच०डी० स्तर के अध्ययन का उल्लेख है। इस अध्ययन से शोध कार्य हेतु निश्चित ही उपयोगी दिशा एवं निर्देशन प्राप्त हुआ है।

तृतीय अध्याय में शिक्षा के लोकव्यापीकरण की आवश्यकता का आधार संविधान में शिक्षा के लोक व्यापीकरण की संकल्पना, इस दिशा में आने वाली कठिनाईयां उनके निराकरण के उपाय आदि का वर्णन किया गया है। देश में शिक्षा के लोक व्यापीकरण की दिशा में किये गये प्रयासों का खुलासा किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के परिप्रेक्ष्य में भी शिक्षा के लोक व्यापीकरण की चर्चा उपर्युक्त अध्याय में की गई है। म०प्र० में चलाई गई विभिन्न योजनाओं और नवाचारों का संक्षिप्त वर्णन को भी पर्याप्त स्थान दिया गया है।

चतुर्थ अध्याय में निरौपचारिक शिक्षा की आवश्यकता, अवधारणा, अर्थ विभिन्न व्यक्तियों द्वारा दी गई परिभाषाएं, लक्ष्य उद्देश्य एवं विशिष्टियाँ शामिल की गई हैं। निरौपचारिक शिक्षा के आयाम, विविध कार्यक्रम एवं निर्देशों का भी उल्लेख किया गया है। देश में निरौपचारिक शिक्षा के लिये पूर्व से चल रहे एवं नवीन खोले जाने वाले केन्द्रों के विषय में नवीन राष्ट्रीय नीति को स्पष्ट किया गया है।

इस अध्याय में म०प्र० में निरौपचारिक शिक्षा केन्द्रों के संचालन, उनसे प्राप्त सफलता एवं भावी विस्तार की योजना की चर्चा की गई है। म०प्र० में निरौपचारिक शिक्षा शिक्षा के कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण कार्यक्रम, मनोरंजन एवं अभिनय संबंधी कार्यक्रमों की निरौपचारिक शिक्षा में भूमिका का महत्व प्रतिपादित किया गया है। इस अध्याय में म०प्र० मॉडल की विशेषताएं, औपचारिक एवं निरौपचारिक शिक्षा में अंतर भी स्पष्ट किया गया है।

पंचम अध्याय में शोधकार्य में संग्रहित किये गये तथ्यों का सांख्यिकीय गणना के आधार पर किया गया परीक्षण उल्लिखित हैं। इस हेतु छात्र-छात्राओं में सामाजिक परिवर्तन का अध्ययन करने के लिये सामाजिक भावना का विकास शिक्षा की मुख्य धारा से जुड़ने संबंधी रूचि, प्रजातांत्रिक भावना का विकास एवं वैज्ञानिक अभिरूचि से संबंधित तथ्य

साक्षात्कार अनुसूची एवं खुले प्रश्नों के माध्यम से एकत्रित किये गये है, उनका आवृति वितरण, मध्यमान, प्रामाणिक विचलन, तथा विभिन्न समूहों में "टी" परीक्षण मान प्राप्त किये गये है तत्पश्चात निर्धारित की गई शून्य परिकल्पना का परीक्षण करके उसे स्वीकृत/अस्वीकृत किया गया है। इस आधार पर छात्र छात्राओं में हुये परिवर्तन को अंकित किया गया इसी प्रकार शिक्षक, पालक तथा सरपंच के प्राप्त अभिमतों की प्रतिशत एवं काई वर्ग मान के आधार पर मान्यता प्रदान करने हेतु निष्कर्ष प्राप्त किये गये है। तथ्यों की गणना के अनुसार शोध अध्ययन में कुछ उत्प्रेरक एवं महत्वपूर्ण निष्कर्ष सामने आये है, जिनके आधार पर पूर्व मान्यताएं लुप्त हो गई है और नये अध्ययन के लिये नवीन दिशा निर्देशन प्राप्त हुआ है।

शोध से सम्बन्धित केन्द्रों की सूची, साक्षात्कार की अनुसूची तथा विभिन्न तथ्यों के लिए सारिणी एवं परिशिष्टों का समावेश करने के लिए पृथक अध्याय रखा गया है। छात्र - छात्राओं के चार समूह बालक-बालिका, सवर्ण-असवर्ण, शाला त्यागी- शाला अप्रवेशी, तथा शहरी एवं ग्रामीण शिक्षार्थियों के 500 जनसंख्या वाले न्यादर्श का अध्ययन करने पर प्राप्त तथ्यों को एक सांख्यिकी आधार पर विभिन्न सारिणियों में लिपिबद्ध किया गया जबकि साक्षात्कार अनुसूची को परिशिष्ट के रूप में स्थान दिया गया है।

षष्ठ अध्याय में तथ्यों की गणना से प्राप्त हुए निष्कर्ष लिखे गये जो शोध कार्य के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध हुए। क्षेत्र में निरौपचारिक शिक्षा के केंद्रों के उन्नयन के लिए आवश्यक एवं उपयोगी सुझाव भी प्रस्तुत किये गये।

x x x

द्वितीय अध्याय

पूर्व शोध साहित्य समीक्षा

1. एम०एड० स्तर पर शोध साहित्य
2. प्रोजेक्ट रिपोर्ट समीक्षा
3. पी-एच०डी० शोध साहित्य समीक्षा

पूर्व शोध साहित्य समीक्षा

किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को संवारने के लिए शिक्षा एक महत्वपूर्ण कारक है। समस्त विषय में विभिन्न समुदाओं ने इस कारण अपने नागरिकों को शिक्षित करने हेतु त्वरित प्रयत्न किये हैं। इस कार्य के लिए वैधानिक प्रबंध भी किये गये हैं। जैसे कि इंग्लैड में अनिवार्य शिक्षा को सार्वजनिक रूप में प्रारंभ करने के लिए सन् 1870, 1876 तथा 1880 के एक्ट की व्यवस्था की गई। भारतीय संविधान में भी 14 वर्ष की आयु तक के समस्त बच्चों के लिए नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को एक दायित्व माना गया।

शिक्षा के लोकव्यापीकरण की समस्या काफी जटिल है विशेषकर विकासशील देशों के लिए जैसा कि स्पष्ट है कि केवल औपचारिक शिक्षा निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति करने में अक्षम रही है। इस कारण विभिन्न समाजों को इसका विकल्प खोजने के लिए बाध्य होना पड़ा है। इसी दिशा में निरौपचारिक शिक्षा एक प्रयोग है।

भारत में यह समस्या द्विमुखी है जिसका हल दो स्तरों पर किया जाना है -

(1) प्रौढ़ तथा (2) शाला अप्रवेशी अथवा शाला त्यागी लोगों के लिए निरौपचारिक शिक्षा द्वारा प्रौढ़ों को शिक्षित करने का कार्य इस देश में काफी पहले से चला आ रहा है। सामाजिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा या सतत शिक्षा के रूप में जाना जाता रहा है। किन्तु 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए यह कार्यक्रम हाल ही के कुछ वर्षो में (विशेषकर 1975) से प्रारम्भ हुआ है।

इस क्षेत्र के विभिन्न पहलुओं पर एम०एड० स्तर अथवा संस्थागत स्तर पर शोधकार्य समय-समय पर सम्पन्न किये जाते रहे हैं। विभिन्न विश्वविद्यालयों में पी-एच०डी० स्तर पर भी निरौपचारिक शिक्षा के विभिन्न आयामों पर शोध कार्य किया गया है।

विषय से संबधित क्षेत्र में हुए शोधकार्यों का कुछ संक्षिप्त विवेचन निम्नानुसार प्रस्तुत है -

1. एम० एड० स्तर पर शोध प्रबन्ध :-

शर्मा ओम प्रकाश म०प्र० में बीटीआई द्वारा संचालित निरौपचारिक शिक्षा केन्द्रों का सर्वेक्षण :-

अप्रकाशित शोध प्रबन्ध, भोपाल वि.वि. **1979** :-

निष्कर्ष :-

1. केन्द्रों की संख्या बढ़ा देने से पिछड़े वर्ग की छात्र पंजीयन संख्या में वृद्धि होना संभव है।
2. ये केन्द्र प्राथमिक शिक्षा के लोकव्यापीकरण में सहायता दे रहे हैं। (शाला त्यागी और अप्रदेशी छात्र प्रवेश ले रहे हैं।)
3. गतवर्षों की तुलना में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्रों की संख्या में क्रमशः वृद्धि हो रही हैं।
4. कई क्षमतावान छात्र केन्द्रों में पाठ्य सहगामी और पाठ्येत्तर क्रियाओं के अभाव में पंजीकृत नहीं हो रहे हैं।
5. केन्द्रों पर कौशल प्रशिक्षण दिये जाने के अभाव में कई पालक अपने बच्चों को केन्द्रों में नही भेज रहे हैं।
6. केन्द्रों का कार्यक्रम स्थानीय लोगों के सामाजिक व आर्थिक जीवन में सहयोगी नहीं है।
7. केन्द्र प्रभारियों को छात्रों का मार्गदर्शन करने की दिशा में प्रशिक्षण दिये जाने की आवश्यकता है।
8. केन्द्रों के अध्यापक बुनियादी प्रशिक्षण संस्था के प्रशिक्षणार्थी हैं; जिन्हें प्रोत्साहन राशि प्रदान नहीं की जाती अतः वे क्रियाशील नजर नहीं आते हैं।
9. छात्रों को निःशुल्क मध्यान्ह भोजन, छात्रवृत्ति की सुविधा प्राप्त नहीं है।

10. 40 प्रतिशत छात्रों में केन्द्र छोड़ने का कारण नि:शुल्क पुस्तक व्यवस्था न होना है जबकि 20 प्रतिशत छात्र केन्द्र की दूरी के कारण छोड़ रहे है।

केन्द्र पर छात्राओं की संख्या कम होने का कारण बालिका शिक्षा के प्रति पालकों की सम्मति न होना है, इसके दो कारण प्रकाश में आये हैं।-

1. बालिकायें घर पर अपनी माँ के गृहकार्य में हाथ बटाती हैं।
2. उन्हें किसी व्यवसाय में भेजने की आवश्यकता नही समझी जाती है।

कु० अर्गल कामिनी भोपाल संभाग के बी०टी०आई० के अर्न्तगत चलने वाले निरौपचारिक केन्द्रों का अध्ययन :-

अप्रकाशित भोपाल वि०वि० **1980** :-

1. छात्रों की औसत दैनिक उपस्थिति कम है।
2. केन्द्र से शिक्षा पूर्ण करने वाले छात्रों की संख्या केवल 12 प्रतिशत है जो अत्यन्त कम है।
3. केन्द्रों पर अधिकांश अध्यापक 67 प्रतिशत पारंपरिक प्रश्नोत्तर विधियों को ही अध्यापन में अपनाते हैं।
4. 80 प्रतिशत अध्यापकों का मत है कि केन्द्र संचालन में स्थानीय समुदाय का सहयोग प्राप्त नहीं होता है।
5. लगभग सभी पालकों का मत है कि केन्द्र पर दी जाने वाली शिक्षा छात्र के जीवन के लिये अनुपयोगी है। अत: कौशल प्रधान शिक्षा जो स्थानीय स्वरोजगार के लिये उपयुक्त हो केन्द्र पर दी जाना चाहिये।
6. 90 प्रतिशत पालक अपने बच्चों को छात्रवृत्ति दिलाने के पक्ष में हैं।
7. अधिकांश पालक अशिक्षित और गरीब होने के कारण अपने बच्चों को लेखन पठन सामग्री (स्टेशनरी) की सुविधा उपलब्ध नही करा पाते है।
8. शिक्षकों का मत है कि समुचित शिक्षण एवं सहायक सामग्री का अभाव छात्रों की अनियमित उपस्थिति, 5 वर्षीय पाठ्यक्रम को द्विवर्षीय रूप में मान्यता

प्रदान करना, ऐसे कारण है जिनके रहते हुये निरौपचारिक शिक्षा की सफलता संदिग्ध है।

श्रीमती गुप्ता सरोज, निरौपचारिक शिक्षा केन्द्रों के बालक बालिकाओं में विकसित पठन एवं लेखन योग्यता का अध्ययन :-

अप्रकाशित भोपाल वि०वि० 1981 :-

निष्कर्ष :-

1. औपचारिक व निरौपचारिक शिक्षा केन्द्रों के विद्यार्थियों में सृजनात्मकता के प्रवाह संबंधी योग्यता में कोई अंतर नहीं है।
2. दोनों प्रकार के केन्द्रों के विद्यार्थियों में सृजनात्मकता का विवरण संबंधी योग्यता में अंतर।
3. दोनों प्रकार के शिक्षा केन्द्र के विद्यार्थियों में सृजनात्कता का सहसंबंध बुद्धिलब्धि है।

श्रीमती ठाकुर कान्ता, भोपाल के निरौपचारिक शिक्षा, केन्द्रों के शाला अप्रवेशी एवं शाला त्यागी बालक बालिकाओं के शैक्षाणिक उपलब्धि का अध्ययन :-

अप्रकाशित भोपाल वि०वि० 1987 :-

निष्कर्ष :-

1. शाला त्यागी और शाला अप्रवेशी बालक बालिकाओं के बुद्धिस्तर में उच्च स्तरीय, औसत स्तरीय एवं निम्न स्तरीय अंतर पाया गया है।
2. बालकों के बुद्धिलब्धि स्तरों की जांच में प्रत्येक समूह में सार्थक अंतर पाया गया है। परन्तु उपलब्धि परीक्षण के आधार पर अंतरों की सार्थकता केवल पर्यावरणीय ज्ञान कक्षा 1 और 2 में ही दृष्टिगत होती है अन्यथा सभी अंतर निरर्थक नहीं होते हैं।
3. उच्चस्तर के कक्षा 1 और 2 समूह के शाला त्यागी एवं शाला अप्रवेशी बालकों के बीच सामान्य पर्यावरणीय ज्ञान में अंतर पाया गया है।

4. अध्ययन के प्रति सभी बालकों में प्रतिस्पर्धा की भावना अत्यधिक कम है।
5. सामान्य ज्ञान विषय में बालकों की विशेष रूचि दिखाई देती है।
6. निष्पत्ति परीक्षण के आधार पर शाला अप्रवेशी एवं शाला त्यागी बालकों में अंतर केवल कक्षा 1 व 2 के पर्यावरणीय ज्ञान विषय में पाया गया है।
7. बुद्धि स्तर का प्रभाव उपलब्धि पर पड़ता है।
8. शाला अप्रवेशी बालक बालिकाओं का बुद्धिलब्धि स्तर शाला त्यागी समूह की तुलना से अधिक है।
9. निष्पत्ति परीक्षण के आधार पर शाला त्यागी व शाला अप्रवेशी बालक बालिकाओं के दोनों समूह में हिन्दी भाषा, अंकगणित तथा सामान्य पर्यावरणीय ज्ञान विषयक उपलब्धि में कोई अंतर नही है।
10. शाला अप्रवेशी व शाला त्यागी बालकों के कक्षा 4 व 5 समूह में केवल एक ही बालक उच्च स्तरीय लब्धि का पाया गया, जिससे समूह अन्तर्गत जांच सामान्यीकृत तथा विश्वसनीय नही है।

कुमारी शुक्ला मंजू, निरौपचारिक शिक्षा केन्द्रों के म०प्र० मॉडल का अध्ययन (ग्वालियर जिले के विद्यालयों के छात्रों के संदर्भ में) :-

अप्रकाशित लघु शोध प्रबन्ध, जीवाजी वि०वि०, ग्वालियर **1987** :-

निष्कर्ष :-

1. केन्द्र के लिये स्थानीय व्यक्ति शिक्षक के रूप में अधिक उपयोगी सिद्ध हुये है।
2. केन्द्र में बालकों के लिये सायंकाल तथा बालिकाओं के लिये अपरान्ह समय ही अनुकूल है।
3. निरौपचारिक शिक्षा का म०प्र० माडल शाला त्यागी अथवा शाला अप्रवेशी छात्रों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने में उपयोगी सिद्ध हुआ है।

4. केन्द्र पर "पढ़ो कमाओ योजना" अर्थात् समाजोपयोगी उत्पादक कार्य को केन्द्र के कार्यक्रमों में सम्मिलित किया जाना चाहिये।
5. केन्द्र के अध्यापक अधिक परिश्रम न करके छात्र को एक वर्ष में ही बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण कराना चाहते हैं; जिससे कि उन्हें प्रति छात्र प्रोत्साहन राशि प्राप्त हो जाती है।
6. पालकों की दृष्टि में निरौपचारिक शिक्षा योजना उसी प्रकार कार्य करता है जैसे-कुआं स्वयं प्यासे के पास जाता है।
7. घर में प्रतिदिन अधिक घण्टे कार्य करने का प्रभाव केन्द्र में अध्ययनरत छात्र के प्राप्तांकों पर पड़ता है। अर्थात ऐसे छात्रों की शैक्षणिक उपलब्धि कम होती है।
8. परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र ही अगली कक्षा में अध्ययन करने के इच्छुक रहते है अन्यथा छात्र पैतृक व्यवसाय में ही सहयोग देते हैं।
9. अधिक संख्या वाले परिवार के छात्र से निकलने के बाद अगली कक्षा में अध्ययन हेतु अधिक रूचि नहीं दिखाते।
10. केन्द्र प्रभारी का सामयिक उन्मुखीकरण होने पर ही साधन विहीन परिवेश एवं पर्यावरण आधारित अधिगम की संभावना दिखाई देती है।
11. केन्द्र के समय में बच्चों को स्वल्पाहार दिये जाने की आवश्यकता है।

श्रीमती चौहान नीलम, निरौपचारिक शिक्षा का छात्रों पर सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक प्रभाव का अध्ययन :-

(वृहत्तर ग्वालियर के अनुसूचित जाति के छात्रों के संदर्भ में)

अप्रकाशित लघु शोध प्रबंध, जीवाजी वि०वि०, **1988** :-

निष्कर्ष :-

1. अधिकांश केन्द्रों में निरौपचारिक शिक्षा की मूल भावनाओं को बनाये रखा गया है।
2. केन्द्रों पर अपनायी जाने वाली मॉनीटर शिक्षण पद्धति छात्रों में आत्मविश्वास उत्पन्न करती है व कौशल का विकास करती है।
3. केन्द्रों में शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करके शिक्षण को अधिक प्रभावी एवं ग्राह्य बनाया जा सकता है।
4. निरौपचारिक शिक्षा केन्द्र शाला त्यागी व शाला अप्रवेशी छात्रों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने में उपयोगी सिद्ध हुये हैं।
5. अनुसूचित जाति के छात्रों के लिये जीतिकोपार्जन के साथ-साथ अध्ययन का अवसर प्रदान करने की यह उपयोगी योजना है।
6. सामाजिक दृष्टि से पिछड़ी जाति के छात्रों में सामाजिकता की भावना का यह योजना विकास करती है।
7. केन्द्र के अध्यापक अधिक परिश्रम न करके केवल 1 वर्ष में ही छात्रों को परीक्षा में उत्तीर्ण कराना चाहते हैं, जिससे कि उनकी प्रति छात्र प्रोत्साहन राशि प्राप्त हो सके।
8. केन्द्र प्रभारी के कौशल में वृद्धि हेतु यथा समय उन्हें प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है।
9. केन्द्र शिक्षकों की योग्यता और अन्य सेवा शर्तों को निर्धारित करके उन्हें पूर्ण वैज्ञानिक बनाया जाना चाहिये।
10. केन्द्र पर व्यावसायिक शिक्षा के विभिन्न पहुलुओं का समावेश किया जाना चाहिये।
11. केन्द्रों पर सामूहिक कार्यक्रमों के आयोजनों द्वारा जन समुदाय को आकर्षित करके उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार लाया जा सकता है।
12. केन्द्र के छात्रों में अध्ययन प्रवृत्ति विकसित करने के लिये बाल साहित्य की रोचक सामग्री प्रदान की जानी चाहिये।

2. प्रोजेक्ट रिपोर्ट समीक्षा :- *Rawat, D.S., A report on the project on the Non-formal and part-time education centre at Bhumiadhar, Nainital (U.P.), NCERT, 1976.*

क्षेत्र से सम्बन्धित शिक्षा विभाग, कृषि एवं अन्य विभागों के अधिकारी, अध्यापक तथा समुदाय के अन्य लोगों ने मिलकर ग्रामीण आदिवासी अंचलल में यह शैक्षणिक कार्यक्रम प्रारंभ किया जिसका उद्देश्य था-

1. शाला अप्रवेशी तथा शाला त्यागी (*6-14*) आयु वर्ग बच्चों को शिक्षा क्षेत्र में आने के लिये प्रेरित करना।
2. बच्चों में उनके वर्तमान व्यवसाय (जिसमें वे संलग्न हैं) तथा कार्यानुभव सम्बंधी दक्षाता विकसित करना।
3. बच्चों में भाषाई-सुनने, बोलने, पढ़ने तथा लिखने का कौशल विकसित करना।
4. स्वास्थ्य सम्बंधी उचित कौशल व आदतों और अभिव्यक्ति का विकास करना।
5. दैनिक जीवन में वैज्ञानिक क्रियाओं को समझने और प्रयोग में लाने के लिये बच्चों को सक्षम बनाना।
6. नागरिकता का भाव विकसित करना तथा क्रियात्मक साक्षरता उत्पन्न कराना।

निष्कर्ष :-

1. शाला त्यागी बच्चों (6-14 आयु वर्ग समूह) के लिये शिक्षा को सामुदायिक विकास के कार्यक्रम और कार्यानुभव से जोड़ा जाना चाहिये। इसके लिये समुदाय के जागरूक और नेतृत्व वाले व्यक्तियों को सर्वप्रथम विश्वास में लेना आवश्यक है।
2. शाला त्यागी बच्चों का उपलब्धि स्तर कम हो जाता है अर्थात उनके पुनः निरक्षर होने की संभावना रहती है।
3. उपलब्धि स्तर की दृष्टि से संभांगी समूह निर्माण करने के लिये पढ़ने संबंधी परीक्षण बनाये जा सकते हैं।

4. कार्यक्रम की सफलता, अध्यापक की निष्ठा पर निर्भर है, जिसके द्वारा वह समुदाय में जागृति ला सकता है।
5. अध्यापन - अधिगम क्रिया में स्थानीय आवश्यकता और वातावरण के अनुसार संशोधन आवश्यक होता है।
6. अध्यापन संबंधी तकनीक को कार्यानुभव आधारित बनाकर क्रियात्मक ज्ञान प्रदान किया जा सकता है, भले ही बच्चों में साक्षर ज्ञान अपेक्षित स्तर तक न हो। विद्यालयों अथवा शिक्षा विभाग के अधिकारियों को स्वतंत्रता प्रदान की जानी चाहिये ताकि वे केन्द्र के छात्रों का परीक्षण करके कक्षा 5 अथवा 8 उत्तीर्ण करने सम्बन्धी प्रमाण पत्र प्रदान कर सकें।
7. कक्षा 5 अथवा कक्षा 8 उत्तीर्ण करने के पश्चात छात्र को शिक्षा की मुख्य धारा से जुड़ने का अवसर प्रदान करने के लिये उच्च कक्षा युक्त विद्यालय (माध्य०/हाईस्कूल) समीपस्थ क्षेत्र में खोले जाने चाहिये।
8. केन्द्र में बहु बिन्दु प्रवेश नीति को सफल बनाने के लिये समुदाय और स्वैच्छिक संगठनों की पहल और भागीदारी आवश्यक है।
9. औपचारिक शालाओं में निरौपचारिक केन्द्र प्रारंभ करने से औपचारिक शिक्षा की दृढ़ता और अलचीलेपन में परिवर्तन लाकर इसे अधिक क्रियाशील बनाया जा सकता है।
10. निरौपचारिक शिक्षा केन्द्र अन्ततः समुदाय शिक्षा केन्द्र बन सकते है जहां स्त्री पुरूष और बच्चे अपनी बुद्धि और कौशल का विकास करने का अवसर प्राप्त करते है।

Smt. Chitra Nath (Project Director S.I.E., Pune)

*"Developing N.F. Primary Education – A rewarding experience."**

यह योजना सन् 1979 में प्रारंभ की गई। जिसमें शालात्यागी एवं शाला अप्रवेशी बच्चों से संबंधित अधोलिखित निष्कर्ष प्राप्त हुये :-

1. शिक्षा योजना निर्धारकों एवं प्रशासकों द्वारा आज तक सांस्कृतिर्थक सामाजिक एवं आर्थिक पक्षों की ओर ध्यान नहीं दिया गया है।
2. पारंपरिक शालाओं के बच्चे दो प्रकार के तनाव में रहते है (अ) शिक्षक का अत्यधिक अधिनायक वाद एवं (ब) परीक्षा का भय।
3. केवल परीक्षा उत्तीर्ण करने की पारंपरिक पद्धति में परिवर्तन लाने हेतु पाठ्यक्रम की पुर्नरचना करके कौशल एवं अधिगम की क्रिया का छात्रों में विकास किया जा सकता है।
4. निरौपचारिक शिक्षा में कक्षा 4 या 5 स्तर की परीक्षा का कोई औचित्य नही है। इसके स्थान पर प्राथमिक स्तर पर भाषा, गणित, एवं विज्ञान के तथ्यों में उपलब्धि मापन हेतु मानक परीक्षणों का सामयिक आयोजन किया जावे जो पारंपरिक शालाओं के लिये उपयोगी होगा।
5. निरौपचारिक शिक्षा के अध्यापकों के लिये सैद्धांतिक व्याख्यानों की अपेक्षा समूह चर्चा की सामाजिक कार्य पद्धति एवं समस्या समाधान के लिये समूह कार्यों का आयोजन किया जाना चाहिये।
6. पारंपरिक गृह कार्य देने के स्थान पर छात्रों को आसपास के वातावरण का निरीक्षण करके कक्षा में रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा जाये ताकि उनमें निरीक्षण, खोज एवं तर्क शक्ति का विकास हो सके।
7. बोधगम्य अधिगम के लिये प्रत्येक छात्र को पृथक - पृथक पठन सामग्री देने की अपेक्षा सम्पूर्ण कक्षा को सहयोगी आधार पर पुस्तके देना अधिक उपयोगी सिद्ध हुआ।

---

* *NFE Bulletin NCERT, Delhi Vol. IV No. 2, Sept. 1986*

8. कक्षा में छोटे - छोटे समूहों में छात्र अधिक केन्द्रित होकर कार्य करते हैं।

9. कहानी, गीत, खेल, योगासन आदि क्रियाओं का अध्यापन में सहगामी क्रियाओं के रूप में उपयोग करने से छात्र प्रफुल्लित होते है एवं नियमित बने रहते है।

10. शैक्षिक चेतना के अतिरिक्त समाज के व्यक्तियों को सामाजिक और आर्थिक मुद्दों के प्रति भी प्रेरित किया गया जैसे - महिला जगत के प्रति चले आ रहे अन्याय, अथवा पुरानी रूढ़िवादी परम्पराएं आदि अर्थात शिक्षा को "सामाजिक परिवर्तन करने वाला चमत्कार" (जो अभी तक अध्यापकों एवं अधिकारी वर्ग तक ही समिति था) के रूप में समाज के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

11. केन्द्र में बंधुआ मजदूर के रूप में प्रवेश पाये हुये बच्चों में द्विवर्षीय पाठ्यक्रम पूर्ण करने के बाद अपने आपको मुक्त करने की चेतनाजाग्रत हुई है।

12. शिक्षकों की निष्ठा, उत्तम अध्यापन पद्धति, समुदाय सहयोग, प्राथमिक शिक्षा का लोकव्यापीकरण करने की दिशा में महत्वपूर्ण कारक प्रतीत होते है।

13. स्थानीय शिक्षित लोगों को केन्द्र पर नियुक्त किये जाने से प्रभावी परिणाम प्राप्त हुये हैं, जैसे -

(अ) शिक्षा ने स्वयं एक कार्यकर्ता के रूप में शिक्षण व्यवसाय के चेतनादायी स्वरूप को समाज के समक्ष रखा है साथ ही जो शिक्षित होकर श्रम की महत्ता नही समझते उन्हें वास्तविकता से परिचित कराया है।

(ब) उक्त कार्यकर्ता एवं "अध्यापन करने वाले" अव्यवसायी अध्यापकों ने "श्रमिक एवं शिक्षार्थी" (Working ad Learning) बच्चों के साथ स्वाभाविक तादात्म्य स्थापित किया है।

(स) स्थानीय कृषक, कलाकार, श्रमिक एवं गृहणियों ने स्वतंत्र अध्ययन ओर परिचर्चा के लिये उन्हें प्राप्त होने वाली इन भावी शैक्षिक एवं सांस्कृतिक सुविधाओं का स्वागत किया है।

Non Formal Education Centres : A report of of Regional College of Education Bhopal, 1980.

यह अध्ययन क्षेत्रीय शिखा महाविद्यालय भोपाल द्वारा प्रायोगिक रूप में संचालित निरौपचारिक शिक्षा के विभिन्न पहलुओं से संबंधित है। इसमें केन्द्रों का चुनाव, केन्द्र के 9-14 आयु वर्ग के बच्चों का विवरण (शाला त्यागी एवं शाला अप्रवेशी) पाठ्यक्रम, शिक्षण सामग्री एवं बच्चों की प्रगति का विवरण, केन्द्र, संगठन की विधि का वर्णन दिया गया है।

Daljit Gupta and N.K. Awasthi, Non formal education in action (cyclostyled) NCERT, 1980 – A status study of NFE Centres run by NCERT through RCE

Ajmer, Bhopal, Bhubneshwar, Mysore and field advisers in States.

निष्कर्ष :-

1. जिन गांवों में केन्द्र स्थापित है वहां शालात्यागी बालकों व बालिकाओं की संख्या में विशेष अंतर नहीं है।
2. केन्द्रों के छात्रों के पालकों का आर्थिक स्तर बहुत कम है और उनका मुख्य व्यवसाय कृषि है केन्द्रों के निदेशक स्थानीय उपलब्ध गरीब लोग है और निरीक्षण कार्य के लिये स्थानीय व्यक्ति तथा उनकी समिति को उत्तरदायित्व सौंपा गया है।
3. केन्द्रों पर बालकों को भेजने के लिए पालकों के समक्ष विचार गोष्ठी फिल्म प्रदर्शन एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है।
4. केन्द्रों के संचालक एवं पर्यविक्षकों को समुचित प्रशिक्षण की आवश्यकता है।
5. बहुत ही कम केन्द्रों पर समाजोपयोगी उत्पादक कार्य प्रारंभ किया गये हैं।
6. केन्द्रों के संचालक तथा विभिन्न विभागों के कार्यकर्ताओं के मध्य बहुत कम समन्वय है।
7. केन्द्रों पर पाठ्यसामग्री देरी से और अपर्याप्त मात्रा में प्राप्त होती है।
8. केन्द्र पर छात्रों के मूल्यांकन, अध्यापन, अभिलेख संग्रह, छात्रों का स्तर वर्गीकरण एवं अध्यापन में पारंपरिक विधि का ही प्रयोग किया जाता है।

A study of NCERT's Experimental Non-formal Education Centres (Dec. 1978 & May 1982) NCERT, New Delhi.

इस अध्ययन में शिक्षा के दृष्टिकोण से पिछड़े हुये नौ राज्यों में प्रयोगात्मक रूप से संचालित निरौपचारिक केन्द्रों का विवरण है। इस अध्ययन में विभिन्न राज्यों में निरौपचारिक शिक्षा उददेश्यों की प्राप्ति हेतु अपनायी गई नीतियां, पाठ्यक्रम शिक्षण विधि एवं पाठ्यक्रम का विवरण दिया गया है।

Towards universalisation of Elimentary Education Final Report of NFE Centres of Multai (M.P.) (cyclostyled) NCERT Bhopal (Jan. 1979 - May 1982).

इस अध्ययन में निरौपचारिक शिक्षा केन्द्रों के निम्न उददेश्यों पर प्रकाश डाला गया है-

1. म०प्र० के आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुये क्षेत्र में निरौपचारिक शिक्षा के NCERT मॉडल का परीक्षण करना।
2. केन्द्रों के संचालन में होने वाले प्रत्यक्ष अनुभवों की जानकारी प्राप्त करना।
3. निरौपचारिक शिक्षा से संबधित प्रभावकारी पद्धतियां व व्यवस्थाओं का पता लगाकर उनका परीक्षण करना।
4. स्थानीय परिवेश और विशिष्ट आवश्यकताओं पर आधारित निर्देशन सामग्री का निर्माण व परीक्षण करना।
5. केन्द्र के कार्यो की सामयिक प्रगति के मूल्यांकन हेतु प्रभावकारी प्रणाली विकसित करना।
6. निरौपचारिक शिक्षा केन्द्रों के विकास और व्यवस्था से सम्बन्धित अनुभवों पर आधारित प्रयोग व शोध के क्षेत्रों से परिचित कराना।
7. केन्द्रों से सम्बन्धित पालकों और ग्रामीण जनता में उनके बच्चों को शिक्षित करने सम्बन्धी आवश्यकता और महत्व के प्रति जागृति उत्पन्न करना।
8. केन्द्र पर पंजीकृत शाला त्यागी छात्रों में स्वयं सीखने की भावना जाग्रत करना।

9. केन्द्रों की योजना, व्यवस्था परविक्षण, मूल्यांकन और शैक्षणिक मार्गदर्शन से सम्बन्धित उपकरण और प्रणालियों का विकास करना।

Tools and Techniques to asses perfomance of children of NFE Centres and Primary Schools, RCE Bhopal, 1984.

प्रस्तुत अध्ययन निरौपचारिक केन्द्रों के बालकों तथा बालिकाओं का शैक्षणिक स्वरूप, स्तर तथा परम्परागत शिक्षा पद्धति के प्राथमिक स्तर के बालक बालिकाओं के शैक्षिक स्तर की तुलना करके बनाये गये कुछ प्रश्न पत्रों का समूह है। जिसे बालक/बालिकाओं की आयु व ज्ञान के आधार पर स्तरों में बांटा गया है। ये प्रश्न पत्र निरौपचारिक शिक्षा केन्द्रों के बच्चों की उपलब्धि की जांच प्राथमिक शालाओं के बच्चों की तुलना में करते है। इस उपलब्धि परीक्षण में चार विषयों का आयोजन है - हिन्दी भाषा, सामान्य ज्ञान, पर्यावरणी शिक्षा एवं गणित। ये तीन प्रकार के आधारों पर तैयार किये गये है :-

1- ज्ञान 2- अवलोध (आत्मसात) 3- समायोजन

उसमें चार प्रकार के प्रश्न है :-

1. निबन्धात्मक
2. संक्षिप्त उत्तर
3. अत्यंत संक्षिप्त उत्तर
4. वस्तुनिष्ठ प्रश्न

कुल 1000 प्रश्नों का आयोजन है जिसे नरसिंहगढ़ के केन्द्र के बच्चों पर प्रयोग करके परीक्षण किया गया है। ये प्रश्न वैद्यता के आधार पर उचित पाये गये है।

Non-formal Education Centre of NCERT, in Rural areas of Western Region – A Report RCE, Bhopal 1985

यह अध्ययन केन्द्रों के सम्बन्ध में संगठनात्मक व्यवस्था केन्द्र शिक्षकों व पर्यविक्षकों के प्रशिक्षण शिक्षण सामग्री के विकास बच्चों की उपलब्धियां, समुदाय का

केन्द्रों के प्रति दृष्टिकोण पर आधारित है। साथ ही केन्द्र संचालन के अनुभवों पर भविष्य की रूपरेखा एवं संभावनाओं पर दृष्टिपात करता है।

"म०प्र० के आदिवासी एवं गैर आदिवासी क्षेत्रों में कार्यरत निरौपचारिक शिक्षा के समन्वयकों एवं पर्यविक्षाकों के लिए उन्मुखीकरण एवं कार्यगोष्ठी प्रतिवेदन"

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय, भोपाल, 1985

म०प्र० शिक्षा विभाग, राज्य शिक्षा संस्थान के सहयोग से क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय भोपाल द्वारा म०प्र० के आदिवासी तथा गैर आदिवासी क्षेत्रों में कार्यरत निरौपचारिक शिक्षा समन्वयाकों व पर्यविक्षाकों के लिए आयोजित किये गये उन्मुखीकरण कार्यक्रम तथा उत्पादक कार्यगोष्ठियों से सम्बन्धित यह प्रतिवेदन है। इसमें निरौपचारिक शिक्षा की शिक्षण विधियों, क्षेत्रीय सामग्री के उपयोग एवं मूल्यांकन आदि विषयों के सम्बन्ध में दिये गये मार्गदर्शन का उल्लेख है। साथ ही विभिन्न विषयों की 18 इकाइयों में से कुछ इकाई पर समन्वयकों एवं पर्यविक्षाकों द्वारा निर्मित पाठ योजनाओं को प्रस्तुत किया गया है। इसके लिये कहानी विधि, भ्रमण विधि, प्रश्नोत्तर विधि आदि के प्रयोग को भी दर्शाया गया है।

Instructional skills & related Instructional Materials for the Centre of NFE – An Eric Project Report RCE, Bhopal 1986.

इस योजना के निम्नांकित उद्देश्य दर्शाये गये है -

1. निरौपचारिक शिक्षा केन्द्रों के अध्यापकों के लिए आवश्यक निर्देशात्मक कौशलों को पहचानना।
2. इन कौशलों के विकास के लिए निर्देशनात्मक सामग्री तैयार करना।
3. योजना की प्राप्त उपलब्धि के साथ निरौपचारिक शिक्षा केन्द्रों एवं प्रौढ़ शिक्षा कार्यकर्ताओं की भागीदारी बढ़ाना।
4. योजना के विशिष्ट उद्देश्य निर्धारित किये गये :-

(अ) निरौपचारिक शिक्षा के भारतीय परिवेश के लिए वैध व व्यवहारिक कक्षा अवलोकन पद्धति तैयार करना।

(ब) निर्देशनात्मक कौशल के लिए उपयोगी कक्षागत अन्तक्रिया से सम्बन्धित आंकड़ों का संकलन करना।

(स) निरौपचारिक शिक्षा केन्द्रों के अध्यापकों के लिए वांछित निर्देशनात्मक कौशलों को पहचानना।

5. निरौपचारिक शिक्षा केन्द्रों के अध्यापकों के प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त निर्देशनात्मक सामग्री तैयार करना।

Universalisation of Primary Education. An Indepth Study of Policy, Administrative Staff – College of Education, Hyderabad 1986.

इस अध्ययन में औपचारिक तथा निरौपचारिक शिक्षा द्वारा बच्चों को किस प्रकार एक निश्चित अवधि में उपलब्धि प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया जाये। इन पहलुओं पर विचार व्यक्त किये गये है। इसके बाद राज्यों का अध्ययन है। अध्ययन में राज्यों में चलने वाले कार्यक्रमों का अवलोकन किया गया है एवं शिक्षाविदों, प्रशासकों, अध्यापकों व समुदाय के प्रतिनिधियों से विचार प्राप्त किये गये है।

3. पी-एच०डी० शोध समीक्षा :-

Chaturvedi, S.C. – Impact of Social Education on the life and living of people in block area in Distt. of Gorakhpur, Jhansi, Lucknow and Mathura, Ph.D. Social Work, Luc V. 1969.

निष्कर्ष :-

1. इन शहरों में तथा गांवों में लोगों का मुख्य व्यवसाय खेती है।
2. खेती के लिए परम्परागत पद्धति का उपयोग सभी करते हैं।

3. जिन्होनें नई तकनीकों का प्रयोग किया है उनके रहन - सहन में अन्तर आया है।
4. ग्राम सेविका, ग्राम लक्ष्मी आदि ने सामान्य ग्रामीण महिलाओं की अपेक्षा कोई अधिक प्रगति नहीं की।
5. समाज शिक्षा के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के जीवन पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा।

Butch, M.B. and Palasane, First survey of Education Evaluation of the prgress of Adult Education in operation under the pilot project Wardha Distt., Ph.D. Education, Nagpur V. 1974

यह अध्ययन वर्धा जिले के ग्रामीण अंचलों के लिए निरीक्षण, साक्षात्कार तथा प्रत्यक्ष दर्शन जैसे उपकरणों का सहयोग लेते हुये सम्पन्न किया गया है।

निष्कर्ष :-

1. 50 प्रतिशत पुरूष, 41 प्रतिशत स्त्रियां (21 - 31 आयु) महत्वकांक्षी होते है।
2. 31 प्रतिशत पुरूष, 55 प्रतिशत स्त्रियां परिपक्व समझदार व संयमी होते है।
3. उनका जीवन स्वयं पर निर्भर एवं देववादी होता है।
4. 61 प्रतिशत पुरूष, 76 प्रतिशत स्त्रियां अपने बच्चों को स्वस्थ्य रखना पसंद करती है।

Buch, M.B. – Second Survey of Research of Education, 1978.

इस संपादन के अध्याय 18 में प्रौढ़ शिक्षा सम्बन्धी शोध का अभिलेख किया गया है। किन्तु 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए निरौपचारिक शिक्षा से सम्बन्धित किसी शोध का उदाहरण प्राप्त नहीं होता।

Gupta Daljit, A Critical Study of NFE Programme (Age group 9-14) Run by Different Agencies in State of M.P., Ph.D. Education, Bhopal University, 1983

निष्कर्ष :-

1. सभी जरूरतमंद लोगों को आवश्यक स्तर तक शिक्षित करने के लिए निरौपचारिक शिक्षा केन्द्र अंशकालिक सुविधा प्रदान करने के लिए उपयोगी है।
2. राज्य शासन द्वारा खोले गये निरौपचारिक शिक्षा केन्द्रों की संख्या शाला में न आने योग्य छात्रों के अनुपात में कम है।
3. केन्द्रों को प्रारम्भ करने से पूर्व क्षेत्र विशेष का सर्वेक्षण आवश्यक है।
4. RCE के केन्द्रों का निर्देशक/अध्यापक स्थानीय व्यक्ति (समुचित पारिश्रमिक प्राप्त करने वाला है) जबकि राज्य शासन द्वारा संचालित केन्द्रों पर औपचारिक शालाओं के अध्यापकों को कुछ अतिरिक्त अल्प पारिश्रमिक देकर अध्यापन कार्य कराया जाता है तथा यह भुगतान भी समय पर नही होता।
5. राज्य शासन द्वारा संचालित केन्द्रों पर आयु ज्ञान स्तर के आधार पर छात्रों को श्रेणी विभाजन न करके इन्हें एक ही समुदाय में अध्यापन किया जाता है।
6. दोनों ही प्रकार के (NCERT व राज्य शासन द्वारा संचालित) केन्द्रों पर SUPW सम्बन्धी कोई कार्यक्रम नहीं चलाया जाता।
7. राज्य शासन के केन्द्रों के बच्चों को पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त सामाजिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक बातों और घटनाओं से सम्बन्धित कोई सहायक पठन सामग्री प्रदान नहीं की जाती है।
8. RCE के केन्द्रों पर अध्यापन में अभिप्रेरण, खेल विधि एवं प्रदर्शन पद्धति को अधिक महत्व दिया जाता है।
9. RCE के केन्द्रों पर छात्रों का सामयिक परीक्षण, अभिलेख, व्यवस्था, बोर्ड परीक्षा पास हुये छात्रों का विषयवार अंक उपलब्धि का रिकार्ड व्यवस्थित रूप में देखा गया जबकि राज्य शासन के केन्द्रों पर ऐसा नहीं है।
10. राष्ट्रीय, धार्मिक व सामाजिक उत्सव में भी RCE के केन्द्रों के बच्चे भाग लेते हैं।

सुझाव :-

राज्य शासन द्वारा संचालित केन्द्रों के लिए कुछ सुझाव इस प्रकार दिये गये है :-

1. निरौपचारिक शिक्षा के लिए राज्य में पृथक संचालक अथवा अतिरिक्त संचालक (जो केवल निरौपचारिक शिक्षा के प्रभारी हों) की व्यवस्था की जाना चाहिये।
2. पर्यविक्षण के लिए संभागीय स्तर से लेकर तहसील एवं ब्लाक स्तर तक समुचित योग्य व्यवित नियुवत किये जायें जिससे कि एक केन्द्र का माह में कम से कम दो बार निरीक्षण हो सके।
3. निरौपचारिक शिक्षा केन्द्रों पर निर्देशन यथा संभव स्थानीय उपलब्ध शिक्षित युवा जरूरतमंद लोगों को नियुक्त किया जाये।
4. जहाँ औपचारिक शालायें नहीं हैं उन गांवों में ऐसे निरौपचारिक शिक्षा केन्द्रों पर भी औपचारिक शिक्षा की संपूर्ण सुविधा उपलब्ध करायी जानी चाहिये।
5. केन्द्र प्रभारी की कठिनाईयों के निराकरण व उन्मुखीकरण सम्बन्धी कार्यक्रम यथा समय आयोजित किये जायें। जिससे कि शैक्षणिक ज्ञान प्रदान करने पर बल न देकर केन्द्र संचालन की दक्षाता बढ़ाने की ओर ध्यान दिया जाये। इस कार्य में राज्य शैक्षिक संस्थान की महती भूमिका अपरिहार्य है।
6. शिक्षा की मुख्य धारा से जुड़ने के लिए प्राथमिक केन्द्रों के अनुपात में ही उच्च स्तर के विद्यालय (माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक) छात्रों के लिए स्थानीय क्षेत्र में उपलब्ध कराना चाहिये।
7. निरौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम निश्चित ही प्राथमिक शालाओं की औपचारिक शिक्षा से भिन्न होना चाहिये। इसके लिए आवश्यकता और व्यवसाय आधारित पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाना चाहिये।
8. इसका उददेश्य पढ़ने के साथ कमाने जैसी प्रणाली का विकास करना होना चाहिये ताकि इसके द्वारा छात्र विद्यालय में अर्जित ज्ञान/अनुभव का उपयोग भावी जीवन में कर सकें।

9. इस कार्यक्रम में समुदाय की भागीदारी को बढ़ाने के लिये अधिक ध्यान दिया जाये ताकि समाज के व्यक्ति व्यवसाय की दक्षता/ज्ञान प्राप्त करके स्वरोजगार के लिये प्रेरित हो सकें।

10. आंतरिक व सामयिक मूल्यांकन को अधिक महत्व देते हुये इसका अभिलेख अध्यापक पर्यविक्षक तथा जिला स्तर अधिकारी द्वारा व्यवस्थित रखा जाना चाहिये।

11. छात्र द्वारा सभी इकाई पूर्ण कर लेने के बाद इसका मूल्यांकन एक दल द्वारा सम्पन्न होना चाहिये। जिसमें अध्यापक, पर्यविक्षक, जिला शिक्षा अधिकारी सम्मिलित रहें। इस दल को यह अधिकार हो कि वह छात्र को इस कार्यक्रम में सफल भागीदारी से सम्बन्धित प्रमाण पत्र दे सके। इसके पश्चात राज्य के अतिरिक्त संचालक द्वारा अभिलेखों के आधार पर प्रमाण पत्र जारी किया जाये। जो देश में किसी भी स्थान पर आवश्यक कार्यों के लिये मान्य हो।

उपर्युक्त साहित्य के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अभी तक के शोध कार्यों में निरौपचारिक शिक्षा में प्राथ० शिक्षा के लोकव्यापीकरण में 14 वर्ष तक की आयु वाले बच्चों से सम्बन्धित निरौपचारिक शिक्षा केन्द्रों की कार्य पद्धति, संचालन, संगठन वित्तीय व्यवस्था तथा छात्र - छात्राओं की शैक्षिक उपलब्धि तक शोध कार्य को सीमित रखा गया है। शोधकर्ताओं द्वारा निरौपचारिक शिक्षा केन्द्रों में अध्ययनरत छात्रों में होने वाले सामाजिक परिवर्तन के लिये निरौपचारिक शिक्षा की भूमिका से सम्बन्धित महत्वपूर्ण क्षेत्र को शोध का विषय नहीं बनाया गया। अतः उपर्युक्त अभाव की पूर्ति की दृष्टि से ही शोधकर्ता ने प्रस्तुत अध्ययन को आवश्यक समझकर यह प्रयास किया है।

x x x

तृतीय अध्याय

प्राथमिक शिक्षा का लोकव्यापीकरण

1. शिक्षा के लोकव्यापीकरण की आवश्यकता
2. प्राथमिक स्तर की शिक्षा के लोकव्यापीकरण में कठिनाईयां
3. नई शिक्षा नीति में प्राथमिक शिक्षा का लोकव्यापीकरण
4. प्राथमिक शिक्षा के लोकव्यापीकरण के मुख्य उद्देश्य
5. प्राथमिक शिक्षा के लोकव्यापीकरण हेतु अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग - यूनीसेफ परियोजनाएं
6. म०प्र० में प्राथमिक शिक्षा के लोकव्यापीकरण में नवाचार -

   i - पढ़ो कमाओ योजना

   ii - पनघट योजना

   iii - नई पाठ्य पुस्तकें

   iv - शिक्षा गारंटी योजना

   v - महिला पढ़ना-बढ़ना आन्दोलन

   vi - हैडस्टार्ट कम्प्यूटर समर्पित शिक्षा कार्यक्रम

   vii - ग्राम शिक्षा विकास योजना

तृतीय अध्याय

प्राथमिक शिक्षा का लोकव्यापीकरण

1. शिक्षा के लोक व्यापीकरण की आवश्यकता :-

ज्ञान की व्यापक वृद्धि तथा वैज्ञानिक प्रगति की द्रुतगति के कारण जीवन में भी परिवर्तन तेज रफ्तार से आ रहे है, फलतः पुरानी मान्यतायें टूट रही है, नई मान्यतायें उभर रही है और आदमी अपने जीवन में नाना प्रकार की समस्याओं की अनुभूति कर रहा है। इसके अतिरिक्त सांस्कृतिक, सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक भिन्नताओं के कारण भी हर बालक की विशिष्ट आवश्यकतायें होती है किन्तु औपचारिक स्कूली शिक्षा के संगठन, पाठ्यक्रम, समयावधि, स्थान आदि में इतनी रूढ़ता तथा निश्चितता होती है कि वह शिक्षा को शिक्षार्थी की व्यक्तिगत आवश्यकता के अनुरूप लचीली तथा गत्यात्मक बना सकने की क्षमता को सीमित कर देती है भारतीय संविधान में सभी के लिये शिक्षा के समान अवसरों के प्रावधान का लाभ मिलने और शिक्षा के लोक व्यापीकरण की दिशा में औपचारिक शिक्षा प्रणाली की सीमायें ही बाधक होती हैं। *

1. यह अत्यधिक औपचारिक व अलचीली होती है।
2. विद्यार्थी के जीवन तथा जीविका से घनिष्ठ रूप से संबंधित नही है तथा विभिन्न सामाजिक, आर्थिक पृष्ठ भूमि के विद्यार्थियों की पहुँच के बाहर रहती है इस प्रणाली द्वारा सभी को शिक्षित करने के लिये हमारे वित्तीय साधन पर्याप्त नही है।

इस शिक्षा प्रणाली में व्याप्त विश्वास और मान्यतायें ** जनसाधारण को शिक्षित करने में अवरोधक होते हैं।

---

* *Shrivastava Om – Curriculam Construction of NFE, IJAE April/May 1976, Vol. 37, No. 4-5*

** *Shah G.B. – Non formal Education for woman, IJAE, June 1976, Vol. 37, No. 6*

" Learning is equal to listening,

Teaching is equal to telling

and education is equal to schooling."

केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा गठित प्राथमिक शिक्षा के लोक व्यापीकरण (1977) के लिये निरौपचारिक शिक्षा सम्बंधी कार्यकारी दल का विचार स्पष्ट है -

" .... The goal of universal elementary education can and should be achieved through full time schooling and part time education; but either should be done without sacrificing the basic minimum knowledge of literacy, humeracy and inculcation of the Social and Civic responsibilities and in both these option the content of education should be meaningful and relevant to the Socio-economic milicy and needs. Content of either channel should be such as does not thwart the scope of vertical mobility."

भारतीय संविधान की धारा 45 के अनुसार प्रत्येक नागरिक को नि:शुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान है संविधान लागू होने के 10 वर्ष के भीतर इस लक्ष्य की पूर्ति का संकल्प किया गया। इस अवधि को क्रमशः बढ़ाते हुये सन् 1990 तक लक्ष्य पूर्ति की संभावना व्यक्त की गई थी। सन् 1977 में तत्कालीन केन्द्रीय शिक्षा मंत्री ने संसद में शिक्षा के लोकव्यापीकरण को निर्धारित समयावधि में प्राप्त करने की संभावना की घोषणा की थी। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग द्वारा प्राथमिक शिक्षा के लोक व्यापीकरण हेतु सितम्बर 1977 में एक कार्यकारी दल की व्यवस्था की गई थी। इस दल ने समस्या की गम्भीरता को ध्यान में रखते हुये निरौपचारिक शिक्षा की दृष्टि से छात्रों के तीन लक्ष्य समूह बनाये थे -

1. कमजोर वर्ग के बच्चे जो कभी शाला में नहीं गये अथवा शाला जाकर कुछ दिन बाद छोड़ गये।

2. गृहिणी, माता अथवा नागरिक की आवश्यकताओं के अनुकूल शैक्षिक कार्यक्रम की इच्छुक *6-14* वर्ष आयु समूह वाली बालिकायें जो प्रचलित प्राथमिक शालाओं के कार्यक्रमों के प्रति आकर्षित न हो सकी।
3. ऐसे बालक जो अपने पैतृक धन्धे यथा - कृषि, बुनाई, कारपेंट्री, कुंभकारी आदि में व्यस्त है, इन्हें अंशकालिक सामान्य शिक्षा की आवश्यकता है।

केन्द्रशासित व अन्य राज्यों में प्राथमिक शिक्षा के लोकव्यापीकरण हेतु व्यवस्था में दो घटक मान्य किये गये -

1. विरल जनसंख्या वाले क्षेत्रवासियों की आवश्यकता को ध्यान में रखकर औपचारिक शालाओं की संख्या वृद्धि एवं उन्नयन।
2. निरौपचारिक शिक्षा का ऐसा व्यापक कार्यक्रम जो विभिन्न स्तर वाले व पिछड़े वर्ग के लोगों की आवश्यकता पर आधारित हो।

बीस सूत्रीय कार्यक्रम के बिन्दु सोलह के अनुसार *6-14* वर्ष के बच्चे विशेषकर बालिकाओं की शिक्षा को प्रधानता देने का उद्देश्य "प्राथमिक शिक्षा का लोक व्यापीकरण" कार्यक्रम की ओर उन्मुख होने का ही प्रयास है।

2. प्राथमिक स्तर की शिक्षा के लोकव्यापीकरण में कठिनाईयां :-

देश में शिक्षा के लोक व्यापकीकरण हेतु निम्न समस्याओं को ध्यान में रखा गया है -

1. सुविधा एवं व्यवस्था सबंधी।
2. शाला प्रवेशी संबंधी।
3. स्थिरता संबंधी।
4. गुणात्मक या सुधार संबंधी।

प्राथमिक स्तर के लिये श्री आर०के० भण्डारी द्वारा उल्लिखित शिक्षा के लोक व्यापीकरण में कठिनाईयां व निराकरण निम्न है -

1. शिक्षा के लोक व्यापीकरण की समस्या को एक अत्यंत अल्पकालीन द्रुतगामी कार्यक्रम के अन्तर्गत हल किया जाना चाहिये, जिसकी अवधि *10* वर्ष के भीतर होनी चाहिये। इसको स्थगित करने से जनसंख्या वृद्धि के साथ मात्रा तथा कोटि दोनों की दृष्टि से और अधिक कठिनाइयां उत्पन्न होंगी।
2. भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा गठित प्रारंभिक शिक्षा के लोक व्यापीकरण के दल ने इस लक्ष्य को औपचारिक और गैर-औपचारिक प्रणाली में बांटने की भी सिफारिश की थी क्योंकि विभिन्न शैक्षिक, सामाजिक और आर्थिक कारणों से सभी अतिरिक्त बच्चों को औपचारिक स्कूली प्रणाली के अन्तर्गत लाना कठिन होगा। इस कार्यक्रम को सफल बनाया जा सकता है, यदि समाज के कमजोर वर्ग के बच्चों तथा विशेषकर लड़कियों को भी जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है। जो गैर दाखिल बच्चों की विपुल मात्रा का एक महत्वपूर्ण अंग है तथा जो आर्थिक और सामाजिक कारणों से पूर्णकालिक आधार पर स्कूलों में नही जा सकते है, शामिल करने के लिये अंशकालिक और गैर औपचारिक शिक्षा की प्रस्तावित योजना को गंभीरता से तैयार किया जाये।
3. प्रारंभिक शिक्षा के लोक व्यापीकरण की जो दूसरी जटिलता है वह है बहुत बड़े पैमाने पर स्कूल छोड़ने वाले बच्चों, अध्ययन करने वाले बच्चों के लिये प्राथमिक शिक्षा के पाठ्यचर्या को प्रासंगिक और आकर्षक बनाया जाना चाहिये। इस समस्या को हल करने के लिये छात्रों की विभिन्न स्थानीय आवश्यकताओं और हितों को पर्याप्त रूप से पूरा करने की दृष्टि से इसमें परिवर्तन किया जाना चाहिये।
4. बच्चों को स्कूल में रोके रखने की दर में सुधार करने के लिये *6* वर्ष के बच्चों को कक्षा *1* में दाखिल दिया जाना चाहिये ताकि प्रारंभिक कक्षाओं में एक समान

---

* देखें प्रारंभिक शिक्षा को व्यापक बनाना - एक मुश्किल काम
आर०के० भण्डारी - शिक्षा विवेचन जुलाई *1979*

आयु के बच्चे रहें और एक ही कक्षा में बार-बार पढ़ने वालों की व्यवस्था को समाप्त करके उन्नति की प्रणाली को लागू किया जा सके।

5. फर्जी दाखिलों से बचने के लिये दाखिले पर जोर न देकर उपस्थिति पर जोर दिया जाना चाहिये। प्रारंभिक स्कूलों के कर्मचारियों को सारी व्यवस्था मात्र दाखिले के आधार पर करने की अपेक्षा औसत उपस्थिति के आधार पर की जानी चाहिये। विशेष रूप से स्थानीय स्तर पर की जाने वाली देखभाल को सुदृढ़ किया जाना चाहिये और स्थानीय क्षेत्र अधिकारी को लड़के तथा लड़कियों के अलग-अलग वास्तविक दाखिलों के लक्ष्यों और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के बच्चों के अलग-अलग स्त्री-पुरूष के आधार पर दाखिले के लक्ष्यों को तैयार करने को उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिये। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने की दृष्टि से इस योजना को लागू करने के लिये भी उसे उत्तरदायी बनाया जाना चाहिये।

6. माध्यमिक (*11-14* आयु वर्ग की) शिक्षा को व्यापक बनाने की समस्या बहुत बड़ी है और कम आयु वर्ग की शिक्षा से कुछ भिन्न है। इस समूह में बच्चों के ये तीन वर्ग आते हैं -

   (क) वे बच्चे जिन्होंने कक्षा *5* से स्कूल छोड़ दिया है।

   (ख) जो कभी स्कूल गये ही नहीं हैं, और

   (ग) वे बच्चे जो कक्षा *6-8* में कम उम्र के बच्चों के साथ पढ़ रहे हैं।

अतः इस आयु वर्ग के स्कूल में न जाने वाले बड़ी संख्या में बच्चों की स्कूलों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये अंशलिक और गैर औपचारिक शिक्षा के विशेष कार्यक्रमों के आयोजन के काम को अगली योजना में आरंभ करने की जरूरत है।

7. शिक्षा को व्यापक बनाने का कार्यक्रम तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक कि समाज को इसके साथ-साथ शिक्षित न किया जाये और उनके बच्चों के लिये इसकी उपयोगिता के प्रति उनमें विश्वास पैदा न किया जाये। शिक्षा की आवश्यकता के लिये जनमत तैयार करने की दृष्टि से रेडियो, फिल्मों, टेलीविजन

जैसे जन संचार के साधनों का प्रयोग किया जाना चाहिये शिक्षा के लोक व्यापीकरण के इस कार्यक्रम को वास्तव में प्रौढ़ शिक्षा के कार्यक्रम के साथ चलाया जाना चाहिये।

8. लोक व्यापीकरण के कार्यक्रम के सफलता पूर्वक कार्यान्वयन की अंतिम तथा अत्यंत महत्वपूर्ण तरकीब शायद विकास खण्ड अथवा गांव को शैक्षिक प्रशासन और आयोजन का मुख्य केन्द्र बनाने की आवश्यकता है। स्थानीय प्रशासन को मजबूत बनाने की आवश्यकता है जिसे इस कार्यक्रम को तैयार करने और कार्यान्वित करने में सक्रिय रूप से शामिल किया जाना चाहिये। इसके बदले में स्थानीय प्रशासन को चाहिये कि वह इस कार्यक्रम में ग्राम पंचायत और ग्राम स्कूल समितियों के माध्यम से इस कार्यक्रम में स्थानीय समाज को शामिल करें, जिसमें मुख्यत: गैर दाखिल बच्चों के माता-पिता भागीदारी करें।

3. नई शिक्षा नीति में प्राथमिक शिक्षा का लोक व्यापीकरण :-

संविधान की धारा *45* के अनुसार *14* वर्ष की आयू समूह के बच्चों के लिये नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है गत वर्षों में शालाओं में छात्रों की पंजीयन संख्या बढ़ाने की दिशा में अनेकों प्रयास किये गये फिर भी अनेकों छात्र प्राथमिक शिक्षा से वंचित ही बने रहे। *6-11* वर्ष आयु के बच्चों का पंजीयन लगभग *95* प्रतिशत तथा *11-14* वर्ष की आयु समूह के बच्चों का *50* प्रतिशत हो सका जबकि क्रमश: इस आयु की बच्चियों का पंजीयन *77* प्रतिशत व *36* प्रतिशत ही रहा। शाला त्यागी बच्चों की संख्या कक्षा *1-8* के लिये *60* प्रतिशत तथा *1-8* के लिये *75* प्रतिशत पाई गई। अधिक विस्तार और संसाधनों की कम लागत के कारण छात्रों की गुणवत्ता में गिरावट देखने में आई। इस उद्देश्य से निरौपचारिक शिक्षा के कार्यक्रम भी आयोजित किये गये और शिक्षा के लोक व्यापीकरण की योजनायें बनाई गई।

नई शिक्षा नीति में प्राथमिक शिक्षा के प्रति अधोलिखित दृष्टिकोण रखा गया है -

1. *14* वर्ष आयु समूह के छात्रों का सार्वभौमिक पंजीयन करके शिक्षा पूर्ण होने तक उन्हें शाला में रोका जाये।

2. शिक्षा की गुणवत्ता में सारभूत सुधार लाया जाये।

3. शिक्षा को बालक केन्द्रित बनाने के लिये शैक्षणिक कार्यक्रम और शालेय क्रियाकलापों के सम्बंध में विस्तार किया गया तथा शाला भवन और वातावरण सुधारने और आकर्षक बनाने का विचार सामने आया। अनेकों प्रयत्नों के द्वारा बालिकाओं और छात्रों को (विशेषकर अनुसूचित जाति एवं जनजाति) को विद्यालय में लाने का प्रयास किये जाने पर बल दिया गया है।

4. शिक्षा नीति की यह भी मंशा है कि विभिन्न उद्योगों में कार्य करने वाले शाला अप्रवेशी बच्चों को शिक्षा की सुविधा पहुँचाने के लिये निरौपचारिक शिक्षा के व्यवस्थित कार्यक्रम द्वारा अधिक से अधिक संख्या में विद्यालय की ओर आकर्षित किया जाये इस कार्य के लिये स्वैच्छिक संगठनों के सहयोग की भी अपेक्षा की गई है।

5. प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिये विषय वस्तु शिक्षण क्रिया शाला भवन अन्य सुविधायें एवं अतिरिक्त अध्यापकों तथा शिक्षक शिक्षा के सुगठित कार्यक्रमों से संबंधित सुधारों को सम्मिलित किया जाये। प्रत्येक स्तर के लिये (प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक) न्यूनतम अधिगम के स्तरों का निर्धारण किया जाये। प्राथमिक शिक्षा के लोक व्यापीकरण के साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति में संपूर्ण राष्ट्र के लिये *10+2+3* की सामान्य शिक्षण योजना निर्धारित की है। विशेषकर प्राथमिक शिक्षा के पांच वर्षीय पाठ्यक्रम के पश्चात तीन वर्ष का उच्च प्राथमिक (माध्यमिक) पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया।

6. विगत वर्ष में शिक्षा के लोक व्यापीकरण के अपूर्ण कार्यक्रमों को जारी रखना आवश्यक समझा गया और यह संभावना व्यक्त की गई कि सभी बच्चे *11* वर्ष आयु पहुँचने तक *5* वर्षीय शालेय पाठ्यक्रम पूरा कर लेंगे अथवा औपचारिक शिक्षा उन्हें इस पाठ्यक्रम के समतुल्य बना सकेगी साथ ही साथ ही अपेक्षा की गई कि *14* वर्ष आयु वाले सभी बच्चों को सन् *1995* तक निःशुल्क एवं आवश्यक शिक्षा प्रदान की जायेगी*।

4. प्राथमिक शिक्षा के लोक व्यापीकरण के मुख्य उद्देश्य :-

1. समस्त बालक-बालिकाओं के सन् *2003* तक प्राथमिक शाला/शिक्षा गारंटी शाला या इनके समतुल्य शाला में दर्ज कराना।
2. समस्त बच्चे सन् *2007* तक पाँच वर्ष की प्राथमिक शिक्षा पूरी करें।
3. समस्त बच्चे सन् *2010* तक माध्यमिक स्कूल स्तर की शिक्षा पूरी करें।
4. सामाजिक तथा जैण्डर असमानताओं को प्राथमिक शिक्षा में *2007* तक और उच्च प्राथमिक शिक्षा में सन् *2010* तक समाप्त करना।
5. सन् *2010* तक सफल प्रतिधारण दर को कम से कम *90* प्रतिशत तक लाना।
6. यह सुनिश्चित करना कि समस्त बच्चों को सन्तोषजनक और गुणवत्ता वाली शिक्षा हासिल हो।

पिछड़े हुये राज्यों में जन सामान्य की प्रगति के लिये शासन द्वारा शिक्षा में किये जाने वाले प्रयत्नों पर दृष्टिपात करना उचित होगा -

---

* एलीमेन्ट्री एज्यूकेशन ऑन फारमल एज्यूकेशन एनेक्सर - *II* (एन०एफ०ई० बुलेटिन एन०सी०ई०आर०टी० देहली, वोल्यूम *5*, नं. *1*, जून *1987* पृष्ठ *6-13*

राष्ट्रीय स्तर पर प्राथमिक शिक्षा के लोकव्यापीकरण की दिशा की नई योजना की संरचना निम्न प्रकार रहेगी* -

1. उच्च कोटि की प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करने हेतु देश के सभी परिवारों के बच्चों को सुविधा प्रदान की जायेगी।
2. असमानता दूर करने के लिये शिक्षा की भूमिका को ध्यान में रखकर विशेष उपाय किये जायेंगे जिससे कि किसी भी आर्थिक सामाजिक स्तर से आये हुये बच्चों के उच्च वर्ग के बच्चों की तुलना में सफलता के लिये समान अवसर प्राप्त हो सकें। इस उपाय द्वारा *1986* की राष्ट्रीय नीति में उल्लिखित सामान्य स्कूल प्रणाली की दिशा में देश बढ़ सकेगा।
3. वर्तमान में प्रचलित संस्थागत अवरोध तथा सामाजिक उदासीनता को दूर करने के लिये राष्ट्रव्यापी बहुस्तरीय तथा बहुआयामी कार्यशाला सुधार के लिये आयोजित किये जायेंगे।
4. देश भक्ति तथा भावी पीढ़ी की जागरूकता का भाव बच्चों में विकसित करने का प्रावधान प्राथमिक शिक्षा में किया जायेगा।
5. उच्च कोटि की पूर्णकालिक शालाओं में सभी बच्चों को स्वास्थ्य, वातावरण और स्वतंत्रता तथा गौरव का अनुभव कराने की व्यवस्था की जायेगी परन्तु समय की प्रतीक्षा न करते हुये यह कार्य अंशकालिक निरौपचारिक शिक्षा द्वारा सम्पन्न किया जाता रहेगा।
6. चूँकि राष्ट्रीय प्राथमिक शिक्षा की मान्यता के अनुसार किसी विशेष स्तर पर की शिक्षा को पूर्ण करके बच्चे कुछ निश्चित कौशल व क्षमताओं को अर्जित कर लेते हैं अतः अब केवल उनके पंजीयन तक सीमित न रहकर शिक्षा की गुणवत्ता को और ध्यान दिया जायेगा।

---

* *Implementationm strategies, Elementry Education, Nonformal education Annexure – II, NFE Bulletin NCERT Bulletin, June 1987, Vol. V, no. 1*

7. प्राथमिक शिक्षा की स्थिति देश के विभिन्न भागों में एक ही जिले में अथवा ब्लॉक के ही क्षेत्रों में भिन्न हो जाती है इसलिये शिक्षा योजना की क्रिया को विकेन्द्रित किया जायेगा तथा इस कार्य में स्थानीय समुदाय एवं अध्यापकों को पूर्ण भागीदार बनाया जायेगा।

5. प्राथमिक शिक्षा के लोक व्यापीकरण हेतु अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग : -

देश में प्राथमिक शिक्षा के गुणात्मक एवं संख्यात्मक विकास के लिये यूनिसेफ देश को राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद नई दिल्ली के माध्यम से सहायता करता जा रहा है। सन् *1970* से राज्यों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर अनेक प्रकार की योजनायें आरंभ की गई। मध्यप्रदेश भी उन नौ राज्यों में से एक है जो शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े हुये हैं। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने निम्नलिखित योजनायें प्रदेश में आरंभ की हैं -

1. परियोजना क्रमांक - *1* शालेय विज्ञान शिक्षण
2. परियोजना क्रमांक - *2* प्राथमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम का नवीनीकरण
3. परियोजना क्रमांक - *3* सामुदायिक शिक्षा एवं सहयोग की विकासात्मक गतिविधियाँ
4. परियोजना क्रमांक - *4* पोषण स्वास्थ्य एवं परिवेश स्वच्छता शिक्षा योजना
5. परियोजना क्रमांक - *5* प्राथमिक शिक्षा व्यापक उपागम योजना

परियोजना क्रमांक - *1* शालेय विज्ञान शिक्षण :-

यह योजना सन् *1970* में एन०सी०ई०आर०टी० के माध्यम से आरंभ की गई थी। क्रमशः धीरे-धीरे इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश के समस्त प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय ले लिये गये हैं। इस योजना के मुख्य उद्देश्य अग्रांकित हैं -

1. प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का पुर्नगठन एवं विस्तार।
2. विज्ञान शिक्षण को प्रभावशाली बनाना।
3. पाठ्यक्रम को समुन्नत करना।
4. पाठ्य पुस्तकों, शिक्षकों एवं उपयुक्त प्रयोगशालाओं की व्यवस्था करना।

इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश के अधिकांश सहायक शिक्षकों को विज्ञान शिक्षण प्रशिक्षण ग्रीष्म अवकाश के शिविर लगाकर दिया गया था। यूनिसेफ से आये विज्ञान किट का प्रदर्शन और उसकी सामग्री के उपयोग का प्रशिक्षण भी दिया गया था।

इस योजना के क्रियान्वयन में प्रारंभिक त्रुटियों के कारण आशातीत सफलता नहीं मिल पाई है। योजना में सभी शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया था इसमें जिन शिक्षकों ने गणित और विज्ञान का अध्ययन कभी नहीं किया, उन्हें यह शिक्षण कठिन लगा तथा अधिक उम्र के कारण ज्ञानार्जन भी नहीं कर सके। ग्रीष्म अवकाश के कारण मई-जून में शिक्षक अधिक लगन से कार्य नहीं कर सके। सबसे बड़ी कमी विज्ञान किट के सम्बंध में वस्तुओं की टूट फूट के भय के कारण, शासकीय नियमानुसार वसूली के कारण विज्ञान किट का आधे से अधिक विद्यालयों में उपयोग नहीं हो पा रहा है।

उपर्युक्त कमियों के बावजूद अनेक शिक्षकों व विद्यार्थियों को इस योजना का लाभ मिल रहा है। अब विज्ञान शिक्षण का कार्य - शिक्षा संचालनालय एवं राज्य विज्ञान संस्थान देख रहे हैं।

परियोजना क्रमांक-2-प्राथमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम का नवीनीकरण :-

मध्यप्रदेश शिक्षा ने राष्ट्रीय शिक्षक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद नई दिल्ली के सहयोग से इस योजना को 1977 में प्रारंभ किया था इसके मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है-

1. सुविधा युक्त बालक/बालिकाओं के लिये जीवन से सम्बन्धित पाठ्क्रम को विकसित करना।
2. प्राथमिक शिक्षा में अपव्यय और अवरोधन को कम करने का प्रयास करना।
3. आदिवासी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा सुविधाओं का गुणात्मक विकास करना।
4. बालक बालिकाओं में स्थानीय परिवेश के माध्यम से सीखने की प्रवत्ति को विकसित करना।
5. नवीन विकसित पाठ्यक्रम का चुने हुये प्रायोगिक विद्यालयों में परीक्षण करना तथा उसमें सुधार करना।

परियोजना के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुये नया पाठ्यक्रम दैनिक जीवन के आधार पर बनाया गया है तथा राज्य शैक्षिक संस्थान, भोपाल और एन०सी०ई०आर०टी० द्वारा कक्षा *1* से *5* तक के लिये शिक्षण सामग्री तैयार की गई है।

परियोजना क्रमांक -*3* -सामुदायिक शिक्षा एवं सहयोग की विकासात्मक गतिविधियाँ :-

इस योजना के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं -

1. शिक्षा को प्रभावी, व्यावहारिक एवं सार्थक बनाने के लिये समग्र समुदाय का सहयोग प्राप्त करना।
2. समुदाय के सदस्यों को स्वास्थ्य, स्वच्छता, नागरिकता, पोषण आहार तथा व्यावहारिक शिक्षा से अवगत कराना तथा शिक्षा के विकास में उनका सक्रिय सहयोग प्राप्त करना।
3. विभिन्न आयु समूह *0-35* आयु वर्ग के सहभागियों को उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप जीवनोपयोगी ज्ञान प्रदान करना।
4. समुदाय के सदस्यों से उनकी क्षमतानुसार क्रियात्मक शिक्षा के कार्यक्रमों में सहयोग प्राप्त करना।

इस योजना में *6-14* वर्ष के वे बालक-बालिकायें भी आ जाते है जो शिक्षा से वंचित रखते है। समाज के सदस्यों में गर्भवती मातायें, युवक, युवतियां और प्रौढ़ महिला - पुरूष भी आते है। इस प्रकार उन सभी की व्यावहारिक शिक्षा का प्रभाव शिक्षा के लोकव्यापीकरण पर अवश्य पड़ेगा और शिक्षा के प्रसार में समुदाय का सहयोग प्राप्त होगा।

मध्यप्रदेश में यह योजना *1976* में बुनियादी प्रशिक्षण संस्थान पेन्ड्रा, जिला विलासपुर, कुण्डेश्वर, जिला टीकमगढ़ और पिपलौद, जिला रतलाम से चलाई गई थी।

इस योजना का संचालन राज्य शिक्षा संस्थान, भोपाल के द्वारा किया जा रहा है यहां एक प्रकोष्ठ स्थापित किया गया था।

परियोजना क्रमांक -4 - प्राथमिक शालाओं में पोषण, स्वास्थ्य एवं परिवेश स्वच्छता शिक्षा :-

इसका आरंभ 1977 में मण्डल जिले में चुने हुये विद्यालयों में किया गया तथा परीक्षण कार्य पूरा होने पर दूसरे चरण में ग्वालियर संभाग में योजना का विस्तार किया गया है। इस योजना के उद्देश्य निम्नलिखित है -

1. भोज्य खाद्य पदार्थों के संबंध में ज्ञान देना और उनके पोषक तत्वों का महत्व बताना।
2. उपलब्ध खाद्य पदार्थों को स्वादिष्ट बनाना एवं उसको पौष्टिक बनाने का प्रयास करना।
3. खाद्य पदार्थों का उत्पादन संबंधी ज्ञान देना। भोज्य पदार्थों का संरक्षण करने का ज्ञान देना।
4. भोजन की आवश्यकता, उचित पोषण, मानसिक विकास आदि के सम्बंध में ज्ञान देना।

परियोजना क्रमांक-5 - प्राथमिक शिक्षा व्यापक उपागम :-

इस योजना का आधार सार्वजनिक प्रारंभिक शिक्षा के लक्ष्य को अंशकालिक अथवा पूर्णकालिक शिक्षा के माध्यम से नये तथा औपचारिक एवं निरौपचारिक शिक्षा के मिले-जुले रूप द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। इस परियोजना के मुख्य उद्देश्य निम्न हैं -

1. ऐसे बालक-बालिकायें जो किन्हीं कारणों से विद्यालयों में नहीं गये अथवा जिन्होंने बीच में ही छोड़ दिया, के लिये विशेष पाठ्यक्रम और शिक्षण सामग्री तैयार करना।
2. यह विशेष तैयार सामग्री इन बालकों के लिये तात्कालिक रूप से संबंधित हो।
3. शिक्षण सामग्री का लक्ष्य इन बालकों के लिये लिखने और पढ़ने तथा गणित ज्ञान के साथ - साथ उनके जीवन में गुणात्मक सुधार करना है।

पाठ्यक्रम :-

इस योजना में पाठ्यक्रम निर्माण विक्रेन्द्रित होगा तथा क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं द्वारा क्षेत्रीय पर्यावरण, वातावरण और आर्थिक परिप्रेक्ष्य में बनाया जायेगा परंतु निम्नलिखित बातों का ध्यान रखने पर बल दिया जाता है -

1. पाठ्यक्रम का छात्रों के व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन से संबंध हो।
2. पाठ्यक्रम का समुदाय की आवश्यकताओं से संबंध हो तथा समाज की समस्याओं पर विशेष बल दिया जाये।
3. पाठ्यक्रम की विषय सामग्री वास्तविक परिवेश की समस्याओं पर आधारित हो।
4. समाजोपयोगी उत्पादक कार्य और समाज सेवा इस शिक्षा के महत्वपूर्ण अंग बनें।

6. मध्यप्रदेश में प्राथमिक शिक्षा के लोकव्यापीकरण में नवाचार :-

i- पढ़ो-कमाओ योजना :-

शिक्षा के लोक व्यापीकरण की समस्याओं का विश्लेषण करने पर आर्थिक कारण सबसे महत्वपूर्ण दिखायी देता है । मध्यप्रदेश शासन ने खादी ग्रामोद्योग अपनी पूँजी लगाकर कुटीर उद्योग का प्रसार करेगा और अन्य केन्द्रों की तरह उत्पादन सामग्री पर श्रम का लाभ देगा। शिक्षा विभाग अपने विद्यार्थी, शिक्षक देकर कार्य करने वाले लोग इस कुटीर उद्योग में लगा देगा, साथ ही उत्पादक वस्तु का सीधा क्रय करेगा।

खादी ग्रामोद्योग और शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने बैठक में निर्णय लिया कि शालाओं में उन वस्तुओं का उत्पादन आरंभ किया जाये, जिन्हें शिक्षा विभाग भारी मात्रा में बाहर से खरीदता है। टाटपट्टी और चॉक बनाने का कार्य हाथ में लेने के लिये उद्योग शिक्षकों को थोड़ी प्रशिक्षण प्रक्रिया के बाद *1978* में यह योजना आरंभ की गई। छात्रों को परिश्रम के फलस्वरूप पारिश्रमिक मिलने पर उनमें लगन जागी और वे ग्रीष्मावकाश में भी काम करने के लिये तैयार थे।

इस प्रकार बनाई गई टाटपट्टियों और चॉक को शासन ने ही खरीदकर विक्रय शक्ति को बढ़ाया।

इस शिक्षा के निम्नलिखित उद्देश्य निर्धारित किये गये -

1. शिक्षा के लोक व्यापीकरण में सहायता।
2. अपव्यय और अवरोधन में कमी।
3. उद्योग की ओर उन्मुखीकरण।
4. परिश्रम के महत्व को जानना।
5. समय का सदुपयोग।

योजना का विस्तार :-

मध्यप्रदेश शासन और खादी ग्रामोद्योग विभाग ने इस योजना के विस्तार की योजना क्रमशः लागू की है। *1980-81* तक टाटपट्टी बनाने के *130* केन्द्र, काष्ठकला के *6* केन्द्र, चॉक बनाने के *95* केन्द्र, चपड़ा (सीलिंग वेक्स) बनाने के *10* केन्द्र तथा केवल बालिकाओं के लिये अगरबत्ती बनाने के *20* केन्द्र स्थापित किये गये थे।

ii- पनघट योजना :-

प्रदेश में शिक्षा के प्रसार में प्रगति हो रही है परंतु अध्ययन करने पर पता लगता है कि प्रगति के मार्ग में बालिकाओं का शिक्षा में रूचि न लेना अधिक बड़ी बाधा का कारण है।

मध्यप्रदेश शासन ने एक नवाचार आरंभ किया, जिसका नाम "पनघट" योजना है। "पनघट" शब्द का अर्थ उस स्थान से लिया गया है जहां गांव या समाज की बालिकायें एवं महिलायें एकत्रित होती है, पानी भरती है और आपस में वार्तालाप करती है।

इस योजना में शिक्षण पर कम परंतु परस्पर सम्पर्क एवं विश्वास पर अधिक बल दिया गया है योजना का आधार उस गांव, नगर या समाज के सदस्यों की आवश्यकतायें और वहां का वातावरण होता है। इस योजना में विद्यार्थियों का मूल्यांकन लिखित में नहीं होता। इसमें स्थान, अवधि, समय, शिक्षण विधि तथा पाठ्यक्रम समूह, बालिकाओं की

आवश्यकता और रूचियों के अनुसार होते हैं। इस योजना में पाठ्य सामग्री के साथ-साथ विश्राम, मनोरंजन, सांस्कृतिक कार्यक्रम, श्रमदान, कथा, भजन एवं रामायण पाठ आदि का आयोजन इस प्रकार किया जाता है जिससे बालिकायें अपने अनुभवों से कुछ सीख सकें। शिक्षिकाओं का चुनाव करते समय उनकी परिस्थितियों के अनुसार सामंजस्य, स्थान विशेष की भाषा बोलना, समझना, कथा, कीर्तन, भजन सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन करने की क्षमता पर विशेष ध्यान दिया जाता है।

यह योजना इस सिद्धांत पर आधारित है कि सीखना, कार्य करना तथा जीवन की विभिन्न परिस्थतियों में आपस में यह संबंध है। यह योजना बालिकाओं एवं महिलाओं के लिये निरौपचारिक शिक्षा के रूप में एक अभिनय प्रयोग है।

iii- नई पाठ्यपुस्तकें :-

शिक्षा के लोक व्यापीकरण की दिशा में अनेक महत्वपूर्ण प्रयास चल रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर की विभिन्न स्तर की पाठ्यपुस्तकें बना रही हैं, जो बालकों के लिये, शिक्षकों के लिये और अनुसंधानकर्ताओं के लिये लाभप्रद है।

मध्यप्रदेश राज्य शिक्षा संस्थान और राज्य प्रशिक्षण मण्डल ने इस समस्या को सन *1979* में उठाया और पाया कि प्रदेश का अधिकांश भाग (लगभग *95* प्रतिशत) ग्रामों में, जंगलों में, पहाड़ों पर रहता है परन्तु प्रदेश की पाठ्यपुस्तकों में उनकी संस्कृति, उद्योग धन्धे, भूमि, इतिहास, भूगोल, व्यापार, रीति - रिवाज और रहन सहन का वर्णन हमारी प्रचलित पाठ्यपुस्तकों में नही होता।

इस समस्या का विकल्प देखने की दृष्टि से यह निर्णय लिया गया है कि वर्तमान पाठ्यक्रम को ग्रामीण परिवेश, वन्य परिवेश और महिलाओं तथा बालिकाओं के घर गृहस्थी के परिवेश से जोड़कर जीवनोपयोगी बनाया जाये। मध्यप्रदेश के विभिन्न परिवेशों को ध्यान में रखकर निश्चय किया गया कि प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित पाठ्यपुस्तकें तैयार की जायें -

(अ) ग्राम भारती।

(ब) माँ भारती।

(स) बालिका भारती।

(द) गृह भारती।

(अ) ग्राम भारती :-

ग्राम भारती पुस्तक पाठ्यक्रमों का पुनर्गठन ही नही है वरन् यह अपने आप में पूर्ण दर्शन है। इस पुस्तक में मध्यप्रदेश शासन और प्राथमिक स्तर का प्रस्तावित एवं स्वीकृत पाठ्यक्रम तो रहेगा ही, परन्तु पाठ्यक्रम की अवधारणायें बालक के जीवन, अनुभव एवं परिवेश पर आधारित होगी। ग्राम भारती के विभिन्न संस्कार उस क्षेत्र के लिये अलग - अलग बनाये जायेंगे जहां इस पुस्तक को उपयोग में लाना है।

(ब) माँ भारती :-

बालिकाओं की शिक्षा के सम्बंध में मध्यप्रदेश विशेष रूप से पिछड़ा हुआ है सन् *1971* में जहां देश की लगभग *19* प्रतिशत स्त्रियां साक्षर थी, वही मध्यप्रदेश की बालिकाओं की साक्षरता *11* प्रतिशत तथा ग्रामीण क्षेत्रों में *6* प्रतिशत और आदित्य जातियों में *3* प्रतिशत ही थीं। अतः आवश्यकता यह अनुभवत की गई थी कि माँ की इच्छानुसार पाठ्यक्रम बनाकर पुस्तकें लिखी जायें इन्हें माँ भारती कहा गया।

(स) बालिका भारती :-

प्रायः सभी लड़कियां बचपन में अपनी माँ के साथ गृह कार्य में भाग लेती हैं। बड़ी होने पर गृहिणी का उत्तरदायित्व सम्हालना होता है, घर के विभिन्न काम करने होते है, किन्तु वर्तमान शिक्षा उनके कार्यो में सहायक न होकर व्यवधान डालती हैं। अतः मध्यप्रदेश शासन ने निश्चय किया कि ऐसी पुस्तक तैयार की जाये जो इस प्रकार की छात्राओं के लिये उपयोगी हो।

(द) गृह भारती :-

गृह भारती में महिला की शिक्षा का एक नया पाठ्यक्रम लिया गया है। इसमें गृह भारती के कई भाग होंगें जो गृह विज्ञान के संकाय पर एक स्वत्रंत संकाय का निर्माण करेंगे, जिसे गृह भारती कहा जायेगा। *

iv- शिक्षा गारंटी योजना :-

म०प्र० सरकार ने प्राथमिक शिक्षा के लोक व्यापीकरण तथा गुणात्मक सुधार हेतु शिक्षा गारंटी योजना प्रारंभ की जिसमें निरौपचारिक शिक्षा केन्द्रों को ही शिक्षा गारंटी शाला के नाम से चलाया जाने लगा है।

शासन द्वारा प्रारम्भिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और साक्षरता के कार्यक्रमों के प्रभावी संचालन की दृष्टि से शिक्षा की संस्थागत संरचनाओं का एकीकरण किया गया है इसका उद्देश्य शैक्षिक व्यवस्था में प्रशासकीय ध्रुवीकरण को समाप्त करते हुये शैक्षिक कार्यक्रम से जुड़े सभी संसाधनों एवं इकाईयों में बेहतर आपसी समन्वय स्थापित करना है।

v- महिला पढ़ना-बढ़ना आन्दोलन :-

यह आन्दोलन *2001-2002* वर्ष में महिला सशक्तिकरण वर्ष के रूप में मनाया गया। अतः राज्य शासन ने महिला शिक्षा पर ध्यान केन्द्रित करने के लिये महिला पढ़ना-बढ़ना आन्दोलन चलाया गया यह सम्पूर्ण अभियान *6-14* आयुवर्ग की बालिकाओं और *14-45* आयु वर्ग की महिलाओं की शिक्षा पर केन्द्रित रहा।

इसके निम्न उद्देश्य हैं -

1. महिला शिक्षा के पक्ष में माहौल बनाना।
2. समुदाय का ध्यान बालिका शिक्षा पर केन्द्रित करना।
3. महिलाओं को संगठित करना।
4. आर्थिक सशक्तीकरण के लिये प्रेरित करना।
5. निरक्षर महिलाओं को साक्षर करने के लिये साक्षरता कक्षाओं का संचालन करना।
6. शत्-प्रतिशत बालिकाओं का शालाओं में नामांकन करवाना।

---

* डॉ० भार्गव ए०एन०एल० एवं डॉ० राजपूत जे०एस० - म०प्र० में प्राथमिक शिक्षा के अन्य प्रयोग - औपचारिकेतर शिक्षा सिद्धांत और क्रियान्वयन।

vi- हैडस्टार्ट कम्प्यूटर समर्थित शिक्षा कार्यक्रम :-

यह शिक्षा जन शिक्षा केन्द्रों तक कम्प्यूटर शिक्षा को रूचिकर पारस्परिक कम्प्यूटर समर्थित शिक्षा (2002-2003) के तहत हैडस्टार्ट कार्यक्रम तैयार किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य कम्प्यूटर की सहायता से शिक्षक द्वारा विभिन्न आयाम जैसे-गणित, भाषा, पर्यावरण आदि से सम्बंधित मुद्दों पर जानकारी बढ़ाना है।

इस कार्यक्रम के तहत प्रत्येक जनशिक्षा केन्द्र से दो-दो शिक्षकों को कम्प्यूटर का प्रशिक्षण देकर समस्त शालाओं के छात्र - छात्राओं को इस कार्यक्रम का लाभ दिलाना है।

जन शिक्षा केन्द्र पर कम्प्यूटर के लिये प्रतिदिन 6 घंटे निर्धारित होंगें।

vii- ग्राम शिक्षा विकास योजना :-

यह शिक्षा सन् 2002-2003 में आरम्भ की गई। किसी शाला की स्थापना समुदाय की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये की जाती है। अत: शाला की गतिविधियों और उसका स्वरूप समुदाय की अपेक्षाओं के अनुरूप होना चाहिये, समुदाय की अपेक्षाओं को तभी पूरा किया जा सकता है जबकि हमारे पास लक्ष्य सुस्पष्ट हो और इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये एक सुनियोजित रणनीति हो, इस रणनीति को ग्राम शिक्षा योजना कहा जा सकता है। इस प्रकार प्रत्येक गाँव की एक ग्राम शिक्षा योजना तैयार की जायेगी।

इसके तीन लक्ष्य होंगें -

1. गाँव के सभी बालक-बालिकाओं को शाला में दर्ज कराना।
2. दर्ज बच्चों का शाला में नियमित ठहराव सुनिश्चित करना।
3. बच्चों की उपलब्धि स्तर को बढ़ाना।

इन लक्ष्यों की पूर्ति के लिये किये जाने वाले कार्यों की विस्तृत सूची बनानी होगी और विद्यालय में उपलब्ध संसाधनों का आंकलन भी करना होगा, साथ ही आवश्यक संसाधनों के लिये अन्य स्त्रोतों का भी पता लगाना होगा, फिर किये जाने वाले कार्य और उनके क्रियान्वयन के तरीके भी तय करने होंगे। यही ग्राम की शिक्षा योजना कहलायेगी।

x x x

चतुर्थ अध्याय

निरौपचारिक शिक्षा – परिचय एवं विवेचन

1. शिक्षा का स्वरूप एवं प्रकार
2. निरौपचारिक शिक्षा की आवश्यकता
3. निरौपचारिक शिक्षा की आवधारणा
4. निरौपचारिक शिक्षा का अर्थ एवं महत्व
5. निरौपचारिक शिक्षा की परिभाषायें
6. निरौपचारिक शिक्षा के लक्ष्य
7. निरौपचारिक शिक्षा के उद्देश्य
8. निरौपचारिक शिक्षा के आयाम एवं कार्यक्रम
9. निरौपचारिक शिक्षा के निर्देश
10. निरौपचारिक शिक्षा की विशिष्टियाँ
11. निरौपचारिक शिक्षा के लक्षण
12. औपचारिक शिक्षा तथा निरौपचारिक शिक्षा में अन्तर
13. निरौपचारिक शिक्षा में (6-14 आयु वर्ग हेतु) पाठ्यक्रम की संरचना
14. विज्ञान शिक्षण में निरौपचारिक शिक्षा की भूमिका
15. नई शिक्षा नीति और निरौपचारिक शिक्षा
16. निरौपचारिक शिक्षा के कार्यकर्ताओं के लिये प्रशिक्षण
17. म०प्र० में निरौपचारिक शिक्षा
18. म०प्र० में निरौपचारिक कार्यकर्ताओं के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रम
19. म०प्र० में निरौपचारिक शिक्षा में मनोरंजन और सांस्कृतिक क्रियाओं की भूमिका

निरौपचारिक शिक्षा-परिचय एवं विवेचन

1. शिक्षा का स्वरूप एवं प्रकार :-

शिक्षा का वास्तविक अर्थ एवं उद्देश्य भावी नागरिकों के व्यक्तिगत महत्व, आत्म गौरव एवं समाजोपयोगी वांछित क्षमताओं का विकास करके उनमें आत्म जागृति, आत्मोन्नति तथा सामाजिकता की भावनाओं को विकसित करना है। महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा द्वारा - "बालक मनुष्य के शरीर मस्तिष्क एवं आत्मा के सर्वोत्तम अंश का सम्पूर्ण प्रकटीकरण होता है" जबकि रवीन्द्र नाथ ठाकुर के समक्ष शिक्षा अधिक व्यावहारिक रूप से है - "उच्चतम शिक्षा वह है जो हमें केवल सूचना ही नहीं देती, वरन् हमारे जीवन के समस्त पहलुओं को सम अथवा सुडौल बनाती है।"

जो भी शिक्षा हम बालकों को देते है उसके दो प्रमुख साधन है - औपचारिक शिक्षा (*Formal Education*) और आकस्मिक शिक्षा (*Informal Education*) है। दुर्भाग्य से उपयुक्त शिक्षा का प्रचार प्रसार न हो सकने के कारण ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्र में अधिक बालक इन शिक्षा अभिकरणों से वंचित रह जाते है। इसके प्रमुख कारणों में से आर्थिक कारण प्रथम और दूसरा विद्यार्थियों को शिक्षा सत्र में बीच में शिक्षा छोड़ देना है। **शिक्षा का उद्देश्य** - "जनसाधारण की गुणवत्ता में वृद्धि करना होता है" किन्तु विभिन्न सांस्कृतिक, सामाजिक परिवेश वाले और भिन्न आर्थिक स्तर के व्यक्तियों के लिये नियमों की जटिलता युक्त तथा मानकीकृत संरचना का उद्देश्य रखने के कारण औपचारिक शिक्षा अनुपयोगी रही।

*" In its spirit, contest method Indian system of educations is essentially oriented to the fucntion of maintenance rather their change" **

* *Reddy V. Eswara, Nonformal education and social change in India, Social change formal; June Sept. 1986 Vol. 16 No. 23*

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात के प्राप्त आंकड़ों के आधार पर लगभग तीन दशक के पश्चात भी हम संविधान की धारा *45* में दिये गये वचन, पूर्ण नहीं कर सके जिसकी पूर्ति सन् *1960* तक होनी थी। सन् *1947* से *1974* तक के प्राप्त आंकड़ों से प्रतीत होता है कि प्रथम कक्षा से पांचवी तक *6* से *11* वर्ष आयु के बच्चों में से *60* प्रतिशत बालक शिक्षा से विलग हो जाते हैं, जबकि कुल आयु वर्ग में से *20* प्रतिशत बालक केवल स्कूल जा पाते है। शेष *40* प्रतिशत में से ही आठवी तक अर्थात *14* वर्ष की आयु तक पहुँचते - पहुँचते *15* प्रतिशत और बालक शिक्षा से विलग हो जाते है। इस प्रकार *80* प्रतिशत बालकों में से लगभग *1/4* बालक आठवी कक्षा तक पहुँचते है। आश्चर्यजनक बात तो यह है कि प्रथम कक्षा में ही अर्थात *6* से *7* वर्ष की आयु पर ही *50* प्रतिशत बालक शिक्षा से अलग हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है ? हमारे संविधान में प्राथमिक शिक्षा को *6* से *14* वर्ष की आयु के बालकों के लिये अनिवार्य किया गया। प्राथमिक शिक्षा को सर्वव्यापी बनाने के अनेक प्रयत्न किये गये। इनके बाबजूद भी *83* प्रतिशत बालक *6 - 17* आयु समूह के तथा *17* प्रतिशत बालक *11-14* आयु समूह के ही केवल स्कूल जा रहे है। *

जो बालक विद्यालय जाते है उनमे से *60* प्रतिशत केवल कक्षा-*5* तथा *75* प्रतिशत बालक कक्षा-*8* तक पहुँचते-पहुँचते विद्यालय त्यागी हो जाते है। इस प्रकार ऐसे बालक अशिक्षा को बढ़ाते है और हमारी शिक्षा को लोकव्यापी बनाने संबंधी सभी प्रयत्न निष्फल हो जाते है। अतः इस दिशा में सफलता प्राप्ति के लिये निरौपचारिक शिक्षा की आवश्यकता का अनुभव किया जाता है। **

---

* देखें - शर्मा खेमराज, अनौपचारिक शिक्षा किस लिये ? नया शिक्षक पत्रिका जन-मार्च, *1980 Vol. 32, No. 3*

** देखें-तदैव।

2. निरौपचारिक शिक्षा की आवश्यकता :-

निरौपचारिक शिक्षा की आवश्यकता के कुछ और भी कारण है, संक्षेप में इस प्रकार है-

1. संयुक्त राष्ट्र शिक्षा विज्ञान और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) प्रतिवेदन *1968* के अनुसार औपचारिक शिक्षा के समग्र विकास के फलस्वरूप भी *40* प्रतिशत प्राथमिक विद्यालयों के आयु के बच्चे अफ्रीका, *50* प्रतिशत अरबदेश, *45* प्रतिशत एशियाई देशों तथा *25* प्रतिशत लेटिन अमरीका के बच्चे स्कूल मुें प्रवेश नही ले पाते।
2. शिक्षा में राजकीय व्यय में वृद्धि के बाबजूद भी शिक्षा की समस्याओं मे कमी नही आई। भारत में *1300* करोंड़ रूपया प्रतिवर्ष केवल शिक्षा में व्यय किया जाता है।
3. विकासशील देशों में जनसंख्या शिक्षा वृद्धि की गति बढ़ी है भारत में भी इसका प्रभाव कम नहीं है। इसके फलस्वरूप पहले की अपेक्षा निरक्षरों की संख्या भी बड़ी है। सन् *1947* से *1971* तक साक्षरता केवल *14* से *29* प्रतिशत तक बढ़ी है जबकि जनसंख्या *2* प्रतिशत की दर से बड़ी। अर्थात् जनसंख्या के अनुपात में साक्षरों की संख्या बहुत कम बढ़ी।
4. औपचारिक शिक्षा में प्रति विद्यार्थी इतना अधिक व्यय होता है कि यदि प्रत्येक राज्य सर्वव्यापी शिक्षा पूर्ण करना चाहे तो वह दिवालिया हो जायेगा।
5. वर्तमान शिक्षा में अनेक दोषपूर्ण प्रणालियां है। शिक्षा के समान अवसरों का बंटवारा उचित नही है। शिक्षा उत्पादक कार्यो के लिये न होकर केवल स्नातक बनाने का कार्य कर रही है।
6. शिक्षा राज्य और समाज दोनों के लिये महंगी है, इसमें लागत और समय अधिक लगता है फिर भी व्यक्ति के लाभ का मापन उचित नही है।

3. निरौपचारिक शिक्षा की अवधारणा :-

हमारे देश में "तकनीकि ज्ञान वाले व्यक्ति का उत्पादन कार्य के लिये अपने हाथ से कार्य करना नही आता है। और दूसरी ओर हाथ से काम करने वाले व्यक्ति के पास भविष्य में स्वयं में सुधार लाने के लिये ज्ञान का अभाव है।"* यह स्थिति शिक्षा के वास्तविकता से कटे होने के कारण उत्पन्न होती है। अत: विविध कार्यों में संलग्न लोगों को उनकी आवश्यकता पूर्ति में सहायक होने वाली निरौपचारिक शिक्षा द्वारा ज्ञान एवं कौशल उत्पादन करना उपयोगी है।

निरौपचारिक शिक्षा एक बहुमुखी प्रक्रिया है। इसकी संरचना केवल बालकों या युवाओं के लिये ही नहीं अपितु किसी भी उम्र के उन प्रौढ़ों के लिये भी है जो पढ़ने के इच्छुक है। यह शिक्षण का एक मुक्त तंत्र है जिसमें नियमों, अनुदेशों या निश्चित कक्षाओं या समय सीमा का बंधन नहीं है। यह जीवन से जुड़ी हुई एवं पर्यावरण पर आधारित है। यह छात्रों को प्रभावशाली कार्य एवं जीवन की विभिन्न दिशाओं में सक्रिय करती है। यह उन्हें इस प्रकार से शिक्षित करती है कि वे अपने जीवन के दौरान प्राप्त होने वाले विभिन्न अवसरों एवं कार्यों के अनुकूल स्वतः को सक्षम बना सकें। यह प्रणाली उन्हें शिक्षा एवं रोजगार दोनों ही क्षेत्रों में गतिशील होने हेतु सुविधा प्रदान करती है। यह सुविधाओं एवं अधिकारों से वंचित लोगों के उत्थान में भी सहायता करती है। यह बालिकाओं एवं स्त्रियों को भी शैक्षिक सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु प्रयत्न करती है। *

** See Kaul Lokesh – NFE why & how ? Education Quarterly Vol. 29, No. 4, Jan 1978*

निरौपचारिक शिक्षा की अवधारणा को हम विस्तृत अथवा सीमित अर्थ के रूप में ग्रहण करते है यद्यपि निरौपचारिक शिक्षा एवं औपचारिक शिक्षा में कुछ समानताएं है जैसे कि निरौपचारिक शिक्षा एवं प्रौढ़ शिक्षा योजना में है। फिर भी हम इनमें कई स्पष्ट अंतर पाते है। प्रारंभिक शिक्षा के लोकव्यापीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु निरौपचारिक शिक्षा को हम औपचारिक शिक्षा के पूरक एवं अतिरिक्त अंग के रूप में स्वीकार करते है।

निरौपचारिक शिक्षा को हम दो रूपों में प्रयुक्त करते है- प्रथमतः गुणात्मक रूप में इसे हम *9-14* आयु वर्ग के विद्यालय न जाने वाले बालकों की शिक्षा के लिये सीमित रूप में तथा द्वितीयतः किसी भी स्तर के सामाजिक-राजनैतिक, आर्थिक समूह हेतु इसका क्षेत्र विशिष्ट रूप में अधिक आयु वर्ग के शिक्षार्थियों हेतु प्रक्रिया/कार्यक्रम के रूप में प्रयुक्त करते है।

जैसा कि प्राफेसर जे०पी० नायक ने *"Alternative in Education"* में उल्लेख किया है - *The formal school, the system has a built in tendancy to become a vested interest and to perpe the privetage rather than to foromote reuatity"*

जीवन में आत्मोन्नति के लिये यह बात उतनी महत्त्वपूर्ण नहीं है कि किसी व्यक्ति ने शिक्षा हेतु कौन सी पद्धति अपनाई है बल्कि उसने क्या सीखा अथवा ज्ञान प्राप्त किया है यह अधिक अर्थ रखता है।*

निरौपचारिक शिक्षा का संगठन क्षेत्र काफी व्यापक है। स्पालडिंग *1974* ने इसकी अवधारणा को दो प्रकार से स्पष्ट किया है-

---

* *See – Kaul Lokesh – NFE why how ? Education of quarterly Vol. 29 No. 4, Jan.1978*

1. व्यवस्थित रूप से नियोजित शैक्षिक प्रक्रियायें तथा ऐसी समस्यायें जो औपचारिक पाठ्यक्रम से संबंधित है और निदानात्मक अधिगम से संबंधित गोष्ठियों का आयोजन करें।

2. लचीली व्यवस्था युक्त सेवायें जो व्यक्तियों इच्छुक (गर्जमंद) व्यक्तियों को चुनकर उन्हें उनकी समस्याओं से संबंधित जानकारी एवं विषय प्रदान करके प्रभावित कर सकें। यहाँ इच्छार्थी इस जानकारी को सुनने उसमें भागीदारी करने हेतु स्वतंत्र होता है। प्रायः इस प्रकार की क्रिया द्वारा अन्य समूहों को उत्साहित किया जा सकता है ताकि उनके द्वारा यह संवाद आगे प्रसारित हो।

उक्त प्रथम प्रकार के उदाहरण हैं- पत्राचार, पाठ्यक्रम, कार्यकारी अध्ययन दल, योजना, स्वअधिगम अथवा स्वअध्ययन केन्द्र, बिना चार दीवारी वाले विश्वविद्यालय (अमेरिका), खुले विश्वविद्यालय (यू०के०) अध्यायकीय केन्द्र (यू०के०), कैरियर एजूकेशन (यू०एस०ए०) कार्यात्मक साक्षरता (यूनेस्को), मैन पावर ट्रेनिंग (यू०एस०ए०), जाब कार्पस (यू०एस०ए०)

द्वितीय प्रकार की निरौपचारिक शिक्षा व्यवस्था के उदाहरण हैं- सेवा विस्तार कार्यक्रम, सामुदायिक विकास शिक्षण, व्यवसाय प्रशिक्षण योजनायें, जनसंख्या शिक्षा, पर्यावरणीय शिक्षा, उपभोक्ता शिक्षा। *

प्रथम चरण में निरौपचारिक शिक्षा को अंशकालिक तथा बहुबिन्दु प्रवेश के रूप में अधिक शालात्यागी संख्या वाले क्षेत्र में लागू करना चाहिये। आदिवासी, पहाड़ी एवं ग्रामीण क्षेत्र, विरल जनसंख्या वाले, झुग्गी झोपड़ी एवं तराई क्षेत्र एवं गंदी बस्तियां - अनुसूचित जाति वाले क्षेत्र तथा ऐसे क्षेत्र जहां बालिकाओं की अधिक शाला त्यागी संख्या है। (एन०सी०ई०आर०टी० *1975*)

---

* *Kaul Lokesh – NFE why & how ? Education quarterly Vol. 29 No. 4, Jan. 1978*

4. निरौपचारिक शिक्षा का अर्थ एवं महत्व :-

यह शिक्षा का ऐसा साधन है जो शिक्षण संबंधी ऐसे अवसर प्रदान करता है जो औपचारिक शिक्षा से अलग है। यह बालक, युवा, प्रौढ़, सभी वर्गों के काम में अतिरिक्त समय पर उनकी आवश्यकतानुसार ऐसा कार्यक्रम है जो शिक्षण संबंधी आवश्यकता, सुधारात्मक शिक्षा, व्यावसायिक, स्वास्थ्य, जन कल्याण अथवा नागरिक गुणों राजनैतिक या स्वयं की आवश्यकतानुसार शिक्षा की व्यवस्था है। निरौपचारिक एक ऐसी शिक्षण विधि है जो किसी विशिष्ट उद्देश्य एवं आवश्कता के लिये शिक्षा देती है तथा इसका प्रतिफल भी शीघ्रगामी है। निरौपचारिक केवल विशुद्ध शैक्षिक नहीं है बल्कि संपूर्ण विकास की एक आधारशिला है जिसके अन्तर्गत उन सभी की शिक्षा व्यवस्था है जो कि इससे वंचित रह गये है या शिक्षा छोड़ चुके है अथवा किन्ही कारणों से शिक्षा ग्रहण नहीं कर सके। इतना ही नहीं निरौपचारिक शिक्षा संविधान की 45 वी धारा की सहायक प्रक्रिया है।

निरौपचारिक शिखा में विद्यार्थी महत्वपूर्ण है यह शिक्षार्थी "जो सीखना चाहे" के सिद्धांत पर चलती है। इसमें पाठ्यक्रम का निर्धारण शिक्षार्थियों के पर्यावरण सम्बद्ध करके उनकी तात्कालिक आवश्यकताओं एवं समस्याओं पर आधारित कर दिया जाता है। इस शिक्षा का प्रयास है कि शिक्षार्थी अपने परिवेश और पर्यावरण को भली-भांति पहचानने में समर्थ हो, जो वैज्ञानिक तकनीकि उन्नतियां हो रही हैं, उनको समझें, अपनी समस्याओं को समझें, उनके प्रति जागरूक हों और उनको समझाकर उनके समाधान ढूंढ़ने में स्वयं प्रवृत्त हों, उनसे जूझने में स्वयं समर्थ हों। जो अपने जिस व्यवसाय में लगा हुआ हो, उसे और अधिक अच्छी तरह से कर सके। उसमें अपने चारों ओर के वातावरण और परिस्थितियों को सम्पर्क करके विश्लेषण कर सकने की क्षमता उत्पन्न हो, तर्कशील एवं विवेकशील बुद्धि का विकास हो जिससे कि वह अपने समुदाय के कार्यों में प्रभावी ढंग से भाग ले सके तथा राष्टीय विकास के कार्यों में अपना भरपूर योगदान दे सकें।

जन उत्थान की दिशा में किया जाने वाला कार्यक्रम जो बालक को अपने धंधे से बिना हटाये ही उसे शिक्षा के अवसर सुलभ कराये, जो उसके जीवन के कामों और शिक्षा

में परस्पसर सम्बन्ध स्थापित करने की व्यवस्था करे। उसे निरौपचारिक शिक्षा का कार्यक्रम माना जाता है।

निरौपचारिक शिक्षा की आवश्यकता और महत्व को औपचारिक शिक्षा की सीमाओं के कारण ही नहीं, नई परिस्थितियों से उत्पन्न कतिपय सकारात्मक तत्वों से भी बल मिलता है-

अब यह अनुभव किया जाने लगा है कि औपचारिक व्यवस्था में प्राप्त शिक्षा किसी के लिये भी काफी नही है। औपचारिक शिक्षा के परिणामस्वरूप एक ओर जहां शिक्षित लोगों की ज्ञान पिपासा बढ़ गई है अथवा अन्य लोगों की तुलना में जहां उन्हें स्वयं के ज्ञान की न्यूनता का बोध होने लग गया है, वहां उन लोगों के मन में शिक्षा के प्रतिआर्कषण बढ़ गया है, जो परिस्थितिवश शिक्षा से वंचित रह गये है। इन दोनों ही समस्याओं का समाधान अनौपचारिक शिक्षा के प्रसार में है।

आज का समाज शैक्षिक महत्व के इतने नये - नये और उपयोगी साधनों से सम्पन्न है कि जितने इससे पूर्व कभी नही रहे । यहां तक कि जिन प्रवृत्तियों का पहले शैक्षिक मूल्य नहीं गिना जाता था उनसे भी शिक्षा के अवसर प्राप्त होने की संभावनायें आज हो गई हैं।

स्पष्ट है कि सार्वजनिक शिक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त करने में औपचारिक शिक्षा व्यवस्था की अनुपादेयता भले ही सिद्ध न होती हो, उसकी उपादेयता की सीमा अवश्य नष्ट हो जाती है। न केवल लोगों के अपने व्यक्तिगत कारण अपितु औपचारिक शिक्षा के अपने प्रकृतिगत कारण भी उसकी इस उपयोगिता की सीमा बांधते है। इस प्रकार न केवल औपचारिक शिक्षा के नकारात्मक तत्वों ने अपितु वैज्ञानिक एवं सामाजिक परिवर्तनों से प्राप्त नये शैक्षिक साधनों ने भी निरौपचारिक शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्व को सिद्ध कर दिया है। *

---

* अनौपचारिक शिक्षा, *15 - 25* (आवश्यकता), नया शिक्षक अप्रैल-जून *76*

यह पद्धति इसलिये महत्वपूर्ण है क्योंकि यह ज्ञान की तात्कालिक और व्यवहारिक उपयोगिता उत्पन्न करती है। यह शैक्षणिक क्रियाकलापों को पूरी तरह से परिवेष्टित करती है। इसका महत्व इस बात में है कि यह किसी व्यक्ति - युवा, वृद्ध, पुरूष या स्त्री को स्वयं में अपने दैनिक जीवन और पर्यावरण में अपने लक्ष्य और इच्छा के अनुरूप व्यावहारिक परिवर्तन ला सकने में सहायता करती है।

निरौपचारिक शिक्षा मुख्यत: किसी व्यक्ति की समस्याओं को हल करने में सहायता प्रदान करती है। इसका मुख्य उद्देश्य किसी पाठ्यक्रम को पूरा करना नहीं है। यह विशिष्ट स्थानीय आवश्यकताओं, स्थानीय संस्कृति और स्थानीय अभिव्यक्ति से घनिष्ट संबंध स्थापित करती है। कई प्रकार के शिक्षक जैसे- कार्यकर्ता, स्वास्थ्य निदेशक, समाज विकास सहायक, कृषि पयविक्षक इसके अनुदेशन को कार्यान्वित करने में सहयोग देते हैं। ये कार्यकर्ता कई किस्म के संचार माध्यमों जैसे पोस्टर, खेल, कठपुतलियां, चार्ट, कॉमिक्स, समाचार पत्र, ओडियो टेप, वीडियो टेप, स्लाइड, फिल्म, रेडियो, टी०वी०, आदि का प्रयोग करते हैं।

निरौपचारिक शिक्षा किसी कार्य स्थल, परिवार, वृक्ष के नीचे, कम्युनिटी सेंटर, मंदिर, अस्पताल अथवा किसी भी जगह प्रदान की जा सकती है। इसे किसी औपचारिक स्कूल प्रणाली से जोड़ना आवश्यक नहीं है बल्कि किसी भी तत्वाधान चाहे वह शासकीय, अशासकीय, या सार्वजनिक शाखा हो, में सम्पन्न किया जा सकता है।

इस पद्धति में ज्ञान प्राय: "करके सीखना से, प्रशिक्षण से, या औरों से किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिये प्रेरित हो कर, अथवा मार्ग दर्शन प्राप्त करके साथियों और सहकर्मियों के सहयोग से या मात्र अपने परिवेश या समुदाय कार्यकलापों में सम्मिलित होकर" प्राप्त किया जा सकता है।

निरौपचारिक शिक्षा का महत्व -

शिक्षा द्वारा ऐसा वातावरण बनाया जाता है कि छात्र आवश्यकतानुसार विषय वस्तु ग्रहणं कर सके तथा उस विषय वस्तु को आवश्यकता के अनुसार प्रासंगिकता के साथ ही विषय वस्तु का अर्थ समझकर अपने स्वयं के तरीके से जोड़कर समझने का प्रयास कर सकें। यह कार्य निरौपचारिक शिक्षा द्वारा संभव है।

यह याद रखना जरूरी है कि निरौपचारिक शिक्षा का उद्देश्य औपचारिक शिक्षा पद्धति को उखाड़ फेंकना नहीं है बल्कि यह तो औपचारिक शिक्षा पद्धति में निहित समुदाय अलगांव जैसे दुर्गुण दूर करने में सहायक है। सामाजिक और आर्थिक प्रगति संबंधी उत्पादक क्रियाओं में संलग्न साक्षर युवाओं को तैयार करने में यह पद्धति सहायक है।

यह शिक्षा पद्धति केवल औपचारिक शिक्षा पद्धति की कमियों को दूर करने से ही संबंधित नहीं है बल्कि यह पद्धति तो औपचारिक शिक्षा के हर स्तर को समुन्नत बनाने के लिये सकारात्मक सिद्ध होती है। इस पद्धति द्वारा सैद्धांतिक ज्ञान प्राप्त करने के बाद प्रायोगिक अनुभव मिलता है। जो औपचारिक शिक्षा पद्धति से नहीं मिलता। औपचारिक शिक्षा प्रणाली के शाला त्यागी छात्रों की शैक्षणिक कमियों को यह दूर करती है तथा छात्रों को शिक्षा की मुख्य धारा से जुड़ने के लिये अवसर देती है। वर्तमान शिक्षा क्रांति को ध्यान में रखते हुये निरौपचारिक शिक्षा को व्यवसायोन्मुख बनाना होगा। निरौपचारिक शिक्षा पद्धति का मूल तत्व है "कैसे सीखा जाता है की क्रिया सीखना"।

शिक्षा की औपचारिक विधि छात्रों को सीखे हुये विषय के अनुप्रयोग हेतु तैयार नहीं कर पाती। एक अनुभवी किसान की तुलना में एक "कृषि स्नातक" पीछे है। एक अनुभवी टेक्नीशियन से एक ग्रेजुएट इंजीनियर पीछे है। युवाओं को कार्य और रोजगार हेतु तैयार करने के लिये प्रायोगिक व्यावसायिक पाठ्यक्रम का आयोजन करके निरौपचारिक शिक्षा इस कमी को दूर करती है।

निरौपचारिक शिक्षा प्रणाली की निम्न उपयोगिता है श्रीशाह के मत में-

1. इस प्रणाली के अन्तर्गत शिक्षण का यह कथन कि शिक्षा समय की सीमा तक (विद्यालयीन समय), स्थान की सीमा तक (विद्यालयीन भवन) है, निरर्थक है।
2. शिक्षण प्रक्रिया में विद्यालयीन शिक्षा केवल एक घटक के रूप में होना चाहिये जहां निरौपचारिक शिक्षा तथा स्कूल बाहरी शिक्षा बराबरी का दर्जा रखती है।
3. इस विधि में शिक्षण की सभी धारायें यथा पूर्णकालिक, अंशकालिक, या स्वअध्ययन समान स्थान रखती हैं।
4. शिक्षण के तरीके खुले होते हैं तथा विभिन्न स्तरों के मध्य जटिल अवरोधक दूर किये जाते है।
5. पढ़ाने से अधिक सीखने को महत्व दिया जाता है।
6. शिक्षा के एक बिन्दु प्रवेश तथा क्रमोन्नति को बहुबिन्दु प्रवेश संक्षिप्त मार्ग तथा शाखागत संबंध द्वारा पूरक बनाया जाता है।
7. शिक्षा तथा कार्य को घनिष्ट रूप से जोड़ा जाता है।
8. अधिकतम व्यक्तिशः निर्देशित तथा स्वतः सीखने के तैयारी के लिये शिक्षा दी जाती है।
9. अपरिपक्व दक्षता को दूर किया जाता है
10. नई तकनीकि जो इकाई की मत को कम करती है व निर्देशन को व्यक्तिशः बनाती है तथा शिक्षण प्रक्रिया को लोकतांत्रिक बनाती है। उसको तुरन्त व व्यापक रूप से इस शिक्षा में अपनाया जा सकता है।
11. शिक्षा का प्रबंध लोकतांत्रिक होने से सामान्य जनता को निर्माण के प्रत्येक स्तर पर अपना सहयोग देने का पर्याप्त अवसर प्राप्त होता है। *

---

* *Sha G.B. – Non-formal Education for women, Indian Journal of Adult Education, Vol. 37, No. 6, June, 1976.*

5. निरौपचारिक शिक्षा की परिभाषायें :-

फिलिप कूम्ब्स तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा किये गये अध्ययनों से पहली बार यह पता चला कि जैसे-जैसे समाज का विकास होता है, एक तीसरी प्रकार की शिक्षा का उद्भव होता है जिसे निरौपचारिक शिक्षा कहा जाता है। कूम्ब्स और अहमद (*1974*) के अनुसार "कोई भी ऐसा संगठित सुव्यवस्थित शैक्षिक क्रियाकलाप जो जनसमुदाय के विशेष उपवर्गों, प्रौढ़ों और साथ ही बच्चों को विशिष्ट प्रकार की शिक्षा प्रदान करने के लिये औपचारिक पद्धति के ढांचे के बाहर चलाया जाये।" निरौपचारिक शिक्षा का वास्तविकता के संदर्भ में अपना एक तर्क संगत स्थान है। औपचारिक शिक्षा की तरह सुविचरित, सुनियोजित, कर्मचारी वर्ग से परिपूर्ण तथा वित्तीय रूप से समर्थित है। अनौपचारिक शिक्षा की तरह समय तथा स्थान की दृष्टि से यह कार्यात्मक और असीमित है तथा सामान्य रूप से यह जरूरतों के अनुरूप है। यह परिवर्तन के अधिक अनुरूप है और इस प्रकार यह ग्रामीण विकास का, एक अधिक प्रभावी साधन है। *

फिलिप कूम्ब्स एवं मंजूर अहमद की निरौपचरिक शिक्षा की परिभाषा से निम्न तथ्य प्रकट होते है-

निरौपचारिक शिक्षा अधिगम की एक व्यवस्थित व सुसंगठित प्रक्रिया है जो आकस्मिक या अनौपचारिक नहीं है।

यह सीखने की वह प्रणाली है जिसमें औपचारिक शिक्षा के स्थाई तत्व जैसे सुनिश्चित समय, विषय अध्यापक, शिक्षण पद्धति आदि का पालन नहीं किया जाता।

यह वह विधि है जो औपचारिक शिक्षा प्रणाली से विद्यार्थियों को जोड़ती है अथवा यह स्ततंत्र क्रिया भी हो सकती है।

एक विशेष उद्देश्यों की पूर्ति के लिये यह विद्यार्थियों के विशेष समुदाय की सहायता करती है। **

---

* शर्मा मोतीलाल, गैर औपचारिक शिक्षा और विकास : कुछ प्रश्न

** *Shrivastava Om- Curriculum construction of NFEI JAE vol. 37 No. 4-5 April/May 1986*

निरौपचारिक शिक्षा को फिलिप कूम्ब्स (1973) के अतिरिक्त अन्य विद्वानों ने भी परिभाषित किया है -

Eqqinton & Kurel (1975) :- Discussing NFE in the context of Colombian agrearian reform state that "NFE has been proposed as a substitute for rural formal education because of its supposed capacity to promote participation and socioeconomic satisfaction by imparting more relevant practical skills."

Chesterfield & Ruddle (1975) :- Describes "NFE as non-deliberate education which can be defined as the receivers perception of messages in a learning situation which differs from that "intended by a transmitter."

Erans (1975) uses the term :- "Non-formal rural education" while discussing at approach to rural education and local resources and to develop in the people an awareness of their ability to learn from already available materials and people. The goal of this education is to reach unserved part of the population and provide them with functional education.

Case & Nichoff (1976) view :- NFE as education by objectives and say that " NFE is a deliberate process of communicating ideas and developing skills in adults and out of schools youths which will help them to increase agricultural production; qualify them for or increase and commerce, attain higher health standards, participate more intelligently in civic, economic and political groups and achieve other personal and social goals. The types of activities are extremely varied, highly focused on specific learning objectives and of varying duration."

The concept of " initial learning system" as given by Platt (1976) is quite close to the concept of NFE.

6. निरौपचारिक शिक्षा के लक्ष्य -

निरौपचारिक शिक्षाके प्रमुख लक्ष्य निम्न गिने जा सकते है -

1. *9 - 14* आयु समूह के अधिक से अधिक विद्यालय न जाने वाले बालको को निरौपचारिक शिक्षा प्रवाह में सम्मिलित करना ताकि हम उन्हें संवैधानिक उद्‌देश्य प्राप्ति में सहायक बना सकें।
2. पढ़ने वालो को पढ़ने, लिखने और अंकगणित संबंधी बुनियादी कौशलों का ज्ञान प्रदान करना ताकि उनके दैनिक व्यवहार में स्वयं निर्भरता आ सके।
3. स्थानीय राज्य एवं राष्ट की महत्वपूर्ण सामाजिक - राजनैतिक, आर्थिक समस्याओं के प्रति सामान्य अभिज्ञान बढ़ाना ताकि वे अपने ऊपर हल को प्राप्त करने में सहायक हो।
4. स्थानीय और बाह्‌य संसाधनों को प्रयुक्त करके पढ़ने वालों का ज्ञान एवं अनुभव बढ़ाना (जिस व्यवसाय में वे है)
5. आधुनिक एवं सामान्य यंत्र, (जिनसे कि शिक्षार्थी परिचित है एवं काम करना जानता है,) के रख रखाव एवं दूरस्त करने के बुनियादी कैशलों को जागृत करना।
6. राष्टीय आदर्शों एवं मूल्यों के प्रति शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत एवं सामाजिक व्यवहार एवं साथ ही साथ स्वस्थ रुझान का विकास करना।

7. निरौपचारिक शिक्षा के उद्‌देश्य -

कूम्ब्स (*1973*), सिम्किंस (*1977*) तथा अन्य लोगों ने निरौपचारिक शिक्षा के उद्‌देश्य इस प्रकार निर्धारित किये हैं-

1. जीवन व विश्व के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास।
2. क्रियात्मक साक्षरता व अंकीय ज्ञान की प्राप्ति।
3. वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा प्राकृतिक क्रियाओं की प्राथमिक समझ का विकास।

4. कार्यात्मक ज्ञान व कौशल का अर्जन करके परिवार उन्नयन हेतु घरेलू काम करना, जीवकोपार्जन करना, सफल नागरिक जीवन हेतु अपनी भागीदारी को बढ़ाना। *

5. इस कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्यों को और सरल किया गया है। **

   I. शाला त्यागी अथवा प्रौढ़ शाला में (*6-14* आयु वाले) कभी न गये हुये छात्रों को शिक्षा की धारा की ओर मोड़ने के लिये प्रेरित करना।

   II. छात्रों को कार्यानुभव अथवा व्यवसाय में दक्षता प्रदान करना जिसमें कि वे पूर्व से ही अपने समुदाय में कार्यरत है।

   III. छात्रों में विभिन्न भाषायी कौशलों का विकास करके उन्हें सुनने, बोलने, पढ़ने तथा लिखने योग्य बनाना।

   IV. छात्रों में स्वस्थ जीवन हेतु आवश्यक कौशलों, आदतों एवं अभिवृत्तियों का विकास करना।

   V. दैनिक जीवन में उपयुक्त वैज्ञानिक क्रियाओं को समझने एवं उनकी प्रशंसा करने हेतु छात्रों को तैयार करना।

   VI. उनमें नागरिकता का भाव विकसित करना।

   VII. उनमें कार्यात्मक गणितीय ज्ञान विकसित करना।

---

* *Mohanty Sunil Bihari – Training of Field Functionaries of NFS, Indian Education Journal of AIFA Vol. 12 No. 1 & 2 April/May, 1982*

** *Kaul Lokesh – NFE why & how ? IJAE Vol. 29 No. –4, Jan. 1978.*

निरौपचारिक शिक्षा के लिये *NCERT* द्वारा निर्धारित प्रथम उद्देश्य के द्वारा धारा 45 की भी पूर्ति होती है जहाँ शिक्षा अनिवार्य एवं नि:शुल्क कही गई है। यह प्राथमिक शिक्षा के लोकव्यापीकरण के लिये एक प्रयास है।

दूसरा उद्देश्य प्रौढ़ शिक्षा से लिया गया उद्देश्य है, जो सामान्य शिक्षा के विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति में से एक है। यही उद्देश्य श्रमिक - शिक्षा, महिला शिक्षा आदि में भी इसी रूप में है।

इस प्रकार निरौपचारिक शिक्षा में प्रौढ़ शिक्षा एवं सामान्य औपचारिक शिक्षा - दोनों के ही उद्देश्य सन्निहित है। यह औपचारिक शिक्षा का विकल्प तो है, साथ ही प्रौढ़ शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति भी इस शिक्षा के द्वारा होती है।

मध्यप्रदेश शासन ने निरौपचारिक योजना को शिक्षा के सार्वजनीकरण की दिशा में एक पूरक प्रयास माना है, अत: निम्नलिखित उद्देश्य निर्धारित किये गये है-

1. शाला में कभी प्रवेश न पाने वाले 9 से 14 वर्ष आयु समूह के बालक/बालिकाओं को प्राथमिक स्तर तक शिक्षा सुलभ कराना।
2. कम से कम एक वर्ष पूर्व प्राथमिक शाला छोड़ने वाले इस आयु समूह के बालक/बालिकाओं को कक्षा 5 तक की शिक्षा पूर्ण कराना।
3. इस योजना के द्वारा दो वर्ष की अवधि में प्राथमिक स्तर की शिक्षा पूर्ण कराना।
4. शिक्षण की ऐसी व्यवस्था करना, जिससे कि छात्रों को शिक्षा उनके जीवकोपार्जन एवं पारिवारिक कार्यो को संपन्न करने में बाधक न हो।
5. इन छात्रों को प्राईमरी प्रमाण पत्र परीक्षा पास कराकर शिक्षा की मुख्य धारा में लाना।

उपर्युक्त उद्देश्यों के आधार पर एन०एफ०ई० निरौपचारिक शिक्षा के निम्न आयाम है-

1. स्वास्थ्य
2. व्यवसाय
3. पर्यावरण (भौतिक एवं सामाजिक)
4. समाजोपयोगी उत्पादन कार्य, समाज सेवा कार्य सहित
5. साक्षरता
6. गणन

8. निरौपचारिक शिक्षा का कार्यक्रम** -

निरौपचारिक शिक्षा में पर्यावरण, स्थान, आवश्यकता के आधार पर पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है। इसका पाठ्यक्रम समयानुसार परिवर्तनशील है। पाठ्यक्रम इस प्रकार तैयार किया जाता है कि जिसमें विद्यार्थी (अ) सामान्य शिक्षा और (ब) व्यवसायिक प्रशिक्षण प्राप्त कर सके।

i- सामान्य शिक्षा एवं प्रशिक्षण -

इसके अर्न्तगत निम्न शिक्षा की व्यवस्था की गई है-

1. प्राथमिक एवं सुधारात्मक शिक्षा।
2. सामान्य शिक्षा के लिये पूर्व देशीयत्व पाठ्यक्रम और समाज सेवा।
3. सामान्य युवा शिक्षा एवं सेवा कार्यक्रम।

---

* के०जी० रस्तोगी - आब्जेविटव्स एण्ड माडल्स आफ एन०एफ०ई० नया शिक्षक, जनवरी- मार्च *1980*

** सर्व रिपोर्ट आफ बोर्ड आफ कन्टीन्यूइंग एज्यूकेशन इन तमिलनाडु *1975* - टुवार्ड्स ए फंक्शनल लर्निंग सोसायटी।

ii- व्यावसायिक प्रशिक्षण -

इसके अन्तर्गत शिक्षार्थियों को उनकी आवश्यकतानुसार पर्यावरण के आधार पर उनके व्यवसाय के लिये प्रशिक्षित कराया है।

1. कृषि प्रशिक्षण
2. मछली पालन प्रशिक्षण
3. पालन पोषण आहार शिक्षा
4. औद्योगिक प्रशिक्षण
5. स्वास्थ्य प्रशिक्षण
6. स्त्रियों के लिये समाज कल्याण प्रशिक्षण
7. कुटीर उद्योग प्रशिक्षण
8. व्यावसायिक शिक्षा
9. शिक्षकों के लिये व्यवसायिक प्रशिक्षण
10. प्रशासनिक तकनीकि प्रशिक्षण
11. ट्रेड यूनियन कार्यक्रम शिक्षा
12. स्वयं रोजगार कार्यक्रम
13. अध्यापकों के लिये निर्देशन शिक्षा

इसके अतिरिक्त समाज की आवश्यकतानुसार व्यवसायिक प्रशिक्षणों की व्यवस्था करना जो स्थान - स्थान पर अलग - अलग होते है। इस कार्यक्रम की सफलता के लिये शिक्षा में समाज विकास कार्यक्रम को जोड़ना होता है।

9. निरौपचारिक शिक्षा के निर्देश :-

यद्यपि विभिन्न समूह के बालकों में तमाम भेद है उदाहरणार्थ शहरी ग्रामीण, उच्च स्तरीय, निम्नस्तरीय, बालक, बालिका आदि फिर भी औपचारिक शिक्षा तंत्र में प्रत्येक राज्य द्वारा केवल एक ही निदर्श स्वीकार किया गया है। किन्तु निरौपचारिक शिक्षा में जो कि आवश्यकता पर आधारित है शिक्षार्थियों की मौलिक आवश्यकताओं तथा प्राकृतिक एवं

सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक पर्यावरण में अंतरों के आधार पर निदर्शों को विकसित किया जाता है जैसे प्रवीणता निदर्श अभिनय निदर्श, कौशल निदर्श, व्यवसायिक निदर्श आदि।

इस प्रकार मध्यप्रदेश (शासकीय एवं एन०सी०ई०आर०टी० के निरौपचारिक शिक्षा के उद्देश्य पर दृष्टिपात करने पर पूर्ण समानता दिखाई देती है।

10. निरौपचारिक शिक्षा की विशिष्टियाँ :-

निरौपचारिक शिक्षा की विशेषताओं का उल्लेख करते हुये श्री के०जी० रस्तोगी ने निरौपचारिक शिक्षा की प्रमुख विशेषतायें अधोलिखित- बताई है-

1. प्रासंगिक -

निरौपचारिक शिक्षा योजना की विषय वस्तु आवश्यकतानुसार एवं संबंधित आयु समूह के अनुरूप होगी। विषय वस्तु एक समान न होकर समय, जलवायु, संस्कृति एवं परिस्थिति के अनुसार होगी।

2. लोच्यता -

औपचारिक शिक्षा तंत्र के विपरीत निरौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम समय, स्थान, अवधि, उपस्थिति, पाठ्यक्रम विधियां और मूल्यांकन आदि के सापेक्ष लचीला होगा।

3. प्रायोगिकता, व्यवहारिकता -

निरौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम केवल सैद्धांतिक न होकर व्यवहार में लाया जा सकेगा। यह कार्य-उन्मुख कार्यक्रम होगा।

4. उपलब्ध समयानुसार अल्पावधि शिक्षा -

औपचारिक शिक्षा तंत्र के विपरीत निरौपचारिक शिक्षा केवल दो घण्टे ही दी जायेगी और समय का निर्धारण इच्छुक छात्रों की सुविधा अनुसार होगा।

5. उपाधि, डिप्लोमा, प्रमाणपत्र से संबंधित -

निरौपचारिक शिक्षा में सम्मिलित होने वाले छात्रों का उपाधि, डिप्लोमा या प्रमाण पत्र प्राप्त करने से कोई संबंध नहीं होगा। यहाँ तक उनका अंकन किसी प्रकार के

परिणाम (उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण) से नही होगा। मूल्यांकन प्रणाली पारम्परिक रूप में दृढ़ नहीं होगी अपितु उसमें आवश्यकतानुसार फार्मेटिव्ह, समेटिव्ह, स्वत: एवं सहभागी मूल्यांकनों का समावेश किया जायेगा।

6. यह विकन्द्रित है।
7. यह शालेत्र शिक्षा है।
8. यह उद्देश्य प्रधान शिक्षा है।
9. संगठित एवं व्यवस्थित शिक्षा है।
10. यह आवश्यकतानुसार परिवर्तनशील एवं लचीली है।
11. यह शिक्षा समाज के विकास के लिये है।
12. समाज की सुविधा आधारित है।
13. यह शिक्षा जीविका से सीधे संबंधित है।
14. अधिगमन में नहीं यह सीधे स्वयं सीखने की प्रक्रिया पर आधारित है।
15. मनुष्य के वातावरण के आधार पर आधारित है।

11. निरौपचारिक शिक्षा के लक्षण -

पोम्फलेट ने निरौपचारिक शिक्षा के लक्षण इस प्रकार बताये है-

1. यह आजीवन चलने वाली शिक्षा है, जिसका समन्वय जीवन से है तथा इस शिक्षा से कार्य और जीवन का उन्नयन संभव है।
2. इसमें शिक्षा के लिये प्रवेश और शाला त्यागी पुन: प्रवेश व पुन: त्याग की गुंजाइश व्यक्ति के सम्पूर्ण जीवन में लचीलेपन के आधार पर संभव है।
3. व्यक्ति के द्वारा स्वयं की आवश्यकताओं, पर्यावरणीय स्थिति, सामाजिक उद्देश्य और इनकी आपसी स्थिति समझने के लिये यह क्रिया है।
4. इसका अभिप्रेरण व्यक्ति उन्नति, स्वपुर्नजागरण तथा मानवीय क्षमताओं के अधिकतम विकास द्वारा प्रेरित होती है।

5. इसमें पाठ्क्रम लचीला होकर अधिगम कर्ता के परिवेश संबंधी आवशकताओं के आधार पर बहुमुखी और लचीला हो जाता है।
6. यह अधिगम कर्ता को प्रतिभागी बनाने सजग बनाने विश्लेषण उर्जा एवं निर्णय लेने की स्थिति तक पहुंचाने की क्रिया है।
7. यह अधिगम उर्जा को स्वतंत्र विचार युक्त; धार्मिक, आत्म-विश्वासी और जागरूक बनाती है।
8. यह विश्व-व्यापी सिद्धांत पर कार्य करती है।
9. प्रश्न उत्तर क्रिया को बढ़ावा देने वाली तथा प्रगति के लिये स्वस्थ प्रेरणादायक है।
10. अपरिचित भविष्य में आने वाले परिवर्तन के लिये तैयार करना और अग्रदर्शी बनाती है।
11. व्यक्ति और समाज को शाश्वत पथ की ओर अग्रसर करती है।

---

* *Rastogi K.G. – Objectives & Modes of NFC Teacher today Jan. March, 1980.*

12. औपचारिक तथा निरौपचारिक शिक्षा में अन्तर :-

दोनों शिक्षा पद्धतियों में निम्नानुसार अन्तर स्पष्ट किया जा सकता है* -

	औपचारिक शिक्षा		निरौपचारिक शिक्षा
उद्देश्य-			
1	दीर्घकालीन और सामान्य	1	अल्प कालीन एवं विशिष्ट
2	प्रमाण पत्र आधारित शिक्षा	2	प्रमाण पत्रों की मान्यता विहीन शिक्षा प्रणाली
समय एवं स्थान-			
1	दीर्घ चक्रीय (टाइम टेविल)	1	लघु चक्रीय
2	नियोजनात्मक	2	तात्कालिक
3	पूरे समय की शिक्षा	3	अंशकालीन शिक्षा
4	कक्षा के लिये विद्यालयीन भवन	4	सामाजिक स्थान, व्यक्तिगत भवन, शाला भवन
विषय वस्तु-			
1	पुस्तकीय एवं मानवीकृत	1	उत्पादन केन्द्रित तथा वैयक्तिक
2	सैद्धांतिक पाठ्यक्रम	2	प्रायोगिक पाठ्यक्रम
सामान्य प्रणाली -			
1	संस्था आधारित	1	पर्यावरण आधारित
2	पृथक्कृत	2	समुदाय संबंधित
3	सुनिश्चित संरचना	3	परिवर्तनशील लचीली संरचना
4	शिक्षा केन्द्रित	4	शिक्षार्थी केन्द्रित
5	खर्चीली शिक्षा	5	कम खर्चीली शिक्षा

---

* उमाशंकर चतुर्वेदी - निरौपचारिक शिक्षा के नये आयाम एवं नवाचार *1982.*

शासन एवं प्रबंध-			
1	पारस्परिक बाह्य अनुशासन	1	जनतंत्रात्मक आत्म अनुशासन
प्रवेश एवं उपस्थिति -			
1	प्रवेश के नियमों का पालन आवश्यक	1	प्रवेशार्थी की सुविधानुसार प्रवेश नियमों में लचीलापन
2	नियमित उपस्थिति के अभाव में प्रवेश निरस्त होना अनिवार्य	2	अनियमित स्थिति में प्रवेश निरस्त नही होता
मूल्यांकन-			
1	कक्षा वर्गोन्नति पर आधारित	1	इकाई बार छात्र की प्रगति पर आधारित।
2	स्कूल जाने वाले आयु समूह के बच्चों के लिये शिक्षा	2	6-14 वर्ष की आयु के शाला अप्रवेशी तथा शाला त्यागी बालकों के लिये शिक्षा।
3	प्राथमिक शिक्षा 5 वर्ष में तथा उच्च प्राथमिक शिक्षा 3 वर्ष में क्रमशः ही पूरी की जा सकती है।	3	प्राथमिक शिक्षा 2 वर्ष में तथा उच्च प्राथमिक शिक्षा (माध्यमिक) 2 वर्ष में क्रमशः पूरी की जा सकती है।
4	घरेलू कार्यो के साथ शिक्षा संभव नही है।	4	घरेलू कार्यो के साथ शिक्षा संभव है।
5	निर्धारित पाठ्यक्रम हेतु वास्तव में कक्षा पद्धति है।	5	आवश्यकतानुसार पाठ्यक्रम आधारित है जहां कक्षा पद्धति का बंधन नहीं है।

13. निरौपचारिक शिक्षा में (6-14 आयु वाले समूह हेतु) पाठ्यक्रम संरचना-

भारत में निरौपचारिक शिक्षा एक विकासशील शैक्षिक क्रिया है। सामाजिक आर्थिक व्यवस्थाओं के सीखने की अवधारणा को यह नवीन शब्दावली प्रदान की गई है जो जीवन केन्द्रित होकर सीखने वालों के पर्यावरण से संबंधित होती है और समस्या निवारण हेतु पद्धति पर आधारित होती है। हमारे संविधान में निहित सभी के लिये (किसी भी पृष्ठभूमि से संबंधित व्यक्ति) समानता के अवसरों की उद्देश्य पूर्ति के लिये निरौपचारिक शिक्षा की अवधारणा को स्वीकार करने की आवश्यकता है। क्योंकि औपचारिक शिक्षा प्रणाली द्वारा शिक्षा का लोकव्यापीकरण लक्ष्य पूर्ण नहीं किया जा सकता इसके लिये दो प्रमुख कारण सामने आये-

1. औपचारिक शिक्षा प्रणाली का सीमित होना।
2. सामाजिक क्षेत्र से आने वाले (सीखने वाले) विद्यार्थी की सामाजिक आर्थिक स्थिति।

उक्त कारणों से शाला जाने वाली *(6-14)* आयु वर्ग के बालक औपचारिक शालेय शिक्षा पाने को असमर्थ रहे अतः इन्हें समय रहते शिक्षा की धारा से जोड़ने हेतु निरौपचारिक शिक्षा का विचार सामने लाया गया। निरौपचारिक शिक्षा को अनेक लोगों ने परिभाषित किया है परन्तु *Philip M. Coombs & Manzoor Ahmed* द्वारा *New path to learning (UNESCO- 1973)* में इसका प्रतिपादन किया गया है जिससे इसकी अवधारणा स्पष्ट होती है।

निरौपचारिक शिक्षा से संबंधित अवधारणा के आधार पर निरौपचारिक शिक्षा के नये पाठ्यक्रम द्वारा सीखने की अवधारणा भी स्पष्ट की गई -

1. सीखने का अनुभव सीखने वाले की रूचि, आवश्यकता, आकांक्षा तथा वातावरण पर निर्भर करता है।
2. सीखने की क्रिया का संगठन क्रियात्मक आधार पर लचीलापन युक्त होकर संपन्न होता है।

3. "सीखने की क्रिया कैसे सीखें" की अवधारणा सीखने के अनुभव द्वारा विकसित होती है।
4. विशिष्ट उद्देश्यों वाले विशिष्ट समूह के लिये बहुविध एवं लचीला पाठ्यक्रम होता है।
5. सीखने की क्रिया का सैद्धांतिक पक्ष ही अन्त नही हो जाता बल्कि इसके द्वारा समस्या हल करने के लिये कार्यात्मक प्रेरणा दी जाती है।

पाठ्यक्रम संरचना के कुछ आधारभूत सिद्धांत -

Muriel W. Brown ने पाठ्यक्रम की परिभाषा में कहा है "किसी निश्चित उद्देश्य के संदर्भ में सीखने के अनुभवों के तारामण्डल (प्रकाश स्त्रोत) को संगठित रूप में पाठ्यक्रम की संज्ञा दी जाती है।"

यह ध्यान में रखने योग्य बात है कि पाठ्यक्रम केवल सीखने का अनुभव मात्र नहीं है परंतु इसका संबंध व्यापक संदर्भ में निम्न बातों से है-

1. समाज की प्रकृति।
2. सीखने वाले विद्यार्थियों की प्रकृति।
3. अनुभवों की प्रकृति एवं प्रस्तुत की गई पाठ्य वस्तु।
4. सीखने की क्रिया की प्रकृति।

उदाहरण के लिये लड़कियों के एक ग्रुप के द्वारा यह ज्ञात किया जाता है कि वे किस प्रकार संतुलित भोजन तैयार करती है। अर्थात इस नवीन पाठ्यक्रम इकाई द्वारा विकास उनके इस रूचि के आधार पर किया जाना है। सामान्य पाठ्यक्रम की इकाई व विशिष्ट पाठ्यक्रम की इकाई को इस प्रकार अत्यंत उपयोगी दृष्टिकोण से व्यवस्थित किया जाता है कि प्रत्येक विशिष्ट ग्रुप के द्वारा विशिष्ट शैक्षणिक पाठ्यक्रम की इकाई सामाजिक या व्यक्तिगत आवश्यकता की पूर्ति कर सके।

6-14 आयुवर्ग के लिये(*NFE*) के नये पाठ्यक्रम का विकास किया गया है-

पंचम पंचवर्षीय योजना में (*NFE*) की मुख्य योजना के अनुसार इस आयु वर्ग को अधोलिखित छः वर्गों में पहचाना जाता है-

1. जो बच्चे *6-11* वर्ष के आयुवर्ग के है और वे इस स्थिति में है जो पूर्णकालिक नियमित, प्राथमिक स्कूल में जा सकें।
2. *6-11* वर्ष के बच्चे जो कुछ वर्ष प्राथमिक विद्यालय जाकर शाला त्याग गये।
3. अशिक्षित *11-14* वर्ष के बच्चे जिन्हें प्राईमरी स्कूल में प्रवेश नही मिल सका अथवा कुछ समय पश्चात उन्होंने शाला त्याग दी।
4. *11-14* वर्ष तक के अशिक्षित बच्चे जो कक्षा *5* के बाद विभिन्न कारणों से अपना शिक्षण जारी नही रख सके (औपचारिक पद्धति से)।

(*6-14* आयु वर्ग के लिये) (*NFE*) के कार्यक्रम निम्न उद्देश्यों की पूर्ति करते है-

1. ऐसे लोगों को शिक्षा प्रदान करना जो पूर्णकालिक औपचारिक शैक्षणिक कार्यक्रम में सहभागी न हो सके।
2. उन बच्चों को शिक्षा प्रदान करना जो मध्य में ही शिक्षण छोड़ चुके हों और शिक्षण जारी रखना चाहते हों।
3. जो लोग कार्य और जीवन के विभिन्न पक्षों का मूलभूत ज्ञान और इसे प्रयोग करने का तरीका जानना चाहते हों ऐसे लोगों को सीखने के अवसर प्रदान करना।

हमें यह नहीं समझ लेना चाहिये कि उक्त बिन्दु *1* तथा *2* की पूर्ति औपचारिक प्रणाली द्वारा संभव है। उपरोक्त वर्णित आयु वर्ग के विद्यार्थी के लिये पाठ्यक्रम को विकसित करने की विधि इस प्रकार है-

1. समाज के स्वरूप को जानना जिससे कि उक्त अधिकांश वर्ग संबंधित है।
2. इस ग्रुप के सीखने वाले विद्यार्थी के स्वरूप की जानकारी प्राप्त करना अर्थात् सीखने वालों की जो आकांक्षा है इससे संबंध जोड़कर उन्हें कार्यक्रम के प्रति प्रोत्साहित करना।
3. समाज के स्वभाव एवं सीखने से संबंधित आवश्यकता आधारित विषय वस्तु वाले पाठ्यक्रम की उपइकाइयों की व्यवस्था करना (जिसमें सीखने के अनुभव सम्मिलित हों)।

4. सीखने की क्रिया की रूप रेखा तैयार करना।
5. पाठ्यक्रम की इकाई के मूल्यांकन हेतु विधियों व उपकरणों का विकास करना।

उपरोक्त वर्णित 4 आयुवर्ग जो ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों से संबंधित है जिसमें "लड़के व लड़कियां सम्मिलित रहते हैं। इन दोनों सामाजिक जन समुदाय में सीखने वालों की रूचियां व आकांक्षायें सर्वथा भिन्न होती हैं। किसी समुदाय को सीखने हेतु प्रारंभिक बिन्दु भी भिन्न होता है इसीलिये सीखने वाले के अनुभव व सीखने की क्रियाओं के लिये तदनुसार कार्यक्रम का नियोजन किया जाता है और वर्णित उद्देश्यों के समय - समय पर प्रभावी मूल्यांकन के लिये प्रावधान किया जाता है।

6. पाठ्यक्रम निर्माण में विषय वस्तु विशेषज्ञों तथा योजना निर्माताओं के साथ शिक्षार्थी, समुदाय के अन्य क्षेत्रीय कार्यकर्ता एवं शिक्षकों को भी सम्मिलित किया जाता है।

निरौपचारिक शिक्षा के लिये पाठ्क्रम संबंधी कुछ तथ्य ध्यान में रखने योग्य बातें होती हैं। पाठ्यक्रम निर्माण में CORE पाठ्यक्रम एक आवश्यक इकाई होती हैं। यह एक ऐसे आधारभूत पाठ्यक्रम की व्याख्या करने वाली होती है जो कम से कम वांछित शैक्षणिक आवश्यकताओं को प्राप्त करती है।

सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टिकोण से कुछ अन्य आवश्यकताएं भी होती है-

1. सकारात्मक अभिवृत्ति विकास की आवश्यकता।
2. क्रियात्मक साक्षरता तथा गणितीय ज्ञान हेतु आशावादी दृष्टिकोण की आवश्यकता।
3. प्रकृति की क्रिया की प्रारंभिक समझ एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण की आवश्यकता।
4. पारिवारिक घरेलू व्यवस्था उन्नयन के लिये कार्यात्मक ज्ञान व कौशल की आवश्यकता।
5. कार्यात्मक ज्ञान व कौशल बढ़ाने के लिये नागरिक सहभागिता की आवश्यकता।
6. जीविकोपार्जन हेतु ज्ञान व कौशल की आवश्यकता।

---

* ओम श्रीवास्तव - कुरी कुलम कन्ट्रक्शन (फार द एज ग्रुप 6-14 आई जे ऐ ई अप्रैल / मई 1976

इन इकाइयों के द्वारा जहाँ तक संभव हो सीखने वालों की आवश्यकता, रूचि, समस्या व आकांक्षाओं को एक दूसरे से संग्रहित रखा जाने का प्रयास किया जाता है।

पाठ्यक्रम के विकास के कुछ सिद्धांत निम्नानुसार विचारणीय है-

1. उद्देश्यों का सिद्धांत
2. अवरोध का सिद्धांत
3. समन्वयता का सिद्धांत
4. निरंतरता तथा परिपक्वता का सिद्धांत
5. लचीलेपन एवं परिवर्तन का सिद्धांत
6. उपयोगिता का सिद्धांत
7. जीवन व जीविका के संबंध का सिद्धांत
8. सहयोगिता का सिद्धांत

निरौपचारिक शिक्षा पाठ्यक्रम के कुछ निर्देशन बिन्दु निम्नानुसार होते है-

1. यह पाठ्यक्रम केन्द्रित न होकर विद्यार्थी केन्द्रित एवं जीवन केन्द्रित होना चाहिये।
2. पाठ्यक्रम के उद्देश्यों को निम्नांकित व्यावहारिक शब्दावली में परिभाषित किया जाना चाहिये-
   - I. विद्यार्थियों की समस्या, आवश्यकता व रूचियां।
   - II. समुदाय का आर्थिक व सांस्कृतिक समुच्चय जिससे विद्यार्थी संबंधित है।
   - III. कम से कम आवश्यक सीखना।

1. पाठ्यक्रम को समस्या जनित, आवश्यकता एवं रूचियों पर आधारित तथा विद्यार्थियों के प्रासंगिक होना चाहिये।
2. इसका बहुविध होना व लचीलापन विद्यार्थी व उसकी वातावरणीय आवश्यकता पर निर्भर रहता है।
3. पाठ्यक्रम का विकास विषयों के अन्तसंबंधी एवं समन्वयवादी तरीके पर होना चाहिए।

14. विज्ञान शिक्षण में निरौपचारिक शिक्षा की भूमिका :-

हम जानते हैं कि बच्चे की प्रासंगिक शिक्षा घर से प्रारंभ होती है। जहाँ उसे माँ पहले शिक्षक के रूप मिलती है। बाद में वह पिता और क्रमशः शिक्षक से शिक्षा प्राप्त करता है। इस प्रकार विद्यालयीन शिक्षा का विस्तार होकर "स्कूल बाहरी शिक्षा" द्वारा बालक की शिक्षा कक्षा की चार दीवारी से बाहर परिवार, खेल के मैदान, सामाजिक वातावरण और अनेक वस्तुओं के माध्यम से संपन्न होती है। संस्थागत शिक्षा (विद्यालयीन शिक्षा) तो शिक्षा का अंग मात्र होती है। जबकि स्कूल बाहरी शिक्षा का ऐसा विस्तार माना जाता है जो संस्थागत शिक्षा से वंचित रहने वालों को शिक्षित करती है।

निरौपचारिक शिक्षा के कार्यक्रमों या स्कूल बाहरी शिक्षा द्वारा गैर पढ़े - लिखे प्रौढ़ अथवा बच्चों को भी कृषि विज्ञान जैसे तकनीकि विषयों के बारे में शिक्षित किया जाता है। *

शिक्षार्थी की मनोदशा एवं आवश्यकता का अनुभव करके शिक्षक स्कूल बाहरी शिक्षा द्वारा शिक्षार्थी को शिक्षा देता है। शिक्षा उपकरण के रूप में आधुनिक तकनीकि युक्त उपकरण, अथवा वातावरण की प्रत्यक्ष वस्तुयें उपयोग में लायी जाती हैं। म०प्र० में किशोर भारती द्वारा प्रारंभ किये गये प्रयासों को वर्तमान में होशंगाबाद विज्ञान शिक्षण के रूप में सफलता से अपनाया जाता है। जिसमें छात्र रुचि लेकर विज्ञान शिक्षण का खेल की शिक्षा समझते हैं। निरौपचारिक शिक्षा केन्द्रों पर भी अब बाल केंद्रित शिक्षा के रूप में इस पद्धति को अपनाने के लिये निरौपचारिक शिक्षा की नयी नीति में निर्देश दिये गये हैं। **

---

* *Tonpe V.V. – Out of school education – A new pespective'*

Education Quarterly Vol. 32, No. 7, Jan. 1977

** *See Special feature of NFE – The New Programme of non-formal education, NFE Bulletin NCERT, June 1987, P. 19*

अनेक देशों में स्कूल बाहरी विज्ञान क्रियाकलापों के आयोजन की रूपरेखा विज्ञान क्लब तकनीकि और प्राकृतिक क्लब "पायोनियर प्लेसेस" विज्ञान अध्यापक संगठन, विज्ञान अकादमी आदि के द्वारा संपादित की जाती है। इन क्रियाओं की विषय वस्तु मानवीय एवं भौतिक संसाधनों पर निर्भर करती है इन क्रियाकलापों में विज्ञान मेला, युवा विज्ञान कांग्रेस, ग्रामीण विज्ञान, शिविर, स्वतंत्र शोध प्रायोजनायें तथा गणित ओलम्पिया जैसे कार्य शामिल है। विभिन्न देशों में निर्धारित शालेय पाठ्यक्रम और स्कूल बाहरी क्रियाकलापों के मध्य श्रंखला साधन बनने की दृष्टि से ओलम्पियाइस* प्रसिद्ध होते जा रहे है स्कूल बाहरी विज्ञान और तकनीकि शिक्षा तभी उपयोगी मानी जा सकती है जब उसे लचीला बनाकर कृषि, उद्योग तथा पर्यावरण सम्बन्धी समस्याओं से जोड़ा जाये। अन्तर्शालेय शैक्षणिक प्रतियोगिता को विज्ञान शिक्षण की पद्धति में अपनाना हितकर है** विभिन्न शालाओं के छात्र प्रतियोगी इस शैक्षणिक खेल में भाग लेते हैं तथा निम्न गुणों के विकास के लिये हितकर समझते है-

1. स्वअध्ययन के विकास की आदत।
2. स्वतंत्र और सूक्ष्म चिन्तन शक्ति का विकास।
3. वैज्ञानिक पद्धतियों में प्रशिक्षण।
4. परम्परागत कक्षा स्थितियों में परिवर्तन।
5. खिलाड़ी भावना का विकास।
6. छात्र और अध्यापकों के बीच मधुर संबंधों का विकास करना।

---

* *Science and Technology Education, International Bureau of Education's information File No. 4, 1986. printed in Indian Journal of Adult Education Vol. 97, No. 11*

** *Duggal S.P. & Duggal P.V. – International Academic Tournament : An Innovation in Teacher Edu.- Education India Vol. 44, No. 8 Feb. 1978*

15. नई शिक्षा नीति और निरौपचारिक शिक्षा :-

निरौपचारिक शिक्षा के आवश्यक लक्षणों में संगठनात्मक लचीलापन, पाठ्यक्रम की प्रासंगिकता, सीखने वालों की आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक होने वाले सीखने के क्रियाकलापों में विविधता तथा व्यवस्था का विक्रेन्द्रीकरण पूर्व से ही निर्धारित है। इस कार्यक्रम की गुणवत्ता बनाये रखने में सहायक होने वाले अधोलिखित आंतरिक विशिष्ट लक्षणों को भी अब नई नीति के अनुसार समाविष्ट किया गया है। *

1. अधिगमकर्ता केन्द्रित उपागम जहाँ निर्देशक/अध्यापक सहायक का कार्य करेगा।
2. अध्यापन की अपेक्षा अधिगम पर बल देना इस कार्य के लिये बच्चों में एक दूसरे से सीखने की क्षमता को विकसित करना।
3. अधिगमकर्ताओं के स्वप्रयत्न द्वारा प्रगति करने के लिये क्रियाकलापों का संगठन करना।
4. शीघ्रता से सीखने के लिये प्रभावकारी तकनीकों का उपयोग करना तथा (*NFE*) केन्द्रों पर प्रकाश तथा आवश्यक सामग्री की व्यवस्था करना।
5. अधिगमकर्ता के सतत मूल्यांकन पर बल देना तथा उनके मूल्यांकन एवं प्रमाण पत्र प्रदाय के लिये मूल्यांकन केन्द्र स्थापित करना।
6. बालकों की शैक्षिक उपलब्धि (विशेषकर भाषा और गणित) के लिये औपचारिक शिक्षा प्रणाली को अपनाना क्योंकि यह अपेक्षित है तथा शिक्षा की मुख्य धारा (औपचारिक संरचना) से जुड़ने के लिये आवश्यक है।
7. पाठ्येत्तर क्रियाओं का आयोजन जैसे संगीत, नृत्य, अभिनय, संवाद, खेल भ्रमण आदि।
8. सहभागिता आधारित अधिगम पर्यावरण का निर्माण तथा बालक को उत्पादक क्रियाओं के लिये सक्षम व्यक्ति की भांति समझना।

---

* *Special features of NFE the news programme of NFE, Annex-II, NFE Bulletin NCERT, June 1987.*

9. बालिकाओं तथा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों के बच्चों के लिये औपचारिक शालाओं में मिल रही सभी सुविधाओं एवं प्राथमिकताओं का लाभ (*NFE*) प्रणाली में मिलना साथ ही सभी बच्चों को नि: शुल्क पाठ्य पुस्तकें एवं स्टेशनरी प्रदान करना।

निरौपचरिक शिक्षा की नई नीति के आधारभूत क्षेत्र निम्नानुसार है* -

1. नई नीति के अनुसार निरौपचारिक शिक्षा के म०प्र० मॉडल के ही उपयोग हेतु पूर्व से चली आ रही बाध्यता को समाप्त करके इच्छार्थी के अनुकूल कोई भी मॉडल अपनाया जा सकता है। परंतु राष्ट्रीय प्राथमिक शिक्षा के सेक्शन *3* में निर्देशित आधारभूत पाठ्यक्रम को इन केन्द्रों पर अपनाने की बाध्यता रखी गई है। यह भी आवश्यक समझा गया है कि भाषा तथा गणित में प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तर की, प्राप्त की गयी उपलब्धि निरौपचारिक शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में प्रासंगिक होना चाहिये।
2. निरौपचारिक शिक्षा के केन्द्र छात्रों के लिये आर्कषक और जागरूक वातावरण युक्त हों, औपचारिक निर्देशात्मक कार्यक्रमों के साथ रोचक पाठ्यक्रम सहगामी तथा पाठ्येत्तर क्रियायें पूरक रूप में आयोजित की जायें जैसे खेल, सांस्कृतिक क्रियायें, स्काउटिंग, भ्रमण आदि।
3. छात्रों को उत्तम कोटि की अध्ययन अधिगम सामग्री प्रदान की जाये। इस दिशा में *NCERT* तथा प्रत्येक राज्य में *SCERT* द्वारा कुछ प्रारंभिक कार्य किया गया है जिसे आगे बढ़ाने की आवश्यकता है।
4. केन्द्र के लिये निर्देशक/अध्यापक के रूप में स्थानीय व्यक्ति का चुनाव किया जाये जो समुदाय (विशेषकर पिछड़े वर्ग) की सेवा के लिये प्रेरित हों। यथासंभव उपलब्ध महिला निर्देशकों को नियुक्ति देने के लिये प्राथमिकता प्रदान की जाये। इस दिशा में बालिकाओं के लिये व्यवस्थित पाठ्यक्रम की आवश्यकता है जिससे कि भविष्य में औपचारिक शिक्षा केन्द्रों के लिये महिला निर्देशक उपलब्ध हो सकें।

---

* *Parameters of Revised Scheme, Solicit Catev Revised Scheme of NFE Annexure I, NFE Bulletin NCERT, June 1987, Vol. V, No. 1*

5. प्रति केन्द्र के पर्यविक्षण के लिये रूपये *400/-* की धनराशि का प्रावधान किया गया है। पर्यविक्षक भी स्थानीय व्यक्ति होना चाहिये। जो केन्द्र के समीप क्षेत्र का निवासी हो। इसे *5* से *12* केन्द्रों का सुविधा अनुसार पर्यविक्षण कार्य करना होगा यह पर्यविक्षक हाईस्कूल स्तर तक योग्यता रखने वाला तथा अंशकालिक होगा जो अपने दैनन्दिक के कार्यकारी समय में से कम आधा समय केन्द्र के कार्यों में दे सके।

6. निरौपचारिक शिक्षा के व्यवस्था संरचना का पुनर्गठन प्रायोजना आधारित किया जाना चाहिए। यह देखने में आया है कि विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र में बिखरे हुये निरौपचारिक शिक्षा केन्द्र व्यवस्था अथवा शैक्षणिक उपलब्धि की दृष्टि से क्षमतावान नहीं हो पाते। जबकि किसी सघन बस्ती में चल रहे केन्द्रों के पर्यविक्षण सुगम होने के कारण वहाँ की व्यवस्था व्यावहारिक हो जाती है तथा निरौपचारिक शिक्षा कार्य-कर्ताओं में उत्साह की भावना विकसित होती है। इस दृष्टि से नई नीति बनाई गई है कि* सघन सीमा बस्ती के *100* केन्द्रों के लिये एक प्रायोजना लागू की जायेगी जिसके मुख्य कार्य होंगे-

1. पर्यविक्षकों का चुनाव करना।
2. कार्यक्रम का पर्यविक्षण करना।
3. विकासकारी उन्मुखीकरण कार्यक्रम के लिये विभिन्न संस्थानों के बीच संबंध विकसित करना।
4. कार्यक्रम में निर्देशन देना।
5. सामग्री प्रदाय के प्रावधानों के प्रति सजग रहना।

---

* *Para 20 of Annexure II, Elementry Education, Nonformal Education, NFE Bulletin NCERT, June 1987, Vol. V No. 1, P.21*

जिला तथा राज्य स्तर पर कार्यक्रम को अधिक सशक्त बनाया जाना है। जहाँ संभव हो वहां निरौपचारिक शिक्षा तथा प्रौढ़ शिक्षा के कार्यक्रमों के लिये प्रशासन तथा पर्यवेक्षण संबंधी संरचना को सम्मिलित किया जाये जिसमें पंचायती राज संबंधी संस्थाओं और स्वैच्छिक संगठनों को माध्यम बनाया जाये।

पूर्व से चल रहे केन्द्रों के लिये नीति इस प्रकार निर्धारित की गई है * -

1. वर्तमान केन्द्रों की स्थिति का पुनः सर्वेक्षण करके प्रायोजना क्षेत्र का चयन किया जाये।
2. उक्त प्रकार से चयनीकृत प्रायोजना क्षेत्र की सीमा से बाहर चल रहे केन्द्रों को स्थानांतरित करके चयनीकृत क्षेत्र में लाया जाये। विशेषकर ऐसे केन्द्रों को शीघ्र स्थानांतरित किया जाये जहाँ छात्रों ने पाठ्यक्रम पूर्ण कर लिया है अथवा केन्द्र बंद होने की स्थिति में है परंतु जिन केन्द्रों में द्वितीय, त्रिवर्षीय पाठ्क्रम मध्यावधि में है उन्हें पाठ्यक्रम की समाप्ति के बाद ही स्थानांतरित किया जाये।

---

* *Reorganization of NFE Scheme into Project Annex-I, Salient features of revised schemes of NFE, Bulletin, NFE NCERT June 1987, Page 6.*

16. निरौपचारिक शिक्षा के कार्यकर्ताओं के लिये प्रशिक्षण :-

औपचारिक शिक्षा से संलग्न एक आदर्श शिक्षक निरौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम को भली प्रकार संपन्न कर लेता है। इसके विपरीत यदि कोई अध्यापक वृद्ध व निष्ठाहीन है तो निरौपचारिक शिक्षा भी उसके स्तर में वांछित सुधार नहीं ला पाती। बल्कि स्थानीय क्षेत्र से चुने गये अध्यापकीय व्यक्ति (बेरोजगार शिक्षित युवक - न्यूनतम आवश्यक ज्ञान रखने वाले) प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात् इस कार्य को भली प्रकार संपन्न कर लेते हैं।

एक सामान्य धारणा है कि औपचारिक शिक्षा की तुलना में निरौपचारिक शिक्षा में प्रशिक्षण देना कुछ कठिन होता है किन्तु वास्तव में निरौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम में वांछित सामग्री विविध प्रकार की रखी जाती है जिसका आधार बालकों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा, धंधे और संस्कृति है। यह सामग्री सरलता से उपलब्ध नहीं होती है बल्कि उसे अध्यापकों द्वारा विकसित की जाती है। निरौपचारिक शिक्षा में शिक्षार्थी समूह समांगी नहीं होता जैसा कि औपचारिक शिक्षा में प्राप्त होता है।

प्रशिक्षणार्थी को वही प्रशिक्षण दिया जाता है जो कक्षा की स्थिति के अनुकूल हो। इस कार्य के लिये प्रशिक्षणार्थी की भागीदारी पद्धति को महत्व दिया जाता है, जो स्वप्रशिक्षण समूह अधिगम पर जोर देती है। तथा सहभागियों के बीच अंतर प्रतिक्रिया और उक्त कार्य में प्राप्त अनुभवों के आयाम से संपन्न होती है। कार्यक्रम के नियोजन के चरण पर सहभागियों को शामिल किया जाता है। जिससे वे प्रशिक्षण में स्वयं के लिये उपयोगी कार्यक्रम समाविष्ट कराने में समर्थ होते है।

प्रशिक्षण में स्त्रोत शिक्षकों के दल में प्रशिक्षण संस्थाओं के सदस्यों के साथ अन्य संगठनों की भागीदारी को भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है -

गत वर्षो के अनुभव के आधार पर सुधार लाने की दृष्टि से केन्द्र के सभी निर्देशक तथा पर्यवेक्षक हेतु प्रारंभिक तीस दिवसीय तथा बीस दिवसीय अनुवर्ती कार्यक्रम प्रतिवर्ष आयोजित किया जाये। यह अनुवर्ती कार्यक्रम अगले वर्षो में प्रति सत्र एक साथ

अथवा आवश्यकतानुसार अंश समयावधि में पूर्ण किया जा सकता है। पर्यविक्षकों के लिये प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाये।

जिला शिक्षा संस्थान के पूर्ण क्रियान्वयन में आने तक शिक्षक प्रशिक्षण संस्था से स्वेच्छिक संगठन दोनों अग्रणी होकर प्रायोजना प्रशासन के माध्यम से उत्तम कोटि का प्रशिक्षण आयोजित करें।

प्रशिक्षण की विषय वस्तु -

अध्यापक व पर्यविक्षकों के लिये अधिकतर समान प्रशिक्षण आयोजित किया जाता है। केवल पर्यविक्षकों को पर्यविक्षण की तकनीक और प्रतिवेदन सम्बन्धी प्रशिक्षण अलग से दिया जाता है। कार्यक्रम के प्रथम चरण में निरौपचारिक शिक्षा से संबंधित समस्याओं व आवश्यकताओं के क्षेत्र में लागू किये जाने वाले जनकल्याण कार्यक्रम, क्षेत्र में उपलब्ध होने वाली सामग्री व मानवीय संसाधन, स्वस्थ जीवन की स्थितियों की चर्चा की जाती है। दूसरे चरण में प्रशिक्षणार्थियों को छोटे समूह में बांटकर सर्वेक्षण कार्य किया जाता है ताकि वे निरौपचारिक शिक्षा के लिये उपयुक्त जनसंख्या एवं उपलब्ध होने वाले संसाधनों के क्षेत्रों का सर्वेक्षण द्वारा पता लगा सके।

यह सर्वेक्षण कार्य किसी ग्राम या क्षेत्र के रिकार्ड के लिये होता है जिसमें कि वांछित जानकारी, जनसंख्या उसके उपलब्ध होने का समय तथा संसाधनों के उपलब्ध होने का समय व स्वरूप का पता लगाया जा सके।

तीसरे चरण में निरौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम के लिये उपयोग में लायी ज़ाने वाली पद्धति पर चर्चा प्रदर्शन तथा अभ्यास एवं दृश्य भव्य सामग्री के निर्माण व उपयोग हेतु कौशल का विकास किया जाता है।

---

* *Parawetets pf revised scheme, Balient features of the revised scheme of NFE Annexure I, NFE Bulletine NCERT, Delhi, June 1987, Page No. 12*

चौथे चरण में सर्वेक्षण किये गये क्षेत्र के लिये अनुदेशात्मक सामग्री का निर्माण करना होता है।

पांचवे चरण में प्रशिक्षणार्थी का मूल्यांकन किया जाता है जिससे कि पता लग सके कि प्रशिक्षणार्थी अपनी आंकाक्षाओं की कहाँ तक पूर्ति कर पाये हैं और यह भी पता लगाया जा सके कि प्रशिक्षणार्थी किन क्षेत्रों में भविष्य में पत्राचार व सामयिक बैठकों के द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहते है।

17. मध्यप्रदेश में निरौपचारिक शिक्षा :-

भारत वर्ष में शिक्षा दुविधा की स्थिति में फंसी है। आज शिक्षित होने के बाद कोई भी युवक अपने पैतृक धन्धे को नही करना चाहता। संपन्न परिवारों और बड़े-बड़े कृषकों के शिक्षित युवक नौकरी प्राप्त करने के चक्कर में घूम रहे है। शिक्षित बेकारों की बढ़ती हुई सेना से सरकार भी चिन्तित है। इसीलिये प्रमाण पत्रों और उपाधियों का संबन्ध नौकरी से विच्छेद करने की योजना बनाई जा रही है। यह एक स्थिति है।

भारत एक समाजवादी प्रजातांत्रिक देश है। इसमें शिक्षा को नागरिकों की मूलभूत, अनिवार्य और न्यूनतम आवश्यकताओं में रखा गया है। अतः सप्तम पंचवर्षीय योजना में देश के *6-14* आयु वर्ग के समस्त बच्चों को *8* तर्ष की प्रारंभिक शिक्षा सुलभ कराते के लिये भारत सरकार ने संकल्प लिया है तथा *1995* तक (नई शिक्षा नीति के अनुसार) निरक्षरता उन्मूलन की सफलता की आशा की गई।

शिक्षा शास्त्रियों के समक्ष इन दोनों विरोधी स्थितियों को चुनौती बनाकर प्रस्तुत किया गया है। इस चुनौती को शिक्षा विभाग म०प्र० ने स्वीकार किया है। जब वर्तमान शिक्षा व्यवस्था का अध्ययन किया गया तो एक महत्वपूर्ण बात सामने आई कि औपचारिक शिक्षा की व्यवस्था ही ऐसी है कि स्कूल में पढ़ने वाला छात्र अपने घर का काम त्याग कर ही विद्यालयों में पढ़ सकता है।

देश में एक वर्ग ऐसे बच्चों का भी है जो प्रातः से सायं तक अपनी रोटी-रोजी के काम में व्यस्त रहने के कारण विद्यालयों में प्रवेश नहीं ले पाते है। अथवा प्रवेश लेने के बाद शाला छोड़ देते है। इस प्रकार के करोड़ों भूमि पुत्र मूक भाव से गिट्टी तोड़ने, नहर

बनाने, खेती करने और सड़कें बनाने आदि राष्ट्र निर्माण के कार्यों में लगे है। इन्हें भी शिक्षित करना है।

शिक्षा विभाग म०प्र० ने फरवरी सन् *1975* से एक ऐसी शिक्षा को जन्म दिया जिससे सांप मरे, न लाठी टूटे, की कहावत साकार हुई इस शिक्षा व्यवस्था से पढ़ने वाले छात्र को घर का काम धन्धा नहीं छोड़ना पड़ता तथा काम धंधे में लगे छात्र को पढ़ने का अवसर सुगम रहता है। इस शिक्षा योजना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इससे शिक्षित बेरोजगारों की संख्या में वृद्धि नही होती, बच्चे अशिक्षित होने के कलंक से बच जाते है। साथ ही शिक्षित होकर अपनी उन्नति तथा देश की समृद्ध में सक्रिय भागीदार बन जाते हैं। शिक्षा विभाग की इस शिक्षा का नाम- निरौपचारिक शिक्षा है।

निरौपचारिक शिक्षा के म०प्र० मॉडल की अपनी विशेषताएं हैं जिसके कारण केन्द्र शासन द्वारा इस मॉडल को सभी राज्यों को स्वीकार करने की अनुशंसा की गई थी।

1. औपचारिक विद्यालयों में बच्चे स्वयं पढ़ने के लिये जाते हैं, परंतु निरौपचारिक शिक्षा केन्द्र बच्चों के पास जाता है।
2. केन्द्र के छात्र अपने काम को करते हुये पढ़ते हैं।
3. केन्द्र का समय छात्र की सम्मति से निर्धारित किया जाता है।
4. केन्द्र के छात्र अपनी क्षमता के आधार पर दो वर्ष से भी कम अवधि में परीक्षा पास कर लेते हैं।
5. कक्षा पांच और कक्षा आठ की जिस परीक्षा में विद्यालय के छात्र बैठते है उसी परीक्षा में केन्द्र के छात्र भी बैठते हैं।
6. निरौपचारिक शिक्षा में बहु बिन्दु कक्षा प्रवेश की सुविधा प्राप्त है।
7. केन्द्र में सीखनें पर (स्वयं) जोर दिया जाता है।
8. केन्द्र का पाठ्यक्रम इकाईवार होता है।
9. केन्द्रों में जब छात्र इकाई पूरी कर लेता है तभी अगली इकाई में चला जाता है।

10. केन्द्र के छात्र की कक्षा - 5 या कक्षा -8 की मूल परीक्षा या पूरक परीक्षा या दोनों परीक्षाओं में बैठने की पात्रता है। जबकि इस प्रकार की सुविधा* विद्यालय के छात्र को नहीं है।

11. अपने काम को करते हुये केन्द्रों के छात्र शिक्षा प्राप्त करते है, इसलिये वे शिक्षित बेरोजगार नहीं बनते।

12. औपचारिक शिक्षा की अपेक्षा यह व्यवस्था सस्ती है।

13. विद्यालय के भवन एवं सामग्री का दोहरा उपयोग हो जाता है।

14. कम आबादी वाले जिन ग्राम या टोलों में विद्यालय खोलना संभव नहीं होता वहां के बच्चों को पढ़ाने के लिये केन्द्र ही एकमात्र सरल विकल्प है।

18. म०प्र० में निरौपचारिक शिक्षा के कार्यक्रताओं के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रम :-

1. प्रदेश में इस कार्यक्रम में संपन्न विभिन्न कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण हेतु निर्धारित अवधि, पाठ्यक्रम आदि की व्यवस्था कार्यरूप में निम्नानुसार आयोजित की जाती है-

समन्वयक -

इनका प्रशिक्षण कार्यक्रम राज्य स्तर पर वर्ष में तीन बार समय-समय पर आयोजित किया जाता है कार्यक्रम के प्रथम चरण की अवधि दस दिवस और पश्चात् द्वितीय चरण पाँच दिवस का होता है। इस कार्यक्रम की विषय वस्तु में निम्न बिन्दुओं पर मुख्य रूप से ध्यान दिया जाता है-

---

* अर्द्धशासकीय पत्र क्र० एफ-78/79 स्कूल 2 भारत शासन, शिक्षा एवं संस्कृति मंत्रालय (शिक्षा विभाग) 30.6.79

प्रशिक्षण के प्रथम चरण में -

निरौपचारिक शिक्षा की अवधारण तथा दर्शन, सर्वेक्षण और उसका विश्लेषण, म०प्र० मॉडल की मुख्य विशेषताएं निरौपचारिक शिक्षा केन्द्रों के अभिलेख संबंधी जानकारी, पर्यविक्षण की तकनीक कार्यक्रम के संगठन संबंधी जानकारी (*NFE*)के कार्यक्रमों के वित्तीय पक्षों एवं मूल्यांकन तकनीकों की जानकारी देना।

प्रशिक्षण के द्वितीय चरण में -

अनुवर्ती एवं प्रति पुष्टि कार्यक्रम सम्मिलित किये जाते हैं जिसमें समन्वयकों की क्षेत्र संबंधी समस्याओं पर चर्चा की जाकर उन्हें परामर्श दिया जाता है इस कार्यक्रम में समन्वयकों को अपने जिलों में *NFE* के केन्द्रों के अध्यापकों के प्रशिक्षण आयोजन के लिये प्रशिक्षण दिया जाता है। यह प्रशिक्षण संचनालय के *NFE* प्रकोष्ठ, राज्य शिक्षा संस्थान तथा शिक्षा महाविद्यालय के अधिकारियों द्वारा किया जाता है।

2. पर्यविक्षकों के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रम -

इसका भी आयोजन वर्ष में दो बार संभागीय स्तर पर किया जाता है। प्रथम चरण में दस दिवसीय व द्वितीय चरण की अवधि पांच दिवसीय होती है। इस कार्यक्रम में स्त्रोत शिक्षक के रूपमें जिला समन्वयक एवं शिक्षक प्रशिक्षकों को आमंत्रित किया जाता है इसके पाठ्यक्रम में *NFE* की अवधारणा और दर्शन का ज्ञान तथा (विशेषकर म०प्र० मॉडल के संदर्भ में) *NFE* केन्द्रों के लिये उपयुक्त शिक्षण पद्धतियां, पर्यविक्षण की तकनीक अभिलेख - रख रखाव एवं मूल्यांकन सम्बन्धी जानकारी का समावेश रहता है।

3. निरौपचारिक शिक्षा केन्द्रों के अध्यापकों के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रम-

इस कार्यक्रम का आयोजन वर्ष में ब्लाक स्तर पर दो चरणों में आयोजित किया जाता है। जिसमें प्रथम चरण दस दिवसीय, द्वितीय चरण पांच दिवसीय होता है इसके लिये स्त्रोत शिक्षकों के रूप में जिला समन्वयक, पर्यविक्षक-वर्ग तथा विषय-विशेषज्ञ उ.मा.वि. तथा *TTIS* से आमंत्रित किये जाते हैं।

प्रशिक्षण कार्यक्रम में निम्न बिन्दुओं पर मुख्य रूप से ध्यान दिया जाता है-

सर्वेक्षण केन्द्र संचालन का तरीका, अध्यापन विधियां, विज्ञान किट का प्रयोग, सुधरे हुये उपकरण,सामुदायिक सहयोग अभिलेख का रख - रखाव बालक की उपलब्धि का मूल्यांकन तथा प्रपत्र भरना।

केन्द्र प्रभारियों के लिये व्यवस्था -

निरौपचारिक शिक्षा में केवल सेवा पूर्ण प्रशिक्षण ही पर्याप्त नही होता बल्कि इसे सतत चलने वाले कार्यक्रम के रूप में उपयोगी बनाया जाता है। निरौपचारिक शिक्षा क्षेत्र में प्रवेश करने वाले भावी अध्यापकों के लिये यह प्रशिक्षण एक प्रारंभिक कार्य होता है। सेवारत होने के बाद ऐसे अध्यापकों की प्रशिक्षण में भागीदारी से कार्यक्रम समृद्ध होता है तथा अध्यापकगण परस्पर सहायता करते हुये इसे अधिक उपयोगी बनाते है। इस प्रक्रिया में विचारों का आदान प्रदान तथा उनकी संस्थाओं से उन्हें प्राप्त हुये अनुभव को ही आधार का कार्य करते है।

प्रशिक्षण अवधि के विषय में निरौपचारिक शिक्षा की नई नीति के अनुसार-

"केन्द्र प्रभारियों का प्रशिक्षण तो *NFE* के सम्पूर्ण कार्यक्रम की सफलता की कुंजी है। प्रथम वर्ष में *30* दिवसीय तथा अगले वर्षों में *20* दिवसीय (प्रतिवर्ष) के लिये प्रशिक्षण आयोजित किये जायें। जिसके लिये प्रभारियों के अर्जित अनुभव ही आधार माना जायेगा। *

प्रशिक्षण में सामुदायिक भागीदारी की व्यवस्था -

प्रशिक्षकों का चयन केवल शिक्षा विभाग तक सीमित न रखकर इसमें शासन के अन्य स्वैच्छिक संगठन, जनकल्याण कार्य से संबंधित विभाग के व्यक्तियों को भी शामिल करने से अच्छे व्यक्तियों का चुनाव हो जाता है। निरौपचारिक शिक्षा के लिये केन्द्र व राज्य स्तर पर शिक्षक प्रशिक्षकों का ऐसा दल जिसमें सैद्धांतिक विशेषज्ञों के साथ निरौपचारिक शिक्षा के प्रायोगिक कार्यकर्ता एवं अध्यापक तथा शोधकर्ता भी सम्मिलित हों उपयोगी माना जाता है।

---

* *See Elementry education, NFE Annexure II, NFE Bulletin NCERT Delhi, Vol 5, No. 1, June 1987, Page No. 20*

19. निरौपचारिक शिक्षा में मनोरंजन और सांस्कृतिक क्रियाओं की भूमिका :-

समाज की उन्नति के लिये किसी व्यवित के सम्पूर्ण व्यवितत्व का विकास करना समाज शिक्षा है इसके द्वारा व्यक्ति में अन्तर्निहित क्षमताओं का विकास किया जाता है जिससे कि वह सामुदायिक भावनाओं का विकास करके समाज का सृजनात्मक एवं उत्तरदायी सदस्य बन सके। इस उद्देश्य की पूर्ति में मनोरंजन और सांस्कृतिक क्रियाकलाप की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, श्रम के पश्चात् किसी व्यक्ति की मानसिक, शारीरिक और भावात्मक शक्ति की पुन: प्राप्ति के लिये किये गये क्रियाकलाप मनोरंजन की श्रेणी में आते हैं। जबकि संस्कृति के द्वारा किसी समाज की जीवन पद्धतियों का पता लगता है। स्वस्थ शरीर और मस्तिष्क के द्वारा संस्कृति व्यक्तित्व का विकास करती है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि संस्कृति का एक भाग मनोरंजन है अर्थात मनोरंजन और संस्कृति संबंधी पक्ष एक दूसरे से अन्तर्संबंधित होते हैं और पर्याय भी । इनके द्वारा जागरूकता का निर्माण करके समाज को जीवंत बनाया जाता है वे ही सांस्कृतिक कार्यक्रम उपयोगी हो सकते हैं जो मनोरंजन के साथ शैक्षणिक भूमिका का आधार रखते हों इनके उद्देश्य होते हैं-

1. सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण एवं उन्नयन
2. अधोलिखित अवसरों के लिये प्रावधान करना- जीवन की एकाग्रता से मुक्ति, अवकाश समय का सदुपयोग, स्वअभिव्यक्ति, आत्म - विश्वास और गौरव, नेतृत्व के गुणों का विकास, व्यक्ति व समाज का शैक्षणिक विकास, सामाजिक भ्रातृत्व के लिये समानता, एकता व सहयोग के भाव का विकास, भागीदारी और उपलब्धि का विनोद एवं समुदाय के लिये नैतिक वातावरण में सुधार समाज विकास के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये मनोरंजक एवं सांस्कृतिक क्रियाकलापों के निम्न माध्यम अपनाये जा सकते हैं * -

1. **अभिप्रेरण-** सामाजिक विकास के कार्यक्रमों में भागीदारी पैदा करने के लिये जन समुदाय को प्रेरित करना।
2. **जन सामान्य और समुदाय संपर्क-** इसमें विकास कार्यों के लिये एक ही स्थान पर अनेक लोग उपलब्ध हो सकते हैं जबकि व्यक्तिगत प्रयास इतने प्रभावशील व परिणामदायी नहीं हो सकते।
3. **स्वस्थ मनोरंजन और उन्मुक्तता प्रदान करना-** जिनके माध्यम से शैक्षणिक उद्देश्य की पूर्ति की जा सके।
4. **सामुदायिक संगठन व समूह निर्माण की क्रिया-** इन क्रियाकलापों में विभिन्न समुदायों की क्रियाशीलता समस्त समाज के लिये काम करती है। समाज में विद्यमान स्थितियों की जानकारी प्राप्त करके उनमें संभव अनुकूलन समायोजन द्वारा सुधार लाने के लिये ये क्रियाकलाप उपयोगी सिद्ध होते है।
5. **सांस्कृतिक प्रगति-** इन क्रियाकलापों के शैक्षणिक आधार द्वारा समाज के मूल्यों में परिवर्तन करना संभव होता है।
6. **सृजनात्मक भावना का पुनर्जागरण-** इन क्रियाओं में भागीदारी करके व्यक्ति को स्वयं को अभिव्यक्ति करने का अवसर प्राप्त होता है।
7. सतत् एवं अनुवर्त कार्यक्रम- इसके द्वारा नागरिकों में शिक्षा प्रसार हेतु एक विशिष्ट कार्यकर्ता तंत्र निर्मित किया जाता है।

---

* *See Recreational and cultural Activities in Social Education, Report of 5th National Seminar organized by Indian Adult Edu. Association at Mysore. Oct. 1-20, 1954*

ऐसा देखा गया है कि विद्यालयी नाटकों में मुख्य भूमिका निभा चुके छात्र स्पोर्टसमेनशिप के असली गुणों को बड़ी आसानी से अपने में उतार लेते हैं। वे आत्म केन्द्रित, अकारण सहमे हुये और निस्तेज नही रहते। अनेक अवांछनीय ग्रंथियों से वे मुक्त रहते है और कदम - कदम पर उन्हें अपने आप से लड़ते नहीं रहना पड़ता। नाटक और अभिनय के माध्यम से वे जितना कुछ संप्रेषण कर पाते है, उसी अनुपात में उन्हें आत्म अभिव्यक्ति का सुख मिलता है। इस विधा का लाभ शिक्षण में करने हेतु प्रयास किये जायें।

म०प्र० के कुछ स्कूलों में किया जा रहा स्कूली नाटकों का प्रयोग एक अच्छा शैक्षिक नवाचार माना जा रहा है। वहां के तीसरी कक्षा तक के छोटे-छोटे बच्चे "जादू का खेल" और पांचवी कक्षा के बालक "अंधेर नगरी चौपट राजा" जैसे नाटक अपने विद्यालय प्रागंण अथवा कक्षाओं में मंचित करने लग गये हैं। कहने की आवश्यकता नहीं कि ये नाटक उनकी पाठ्य पुस्तकों में सम्मिलित कहानियों पर आधारित हैं। विद्यालयी छात्र स्वयं संपूर्ण तैयारी में भागीदार रहते है और पाठ की पढ़ाई के साथ - साथ नाटक खेंलने का आनंद भी लेते हैं। उनका कहना है कि इस अध्यापन विधि की सहायता से वे अपने पाठों को अधिक आसानी से सीख लेते हैं।

म०प्र० शिक्षा विभाग के संयुक्त संचालक श्री पी०एन० रूसिया ने इस शैक्षिक नवाचार में व्यक्तिगत रूचि लेकर असाधारण रूप से इसे आगे बढ़ाया है। उनकी मान्यता है कि "बालक में अभिनय की क्षमता जन्मजात होती है जो उसके रोजमरोज के सामान्य जिन्दगी में दिखलाई देती है। शिक्षण प्रक्रिया में इस प्राकृतिक और मौलिक गुण का भरपूर उपयोग किया जाना चाहिए"। *

× × ×

---

* अध्यापक/पाठ्य पुस्तक का नाट्य निदेशक शिविरा पत्रिका मई जून *1987*

पंचम अध्याय

शोध तथ्यों का संकलन, गणना एवं विश्लेषण

1. आवृति वितरण सारिणी क्र० 1-32
2. शिक्षार्थियों से संबंधित N, M, SD मान सारिणी क्र० 33
3. शिक्षार्थियों से संबंधित N_{Comb} M_{Comb} SD_{Comb} t मान सारिणी क्र० 34-40
4. स्तम्भ रेखाचित्र क्र० 1-16
5. परिकल्पना परीक्षण
6. शिक्षक, पालक, सरपंच / प्रतिष्ठित व्यक्तियों के अभिमत का काई वर्ग मान एवं प्रतिशत सारिणी क्र० 41, 43, 45, 47
7. काई वर्ग आधारित विश्लेषण सारिणी 42, 44, 46, 48
8. शिक्षक, पालक, सरपंच / प्रतिष्ठित व्यक्तियों से अतिरिक्त जानकारी वाले प्रश्नों के उत्तरों का विश्लेशण

शोध तथ्यों का संकलन, गणना एवं विश्लेषण

1. आवृति वितरण सारणियाँ :-

सारिणी क्रमांक - 1

सामाजिक एवं मानवीय गुणों का विकास सम्बन्धी

आवृत्ति वितरण

(शाला त्यागी बालक/बालिका - शहरी क्षेत्र)

बालक					बालिका				
C.I.	f	d	fd	fd^2	C.I.	f	d	fd	fd^2
0-2	0	0	0	0	0-2	1	-2	-2	4
2-4	3	-1	-3	3	2-4	1	-1	-1	1
4-6	5	0	0	0	4-6	2	0	0	0
6-8	2	+1	+2	2	6-8	0	0	0	0
8-10	0	0	0	0	8-10	0	0	0	0
N=10	fd=-1		fd^2=5		N=4	fd=-3		fd^2=5	

M=4.8

sd=1.4

M=3.5

sd=1.6583

t value=1.3832

सारिणी क्रमांक - 2

सामाजिक एवं मानवीय गुणों का विकास सम्बन्धी

आवृत्ति वितरण

(शाला त्यागी बालक/बालिका- ग्रामीण क्षेत्र)

बालक					बालिका				
C.I.	f	d	fd	fd^2	C.I.	f	d	fd	fd^2
0-2	2	-3	-6	8	0-2	4	-3	-12	36
2-4	8	-2	-16	32	2-4	2	-2	-4	8
4-6	12	-1	-12	12	4-6	4	-1	-4	4
6-8	27	0	0	0	6-8	8	0	0	0
8-10	8	+1	8	8	8-10	3	+1	+3	3
N=57	fd=-26		fd^2=70		N=21	fd=-17		fd^2=51	

M = 6.0877 M = 5.3809

sd = 2.0199 sd = 2.6632

t value = 1. 1050

सारिणी क्रमांक - 3

सामाजिक एवं मानवीय गुणों का विकास सम्बन्धी

आवृत्ति वितरण

(शाला त्यागी बालक/बालिका-शहरी क्षेत्र)

बालक					बालिका				
C.I.	f	d	fd	fd^2	C.I.	f	d	fd	fd^2
0-2	7	-3	-21	63	0-2	8	-3	-24	72
2-4	13	-2	-26	52	2-4	13	-2	-26	52
4-6	10	-1	-10	10	4-6	18	-1	-18	18
6-8	26	0	0	0	6-8	22	0	0	0
8-10	15	+1	+15	15	8-10	7	+1	+7	7
N=71	fd=-42		fd^2=140		N=68	fd=-61		fd^2=149	

M =5.8169 M = 5.2058

sd = 2.5470 sd = 2.3549

t value = 1. 4700

सारिणी क्रमांक - 4

सामाजिक एवं मानवीय गुणों का विकास सम्बन्धी

आवृत्ति वितरण

(शाला अप्रवेशी बालक/बालिका ग्रामीण क्षेत्र)

बालक					बालिका				
C.I.	f	d	fd	fd^2	C.I.	f	d	fd	fd^2
0-2	25	-2	-50	100	0-2	0	-2	0	0
2-4	22	-1	-22	22	2-4	21	-1	-21	21
4-6	50	0	0	0	4-6	55	0	0	0
6-8	45	+1	45	45	6-8	30	+1	30	30
8-10	15	+2	30	60	8-10	6	+2	12	24
N=157	fd=+3		fd^2=227		N=112	fd=+21		fd^2=75	

M =5.0382 M = 5.375

sd = 2.4046 sd = 1.5931

t value = 1. 3828

सारिणी क्रमांक - 5

सामाजिक एवं मानवीय गुणों का विकास सम्बन्धी

आवृत्ति वितरण

(सवर्ण बालक/बालिका-शहरी क्षेत्र)

बालक					बालिका				
C.I.	f	d	fd	fd^2	C.I.	f	d	fd	fd^2
0-2	0	0	0	0	0-2	1	-3	-3	9
2-4	4	-1	-4	4	2-4	1	-2	-2	4
4-6	7	0	0	0	4-6	3	-1	-3	3
6-8	3	+1	+3	7	6-8	5	0	0	0
8-10	0	0	0	0	8-10	2	+1	+2	2
N=14	fd=-1		fd^2=7		N=12	fd=-6		fd^2=18	

M =4.8571 M = 6.00

sd =1.4069 sd = 2.2360

t value = 1. 530

सारिणी क्रमांक - 6

सामाजिक एवं मानवीय गुणों का विकास सम्बन्धी

आवृत्ति वितरण

(सवर्ण बालक/बालिका-ग्रामीण क्षेत्र)

बालक					बालिका				
C.I.	f	d	fd	fd^2	C.I.	f	d	fd	fd^2
0-2	7	-2	-14	28	0-2	0	0	0	0
2-4	6	-1	-6	6	2-4	2	-1	-2	2
4-6	42	0	0	0	4-6	8	0	0	0
6-8	6	+1	+6	6	6-8	3	+1	+3	3
8-10	2	+2	+4	8	8-10	0	0	0	0
N=63	fd=-10		fd^2=48		N=13	fd=+1		fd^2=5	

M =2.6825 M = 3.1538

sd =1.7167 sd =1.2307

t value = 1. 2541

सारिणी क्रमांक - 7

सामाजिक एवं मानवीय गुणों का विकास सम्बन्धी

आवृत्ति वितरण

(असवर्ण बालक/बालिका-शहरी क्षेत्र)

बालक					बालिका				
C.I.	f	d	fd	fd^2	C.I.	f	d	fd	fd^2
0-2	4	-2	-8	16	0-2	18	-2	-36	72
2-4	12	-1	-12	12	2-4	2	-1	-2	2
4-6	33	0	0	0	4-6	20	0	0	0
6-8	17	+1	+17	17	6-8	7	+1	+7	7
8-10	4	+2	+8	16	8-10	10	+2	+20	40
N=70	fd=+5		fd^2=61		N=57	fd=-11		fd^2=121	

M =5.1428 M =4.6140

sd =1.8615 sd =2.8883

t value = 1. 1952

सारिणी क्रमांक - **8**

सामाजिक एवं मानवीय गुणों का विकास सम्बन्धी

आवृत्ति वितरण

(असवर्ण बालक/बालिका-ग्रामीण क्षेत्र)

बालक					बालिका				
C.I.	f	d	fd	fd^2	C.I.	f	d	fd	fd^2
0-2	10	-2	-20	40	0-2	5	-2	-10	20
2-4	30	-1	-30	30	2-4	15	-1	-15	15
4-6	68	0	0	0	4-6	55	0	0	0
6-8	31	+1	+31	31	6-8	30	+1	%30	30
8-10	12	+2	+24	48	8-10	15	+2	+30	60
N=151	fd=+5		fd^2=149		N=120	fd=35		fd^2=125	

M =5.0662 M =5.5833

sd =1.9857 sd =1.9561

t value = 2.1433

सारिणी क्रमांक - 9

शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने सम्बन्धी

आवृत्ति वितरण

(शाला त्यागी बालक/बालिका-शहरी क्षेत्र)

बालक					बालिका				
C.I.	f	d	fd	fd^2	C.I.	f	d	fd	fd^2
0-2	0	-3	0	0	0-2	0	-1	0	0
2-4	0	-2	0	0	2-4	0	-1	0	0
4-6	3	-1	-3	3	4-6	3	0	0	0
6-8	6	0	0	0	6-8	1	+1	1	1
8-10	1	+1	+1	1	8-10	0	+2		0
N=10	fd=-2		fd^2=4		N=4	fd=1		fd^2=1	

M =6.6 M =65.5

sd =1.2 sd =0.866

t value = 1.9110

सारिणी क्रमांक - 10

शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने सम्बन्धी

आवृत्ति वितरण

(शाला त्यागी बालक/बालिका-ग्रामीण क्षेत्र)

बालक					बालिका				
C.I.	f	d	fd	fd^2	C.I.	f	d	fd	fd^2
0-2	2	-3	-6	18	0-2	0	-3	0	0
2-4	8	-2	-16	32	2-4	3	-2	-6	12
4-6	16	-1	-16	16	4-6	2	-1	-2	2
6-8	24	0	0	0	6-8	12	0	0	0
8-10	7	+1	+7	7	8-10	4	+1	+4	4
N=57	fd=-31		fd^2=73		N=21	fd=-4		fd^2=18	

M =5.9122 M =6.6190

sd =1.9849 sd =1.8121

t value = 1.4886

सारिणी क्रमांक - 11

शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने सम्बन्धी

आवृत्ति वितरण

(शाला अप्रवेशी बालक/बालिका-शहरी क्षेत्र)

बालक					बालिका				
C.I.	f	d	fd	fd^2	C.I.	f	d	fd	fd^2
0-2	9	-2	-18	36	0-2	6	-2	-12	24
2-4	13	-1	-13	13	2-4	12	-1	-12	12
4-6	40	0	0	0	4-6	30	0	0	0
6-8	3	+1	+3	3	6-8	20	+1	+20	20
8-10	6	+2	+12	24	8-10	0	0	0	0
N=71	fd=-16		fd^2=76		N=68	fd=-14		fd^2=56	

M =4.5492 M =4.8823

sd =2.0196 sd =1.8112

t value = 1.0252

सारिणी क्रमांक - 12

शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने सम्बन्धी

आवृत्ति वितरण

(शाला अप्रवेशी बालक/बालिका-ग्रामीण क्षेत्र)

बालक					बालिका				
C.I.	f	d	fd	fd^2	C.I.	f	d	fd	fd^2
0-2	13	-2	-26	52	0-2	0	-2	0	0
2-4	30	-1	-36	30	2-4	20	-1	-20	20
4-6	56	0	0	0	4-6	50	0	0	0
6-8	38	+1	+38	38	6-8	28	+1	+28	28
8-10	20	+2	+40	80	8-10	14	+2	+28	56
N=157	fd=22		fd^2=200		N=112	fd=+36		fd^2=104	

M =5.2802 M =5.6428

sd =2.2398 sd =1.8168

t value = 1.4683

सारिणी क्रमांक - **13**

शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने सम्बन्धी

आवृत्ति वितरण

(सवर्ण बालक/बालिका-शहरी क्षेत्र)

बालक					बालिका				
C.I.	f	d	fd	fd^2	C.I.	f	d	fd	fd^2
0-2	0	-2	0	0	0-2	0	-2	0	0
2-4	4	-1	-4	4	2-4	3	-1	-3	3
4-6	8	0	0	0	4-6	5	0	0	0
6-8	2	+1	+2	2	6-8	2	+1	2	2
8-10	0	+2	0	0	8-10	2	+2	4	8
N=14	fd=-2		fd^2=6		N=12	fd=+3		fd^2=13	

M =4.7142 M =5.5

sd =1.2777 sd =2.0207

t value = 1.1684

सारिणी क्रमांक - **14**

शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने सम्बन्धी

आवृत्ति वितरण

(सवर्ण बालक/बालिका-ग्रामीण क्षेत्र)

बालक					बालिका				
C.I.	f	d	fd	fd^2	C.I.	f	d	fd	fd^2
0-2	2	-2	-4	8	0-2	0	-2	0	0
2-4	18	-1	-18	18	2-4	3	-1	-3	3
4-6	30	0	0	0	4-6	5	0	0	0
6-8	13	+1	+13	13	6-8	2	+1	+2	2
8-10	0	+2	0	0	8-10	3	+2	+6	12
N=63	fd=-9		fd^2=39		N=13	fd=5		fd^2=17	

M =4.7142　　　M =5.7692

sd =1.5474　　　sd =2.1538

t value = 1.6791

सारिणी क्रमांक - **15**

शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने सम्बन्धी

आवृत्ति वितरण

(असवर्ण बालक/बालिका-शहरी क्षेत्र)

बालक					बालिका				
C.I.	f	d	fd	fd^2	C.I.	f	d	fd	fd^2
0-2	10	-2	-20	40	0-2	2	-2	-4	8
2-4	11	-1	-11	11	2-4	10	-1	-10	10
4-6	32	0	0	0	4-6	28	0	0	0
6-8	15	+1	+15	15	6-8	13	+1	+13	13
8-10	2	+2	+4	8	8-10	4	+2	+8	16
N=70	fd=-12		fd^2=74		N=57	fd=7		fd^2=47	

M =4.6571 M =5.2456

sd =1.8822 sd =1.7994

t value = 1.7958

सारिणी क्रमांक - **16**

शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने सम्बन्धी

आवृत्ति वितरण

(असवर्ण बालक/बालिका-ग्रामीण क्षेत्र)

बालक					बालिका				
C.I.	f	d	fd	fd^2	C.I.	f	d	fd	fd^2
0-2	14	-2	-28	56	0-2	10	-3	-30	90
2-4	30	-1	-30	30	2-4	13	-2	-26	52
4-6	54	0	0	0	4-6	32	-1	-32	32
6-8	38	+1	+38	38	6-8	48	0	0	0
8-10	15	+2	+30	60	8-10	17	+1	+17	17
N=151	fd=+10		fd^2=184		N=120	fd=-71		fd^2=191	

M =5.1324 M =5.8166

sd =2.2038 sd =2.2286

t value = 1.1357

सारिणी क्रमांक - 17

प्रजातांत्रिक गुणों का विकास सम्बन्धी

आवृत्ति वितरण

(शाला त्यागी बालक/बालिका-शहरी क्षेत्र)

बालक					बालिका				
C.I.	f	d	fd	fd^2	C.I.	f	d	fd	fd^2
0-2	0	0	0	0	0-2	0	0	0	0
2-4	2	-12	-4	8	2-4	0	0	0	0
4-6	2	-1	-2	2	4-6	2	0	0	0
6-8	6	0	0	0	6-8	1	+1	1	1
8-10	0	-1	0	0	8-10	1	+2	2	4
N=10	fd=-6		fd^2=10		N=04	fd=+3		fd^2=5	

M =5.8 M =6.5

sd =1.6 sd =1.6683

t value = -0.7175

सारिणी क्रमांक - **18**

प्रजातांत्रिक गुणों का विकास सम्बन्धी

आवृत्ति वितरण

(शाला त्यागी बालक/बालिका-ग्रामीण क्षेत्र)

बालक					बालिका				
C.I.	f	d	fd	fd^2	C.I.	f	d	fd	fd^2
0-2	10	-2	-20	40	0-2	1	3	-3	9
2-4	3	-1	-3	3	2-4	3	2	-6	12
4-6	23	0	0	0	4-6	5	1	-5	5
6-8	17	+1	+17	17	6-8	10	0	0	0
8-10	4	+2	+8	16	8-10	2	+1	+2	2
N=57	fd=2		fd^2=76		N=21	fd=-12		fd^2=28	

M =5.0702 M =5.8571

sd =5.3083 sd =2.0068

t value = 1.474

सारिणी क्रमांक - 19

प्रजातांत्रिक गुणों का विकास सम्बन्धी

आवृत्ति वितरण

(शाला त्यागी बालक/बालिका-शहरी क्षेत्र)

बालक					बालिका				
C.I.	f	d	fd	fd^2	C.I.	f	d	fd	fd^2
0-2	0	-2	0	0	0-2	14	-3	-42	126
2-4	9	-1	-9	9	2-4	6	-2	-12	24
4-6	42	0	0	0	4-6	15	-1	-15	15
6-8	20	+1	20	20	6-8	39	0	0	0
8-10	0	+2	0	0	8-10	0	+1	0	0
N=71	fd=+11		fd^2=29		N=68	fd=-69		fd^2=165	

M =5.3098 M =4.9705

sd =1.2400 sd =2.3637

t value = 1.0533

सारिणी क्रमांक - **20**

प्रजातांत्रिक गुणों का विकास सम्बन्धी

आवृत्ति वितरण

(शाला अप्रवेशी बालक/बालिका-ग्रामीण क्षेत्र)

बालक					बालिका				
C.I.	f	d	fd	fd^2	C.I.	f	d	fd	fd^2
0-2	22	-2	-44	88	0-2	12	-3	-36	108
2-4	30	-1	-30	30	2-4	20	-2	-40	80
4-6	60	0	0	0	4-6	30	-1	-30	30
6-8	30	+1	+30	30	6-8	40	0	0	0
8-10	15	+2	+30	60	8-10	10	+1	10	10
N=157	fd=-14		fd^2=208		N=112	fd=-96		fd^2=228	

M =4.8216 M =5.2857

sd =2.2961 sd =2.2813

t value =0+1.6410

सारिणी क्रमांक - 21

प्रजातांत्रिक गुणों का विकास सम्बन्धी

आवृत्ति वितरण

(सवर्ण बालक/बालिका-शहरी क्षेत्र)

बालक					बालिका				
C.I.	f	d	fd	fd^2	C.I.	f	d	fd	fd^2
0-2	0	-2	0	0	0-2	2	-3	-6	18
2-4	1	-1	-1	1	2-4	3	-2	-6	12
4-6	6	0	0	0	4-6	2	-1	-2	2
6-8	4	+1	4	4	6-8	4	0	0	0
8-10	3	+2	6	12	8-10	1	+1	1	1
N=14	fd=9		fd^2=17		N=12	fd=-13		fd^2=33	

M =6.2857 M=4.8333

sd =1.7900 sd =2.5110

t value =1.6725

सारिणी क्रमांक - **22**

प्रजातांत्रिक गुणों का विकास सम्बन्धी

आवृत्ति वितरण

(सवर्ण बालक/बालिका-ग्रामीण क्षेत्र)

बालक					बालिका				
C.I.	f	d	fd	fd^2	C.I.	f	d	fd	fd^2
0-2	2	-3	-6	18	0-2	0	-1	0	0
2-4	13	-2	-26	52	2-4	2	-1	-2	2
4-6	8	-1	-8	8	4-6	8	0	0	0
6-8	40	0	0	0	6-8	3	+1	3	3
8-10	0	+1	+1	1	8-10	0	+2	0	2
N=63	fd=-39		fd^2=79		N=13	fd=+1		fd^2=5	

M =5.7619 M=5.1538

sd =1.8662 sd =1.2307

t value =1.4677

सारिणी क्रमांक - 23

प्रजातांत्रिक गुणों का विकास सम्बन्धी

आवृत्ति वितरण

(असवर्ण बालक/बालिका-शहरी क्षेत्र)

बालक					बालिका				
C.I.	f	d	fd	fd^2	C.I.	f	d	fd	fd^2
0-2	0	-3	0	0	0-2	4	-3	-12	36
2-4	10	-2	-20	40	2-4	5	-2	-10	20
4-6	20	-1	-20	20	4-6	15	-1	-18	18
6-8	45	0	0	0	6-8	30	0	0	0
8-10	0	+1	1	1	8-10	0	+1	0	0
N=70	fd=-39		fd^2=61		N=57	fd=-40		fd^2=74	

M =5.8857 M=5.5964

sd =1.4980 sd =1.7953

t value =0.972

सारिणी क्रमांक - 24

प्रजातांत्रिक गुणों का विकास सम्बन्धी

आवृत्ति वितरण

(असवर्ण बालक/बालिका-ग्रामीण क्षेत्र)

बालक					बालिका				
C.I.	f	d	fd	fd^2	C.I.	f	d	fd	fd^2
0-2	7	-2	-14	28	0-2	5	-2	-10	20
2-4	30	-1	-30	30	2-4	15	-1	-15	15
4-6	73	0	0	0	4-6	65	0	0	0
6-8	41	+1	41	41	6-8	35	+1	+35	35
8-10	0	+2	0	0	8-10	0	+2	0	0
N=151	fd=-3		fd^2=99		N=120	fd=+10		fd^2=70	

M =4.960 M=5.1666

sd =1.6190 sd =1.5184

t value =1.0816

सारिणी क्रमांक - 25

वैज्ञानिक अभिरुचि विकास सम्बन्धी

आवृत्ति वितरण

(शाला त्यागी बालक/बालिका-शहरी क्षेत्र)

बालक					बालिका				
C.I.	f	d	fd	fd^2	C.I.	f	d	fd	fd^2
0-2	0	-2	0	0	0-2	0	-2	0	0
2-4	1	-1	-1	1	2-4	1	-1	-1	1
4-6	4	0	0	0	4-6	2	0	0	0
6-8	3	+1	+3	3	6-8	1	+1	+1	1
8-10	2	+2	+4	8	8-10	0	+2	+0	0
N=10,	fd=+6,		fd^2=12,		N=4,	fd=0,		fd^2=2	

M =6.2 M=5

sd =1.8330 sd =1.4142

t value =1.3126

सारिणी क्रमांक - 26

वैज्ञानिक अभिरुचि विकास सम्बन्धी

आवृत्ति वितरण

(शाला त्यागी बालक/बालिका-ग्रामीण क्षेत्र)

बालक					बालिका				
C.I.	f	d	fd	fd^2	C.I.	f	d	fd	fd^2
0-2	12	-2	-24	48	0-2	0	-2	0	0
2-4	7	-1	-7	4	2-4	4	-1	-4	4
4-6	19	0	0	0	4-6	9	0	0	0
6-8	10	+1	+10	10	6-8	2	+1	+2	2
8-10	9	+2	+18	36	8-10	6	+2	+12	24
N=57	fd=-3		fd^2=101		N=21	fd=+10		fd^2=30	

M =4.894 M=5.952

sd =2.6602 sd =2.1925

t value =1.7808

सारिणी क्रमांक - 27

वैज्ञानिक अभिरूचि विकास सम्बन्धी

आवृत्ति वितरण

(शाला अप्रवेशी बालक/बालिका-शहरी क्षेत्र)

बालक					बालिका				
C.I.	f	d	fd	fd^2	C.I.	f	d	fd	fd^2
0-2	11	-3	-33	99	0-2	8	-3	-24	72
2-4	12	-2	-24	48	2-4	9	-2	-18	36
4-6	18	-1	-18	18	4-6	17	-1	-17	17
6-8	25	0	0	0	6-8	25	0	0	0
8-10	5	+1	+5	5	8-10	9	+1	+9	9
N=71	fd=-70		fd^2=170		N=68	fd=-50		fd^2=134	

M =5.028 M=5.5294

sd =2.3852 sd =2.3915

t value =1.2374

सारिणी क्रमांक - **28**

वैज्ञानिक अभिरूचि विकास सम्बन्धी

आवृत्ति वितरण

(शाला अप्रवेशी बालक/बालिका-ग्रामीण क्षेत्र)

बालक					बालिका				
C.I.	f	d	fd	fd^2	C.I.	f	d	fd	fd^2
0-2	15	-2	-30	60	0-2	15	-3	-45	135
2-4	14	-1	-14	14	2-4	10	-2	-20	40
4-6	100	0	0	0	4-6	19	-1	-19	19
6-8	6	+1	+6	6	6-8	60	0	0	0
8-10	22	+2	+44	88	8-10	8	+1	+8	8
N=157	fd=6		fd^2=168		N=112	fd=-76		fd^2=202	

M =5.0764 M=5.6428

sd =2.0675 sd =2.3179

t value =2.0663

सारिणी क्रमांक - 29

वैज्ञानिक अभिरूचि विकास सम्बन्धी

आवृत्ति वितरण

(सवर्ण बालक/बालिका-शहरी क्षेत्र)

बालक					बालिका				
C.I.	f	d	fd	fd^2	C.I.	f	d	fd	fd^2
0-2	1	-2	-2	4	0-2	3	-2	-6	12
2-4	2	-1	-2	2	2-4	2	-1	-2	2
4-6	5	0	0	0	4-6	4	0	0	0
6-8	3	+1	+3	3	6-8	1	+1	+1	1
8-10	3	+2	+6	12	8-10	2	+2	+4	8
N=14	fd=+5		fd^2=21		N=12	fd=-3		fd^2=23	

M =5.7142 M=4.5

sd =2.3430 sd =2.7233

t value =1.2081

सारिणी क्रमांक - 30

वैज्ञानिक अभिरूचि विकास सम्बन्धी

आवृत्ति वितरण

(सवर्ण बालक/बालिका-ग्रामीण क्षेत्र)

बालक					बालिका				
C.I.	f	d	fd	fd^2	C.I.	f	d	fd	fd^2
0-2	0	-2	0	0	0-2	1	-2	-2	4
2-4	9	-1	-9	9	2-4	2	-1	-2	2
4-6	28	0	0	0	4-6	7	0	0	0
6-8	18	+1	+18	18	6-8	3	+1	+3	3
8-10	8	+2	+16	23	8-10	0	+2	0	0
N=63	fd=25		fd^2=59		N=13	fd=-1		fd^2=9	

M =5.7936 M=4.8461

sd =1.7653 sd =1.6569

t value =1.8560

सारिणी क्रमांक - 31

वैज्ञानिक अभिरूचि विकास सम्बन्धी

आवृत्ति वितरण

(असवर्ण बालक/बालिका-शहरी क्षेत्र)

बालक					बालिका				
C.I.	f	d	fd	fd^2	C.I.	f	d	fd	fd^2
0-2	10	-2	-20	40	0-2	10	-2	-20	40
2-4	8	-1	-8	8	2-4	14	-1	-14	14
4-6	35	0	0	0	4-6	20	0	0	0
6-8	12	+1	+12	12	6-8	10	+1	+10	10
8-10	5	+2	+10	20	8-10	3	+2	+6	12
N=70	fd=-6		fd^2=80		N=57	fd=-18		fd^2=76	

M =4.8285 M=4.3684

sd =2.1312 sd =2.2213

t value =1.1827

सारिणी क्रमांक - 32

वैज्ञानिक अभिरूचि विकास सम्बन्धी

आवृत्ति वितरण

(असवर्ण बालक/बालिका-ग्रामीण क्षेत्र)

बालक					बालिका				
C.I.	f	d	fd	fd^2	C.I.	f	d	fd	fd^2
0-2	16	-3	-48	144	0-2	5	-3	-15	45
2-4	25	-2	-50	100	2-4	15	-2	-30	60
4-6	30	-1	-30	30	4-6	24	-1	-24	24
6-8	64	0	0	0	6-8	70	0	0	0
8-10	16	+1	+16	16	8-10	6	+1	+6	6
N=151	fd=-112		fd^2=260		N=120	fd=-63		fd^2=135	

M =5.5165 M=5.9500

sd =2.1649 sd =1.8432

t value =1.7802

सारिणी क्रमांक - 33

सामाजिक गुणों का विकास सम्बंधी **N, M** तथा **SD** के आंकड़े

		N	Mean	SD
1	शहरी शाला त्यागी बालक	10	4.8	1.4
2	शहरी शाला त्यागी बालिका	4	3.5	1.66
3	ग्रामीण शाला त्यागी बालक	57	6.08	2.019
4	ग्रामीण शाला त्यागी बालिका	21	5.38	2.66
5	शहरी अप्रवेशी बालक	71	5.81	2.54
6	शहरी अप्रवेशी बालिका	68	5.20	2.35
7	ग्रामीण अप्रवेशी बालक	157	5.03	2.40
8	ग्रामीण अप्रवेशी बालिका	112	5.37	1.59
9	शहरी सवर्ण बालक	14	4.85	1.40
10	शहरी असवर्ण बालिका	12	6.00	2.23
11	ग्रामीण सवर्ण बालक	63	2.68	1.71
12	ग्रामीण सवर्ण बालिका	13	3.15	1.23
13	शहरी असवर्ण बालक	70	5.14	1.86
14	शहरी असवर्ण बालिका	57	4.61	2.88
15	ग्रामीण असवर्ण बालक	151	5.06	1.98
16	ग्रामीण असवर्ण बालिका	120	5.58	1.95

सारिणी क्र.- **34**

सामाजिक गुणों का विकास संबंधी

	N Comb	M comb	Sd comb	T value
शाला त्यागी	92	5.64	2.20914	1.3907
अप्रवेशी	408	5.28	2.3867	
सवर्ण	102	3.42	2.0561	7.5747
असवर्ण	398	5.16	2.1236	
बालक	295	5.4128	2.3847	0.6813
बालिका	205	5.2781	2.0151	
शहरी शिक्षार्थी	153	4.9815	2.31391	1.11428
ग्रामीण शिक्षार्थी	347	4.7358	2.1784	

सारिणी क्रमांक - 35

शिक्षा की मुख्य धारा से जुड़ने सम्बन्धी NM तथा SD के आँकड़े

		N	Mean	SD
1	शहरी शाला त्यागी बालक	10	6.6	1.2
2	शहरी शाला त्यागी बालिका	4	5.5	0.866
3	ग्रामीण शाला त्यागी बालक	57	5.9122	1.9849
4	ग्रामीण शाला त्यागी बालिका	21	6.6190	1.8121
5	शहरी अप्रवेशी बालक	71	4.5492	2.0196
6	शहरी अप्रवेशी बालिका	68	4.8823	1.8112
7	ग्रामीण शाला अप्रवेशी बालक	157	5.2802	2.2398
8	ग्रामीण अप्रवेशी बालिका	112	5.6428	1.8168
9	शहरी सवर्ण बालक	14	4.7142	1.2777
10	शहरी सवर्ण बालिका	12	5.5	2.0207
11	ग्रामीण सवर्ण बालक	63	4.7142	1.5474
12	ग्रामीण सवर्ण बालिका	13	5.7692	2.1538
13	शहरी असवर्ण बालक	70	4.6571	1.8822
14	शहरी असवर्ण बालिका	57	5.2456	1.799
15	ग्रामीण असवर्ण बालक	151	5.1324	2.2038
16	ग्रामीण असवर्ण बालिका	120	5.8166	2.2286

सारिणी क्रमांक - 36

शिक्षा की मुख्य धारा से जुड़ने संबंधी

	N COM	M COM	SD Comb	T Value
शाला त्यागी	92	6.127	1.867	4.3274
अप्रवेश	408	5.178	2.05	
सवर्ण	102	4.92	1.72	1.6923
असवर्ण	398	5.26	2.13	
बालक	295	5.2711	2.17313	1.2102
बालिका	205	5.487	1.8015	
शहरी शिक्षार्थी	153	4.937	1.8347	1.9782
ग्रामीण शिक्षार्थी	397	5.3095	2.1635	

सारिणी क्रमांक - 37

प्रजातांत्रिक गुणों का विकास संबंधी

N, M तथा SD के आकड़े

		N	Mean	SD
1	शहरी शाला त्यागी बालक	10	5.8	1.6
2	शहरी शाला त्यागी बालिका	4	6.5	1.6683
3	ग्रामीण शाला त्यागी बालक	57	5.0702	2.3083
4	ग्रामीण शाला त्यागी बालिका	21	5.8571	2.0068
5	शहरी अप्रवेशी बालक	71	5.3098	1.24
6	शहरी अप्रवेशी बालिका	68	4.9705	2.3637
7	ग्रामीण शाला अप्रवेशी बालक	157	4.8216	2.2961
8	ग्रामीण अप्रवेशी बालिका	112	5.2857	2.2813
9	शहरी सवर्ण बालक	14	6.2857	1.79
10	शहरी सवर्ण बालिका	12	4.8333	0.8684
11	ग्रामीण सवर्ण बालक	63	5.7619	1.8662
12	ग्रामीण सवर्ण बालिका	13	5.1538	1.2307
13	शहरी असवर्ण बालक	70	5.8857	1.4980
14	शहरी असवर्ण बालिका	57	5.5964	1.7953
15	ग्रामीण असवर्ण बालक	151	4.960	1.6190
16	ग्रामीण असवर्ण बालिका	120	5.166	1.5184

सारिणी क्रमांक - 38

प्रजातांत्रिक गुणों का विकास संबंधी

	N Comb	M Comb	SD Comb	T Value
शाला त्यागी	92	5.38	2.34	1.277
अप्रवेश	408	5.04	2.16	
सवर्ण	102	5.63	1.73	2.1108
असवर्ण	398	5.23	1.62	
बालक	295	5.0202	4.4390	2.6290
बालिका	205	5.2632	2.2927	
शहरी शिक्षार्थी	153	5.7312	1.6357	3.449
ग्रामीण शिक्षार्थी	347	5.1837	1.6376	

सारिणी क्रमांक - 39

वैज्ञानिक अभिरूचि विकास संबंधी

N, M तथा SD के आकड़े

		N	Mean	SD
1	शहरी शाला त्यागी बालक	10	6.2	1.8330
2	शहरी शाला त्यागी बालिका	4	5.0	1.4142
3	ग्रामीण शाला त्यागी बालक	57	4.894	2.6602
4	ग्रामीण शाला त्यागी बालिका	21	5.952	2.1925
5	शहरी अप्रवेशी बालक	71	5.028	2.3852
6	शहरी अप्रवेशी बालिका	68	5.5294	2.3915
7	ग्रामीण शाला अप्रवेशी बालक	157	5.0764	2.0675
8	ग्रामीण अप्रवेशी बालिका	112	5.6428	2.3179
9	शहरी सवर्ण बालक	14	5.7142	2.3430
10	शहरी सवर्ण बालिका	12	4.5	2.7233
11	ग्रामीण सवर्ण बालक	63	5.7936	1.7653
12	ग्रामीण सवर्ण बालिका	13	4.8461	1.6569
13	शहरी असवर्ण बालक	70	4.8285	2.1312
14	शहरी असवर्ण बालिका	57	4.3684	2.2213
15	ग्रामीण असवर्ण बालक	151	5.5165	2.1649
16	ग्रामीण असवर्ण बालिका	120	5.950	1.8432

सारिणी क्रमांक -40

वैज्ञानिक अभिरुचि विकास संबंधी

	N Comb	M Comb	SD Comb	T Value
शाला त्यागी	92	5.22	2.4956	0.2470
अप्रवेश	408	5.29	2.2638	
सवर्ण	102	5.50	2.0945	0.6420
असवर्ण	398	5.35	2.1463	
बालक	295	5.067	2.2756	2.6608
बालिका	205	5.624	2.3204	
शहरी शिक्षार्थी	153	4.7108	2.26364	4.6166
ग्रामीण शिक्षार्थी	347	5.6911	2.0062	

सांख्यिकी गणनाओं में प्रयुक्त सूत्र

1. Mean $= A.M. + \frac{fd}{N} \times C.I$

2. SD or $= 1 \times \frac{fd^2}{N} - \frac{fd^2}{N}$

3. SED $= \overline{N_1} + \overline{N_2}$

4. t value $= \frac{M1 - M2}{SED}$

5. N Comb $= N_1 + N_2 + N_3 - N_n$

6. M Comb $= \frac{N_1 M_1 + N_2 M_2 + N_3 M_3 - N_n M_n}{N_1 + N_2 + N_3 - N_n}$

7. d = M-M comb

8. SD Comb $= \frac{N_1 (\quad) + N_2 (\quad) ....N_3 (\quad)}{N_1 + N_2 .... N_n}$

9. काई वर्ग - $\frac{(fe-fo)^2}{fe}$

ग्राफ क्र. - 1

ग्राफ क्र. - 2

प्रजातांत्रिक गुण
ग्राफ क्र. - 3

शिक्षा की मुख्य धारा से जुड़ना
ग्राफ क्र. - 4

ग्राफ क्र. - 5

ग्राफ क्र. - 6

ग्राफ क्र. - 7

ग्राफ क्र. - 8

x अक्ष = 20 अंक = 1 अंक
y अक्ष = 20 अंक = 1 अंक

6
5
4
3
2
1

सवर्ण
असवर्ण

वैज्ञानिक अभिरुचि
ग्राफ क्र. - 9

सामाजिक गुण
ग्राफ क्र. - 10

प्रजातांत्रिक गुण
ग्राफ क्र. - 11

शिक्षा की मुख्य धारा से जुड़ना
ग्राफ क्र. - 12

ग्राफ क्र. - 13

ग्राफ क्र. - 14

ग्राफ क्र. - 15

ग्राफ क्र. - 16

5. शून्य परिकल्पनाओं का परीक्षण -

परिकल्पना क्रमांक 1 के लिए टी का मान 0.6813 जो सारिणी में दिये गये 1000 df के लिये .01 व .05 विश्वसनीयता स्तर पर निर्धारित मान 2.58 एवं 1.96 से कम है। अतः परिकल्पना को मान्य करते हुये हम कह सकते हैं कि बालक और बालिकाओं के सामाजिक गुणों के विकास में अंतर परिलक्षित नहीं होता है। जो कि इनमें मध्यमान अंक स्तर से देखा जा सकता है और ग्राफ क्रमांक 2 से स्पष्ट है।

परिकल्पना क्रमांक 2 के लिये टी का मान 1.3907 है जो सारिणी में दिये गये 1000 df के लिये .01 व .05 विश्वसनीयता स्तर पर क्रमशः निर्धारित मान 2.58 एवं 1.96 से कम है। अतः परिकल्पना को मान्य करते हुये हम कह सकते है कि शाला त्यागी और अप्रवेशी शिक्षार्थियों के सामाजिक गुणों के विकास में अंतर परिलक्षित नहीं होता है जो कि इनके मध्यमान अंक स्तर से देखा जा सकता है और ग्राफ क्रमांक 6 से स्पष्ट है।

परिकल्पना क्रमांक 3 के लिये टी का मान 7.5747 है जो सारिणी में दिये गये 1000 df के लिये .01 व .05 विश्वसनीयता स्तर पर निर्धारित मान 2.58 एवं 1.96 से कम है। अतः परिकल्पना को अमान्य करते हुये हम कह सकते हैं कि केन्द्र पर अध्ययनरत सवर्ण और असवर्ण शिक्षार्थियों के बीच सामाजिक गुणों के विकास में अंतर परिलक्षित होता है जो कि इनके मध्यमान अंक स्तर से देखा जा सकता है और ग्राफ क्रमांक 10 से स्पष्ट है।

परिकल्पना क्रमांक 4 के लिये टी का मान 1.11428 है जो सारिणी में दिये गये 1000 df के लिये .01 व .05 विश्वसनीयता स्तर पर निर्धारित मान 2.58 एवं 1.96 से कम है अतः परिकल्पना को मान्य करते हुये हम कह सकते हैं कि केन्द्र पर अध्ययनरत ग्रामीण एवं शहरी शिक्षार्थियों के बीच सामाजिक गुणों के विकास में अंतर परिलक्षित होता है जो कि इनके मध्यमान अंक स्तर से देखा जा सकता है और ग्राफ क्रमांक 4 से स्पष्ट है।

परिकल्पना क्रमांक 5 के लिये टी का मान 1.2102 है जो सारिणी में दिये गये 1000 df के लिये .01 व .05 विश्वसनीयता स्तर पर निर्धारित मान 2.58 एवं 1.96 से कम है। अतः परिकल्पना को मान्य करते हुये हम कह सकते हैं कि केन्द्र पर अध्ययनरत बालक और बालिका शिक्षार्थियों के बीच शिक्षा की मुख्य धारा से जुड़ने सम्बन्धी अभिरूचि के बीच विकास में अंतर परिलक्षित होता है जो कि इनके मध्यमान इस स्तर से देखा जा सकता है और ग्राफ क्रमांक 4 से स्पष्ट है।

परिकल्पना क्रमांक 6 के लिये टी का मान 4.3274 है जो सारिणी में दिये गये 1000 df के लिये .01 व .05 विश्वसनीयता स्तर पर निर्धारित मान 2.58 एवं 1.96 से अधिक है। अतः परिकल्पना को अमान्य करते हुये हम कह सकते हैं कि केन्द्र पर अध्ययनरत शाला त्यागी और शाला अप्रवेशी शिक्षार्थियों के बीच शिक्षा की मुख्य धारा से जुड़ने सम्बन्धी अभिरूचि के विकास में अंतर परिलक्षित नहीं होता है जो कि मध्यमान अंक स्तर से देखा जा सकता है और ग्राफ क्रमांक 8 से स्पष्ट है।

परिकल्पना क्रमांक 7 के लिये टी का मान 1.6923 है जो सारिणी में दिये गये 1000 df के लिये .01 व .05 विश्वसनीयता स्तर पर निर्धारित मान 2.58 एवं 1.96 से कम है। अतः परिकल्पना को मान्य करते हुये हम कह सकते हैं कि केन्द्र पर अध्ययनरत सवर्ण और असवर्ण शिक्षार्थियों के बीच शिक्षा की मुख्य धारा से जुड़ने सम्बन्धी अभिरूचि के विकास में अंतर परिलक्षित होता है जो कि इनके मध्यमान अंक स्तर से देखा जा सकता है और ग्राफ क्रमांक 12 से स्पष्ट है।

परिकल्पना क्रमांक 8 के लिये टी का मान 1.9782 है जो सारिणी में दिये गये 1000 df के लिये .01 व .05 विश्वसनीयता स्तर पर निर्धारित मान 2.58 एवं 1.96 से कम है। अतः परिकल्पना को मान्य करते हुये हम कह सकते हैं कि केन्द्र पर अध्ययनरत शहरी और ग्रामीण शिक्षार्थियों के बीच शिक्षा की मुख्य धारा से जुड़ने सम्बन्धी अभिरूचि के विकास में अंतर परिलक्षित होता है जो कि इनके मध्यमान अंक स्तर से देखा जा सकता है और ग्राफ क्रमांक 16 से स्पष्ट है।

परिकल्पना क्रमांक 9 के लिये टी का मान 2.6290 है जो सारिणी में दिये गये 1000 df के लिये .01 व .05 विश्वसनीयता स्तर पर निर्धारित मान 2.58 से अधिक है। अतः परिकल्पना को मान्य करते हुये हम कह सकते हैं कि केन्द्र पर अध्ययनरत बालक और बालिका शिक्षार्थियों के बीच प्रजातांत्रिक गुणों के विकास में अंतर परिलक्षित नही होता है जैसा कि ग्राफ क्रमांक 3 से स्पष्ट है।

परिकल्पना क्रमांक 10 के लिये टी का मान 1.277 है जो सारिणी में दिये गये 1000 df के लिये .01 व .05 विश्वसनीयता स्तर पर निर्धारित मान 2.58 व 1.96 से कम है। अतः परिकल्पना को मान्य करते हुये हम कह सकते हैं कि केन्द्र पर अध्ययनरत शाला त्यागी और अप्रवेशी शिक्षार्थियों के बीच प्रजातांत्रिक गुणों के विकास में अंतर परिलक्षित होता है जो कि इनके मध्यमान अंक स्तर से देखा जा सकता है।और ग्राफ क्रमांक 7 से स्पष्ट है।

परिकल्पना क्रमांक 11 के लिये टी का मान 2.1108 है जो सारिणी में दिये गये 1000 df के लिये .01 व .05 विश्वसनीयता स्तर पर निर्धारित मान 2.58 व 1.96 से कम है। अतः परिकल्पना को मान्य करते हुये हम कह सकते हैं कि केन्द्र पर अध्ययनरत सवर्ण और अवर्ण शिक्षार्थियों के बीच प्रजातांत्रिक गुणों के विकास में अंतर परिलक्षित होता है जो कि इनके मध्यमान अंक स्तर से देखा जा सकता है।और ग्राफ क्रमांक 11 से स्पष्ट है।

परिकल्पना क्रमांक 12 के लिये टी का मान 3.449 है जो सारिणी में दिये गये 1000 df के लिये .01 व .05 विश्वसनीयता स्तर पर निर्धारित मान 2.58 से अधिक है। अतः परिकल्पना को अमान्य करते हुये हम कह सकते हैं कि केन्द्र पर अध्ययनरत शहरी और ग्रामीण शिक्षार्थियों के बीच प्रजातांत्रिक गुणों के विकास में अंतर परिलक्षित नही होता है जैसा कि ग्राफ क्रमांक 15 से स्पष्ट है।

परिकल्पना क्रमांक 13 के लिये टी का मान 2.6608 है जो सारिणी में दिये गये 1000 df के लिये .01 व .05 विश्वसनीयता स्तर पर निर्धारित मान 2.58 से अधिक है। अतः परिकल्पना को मान्य करते हुये हम कह सकते हैं कि केन्द्र पर अध्ययनरत बालक

और बालिका शिक्षार्थियों के बीच वैज्ञानिक अभिरूचि के विकास में कोई सार्थक अंतर परिलक्षित नहीं होता है जैसा कि ग्राफ क्रमांक 1 से स्पष्ट है।

परिकल्पना क्रमांक 14 के लिये टी का मान 0.2470 है जो सारिणी में दिये गये 1000 df के लिये .01 व .05 विश्वसनीयता स्तर पर निर्धारित मान 2.58 एवं 1.96 से कम है। अतः परिकल्पना को अमान्य करते हुये हम कह सकते हैं कि केन्द्र पर अध्ययनरत शाला त्यागी और अप्रवेशी शिक्षार्थियों के बीच वैज्ञानिक अभिरूचि के विकास में अंतर परिलक्षित होता है जो कि इनके मध्यमान अंक स्तर से देखा जा सकता है जैसा कि ग्राफ क्रमांक 5 से स्पष्ट है।

परिकल्पना क्रमांक 15 के लिये टी का मान 0.6420 है जो सारिणी में दिये गये 1000 df के लिये .01 व .05 विश्वसनीयता स्तर पर निर्धारित मान 2.58 एवं 1.96 से कम है। अतः परिकल्पना को अमान्य करते हुये हम कह सकते हैं कि केन्द्र पर अध्ययनरत सवर्ण और असवर्ण शिक्षार्थियों के बीच वैज्ञानिक अभिरूचि के विकास में अंतर परिलक्षित होता है जो कि इनके मध्यमान अंक स्तर से देखा जा सकता है जैसा कि ग्राफ क्रमांक 9 से स्पष्ट है।

परिकल्पना क्रमांक 16 के लिये टी का मान 4.8166 है जो सारिणी में दिये गये 1000 df के लिये .01 व .05 विश्वसनीयता स्तर पर निर्धारित मान 2.58 से अधिक है। अतः परिकल्पना को मान्य करते हुये हम कह सकते हैं कि केन्द्र पर अध्ययनरत शहरी और ग्रामीण शिक्षार्थियों के बीच वैज्ञानिक अभिरूचि के विकास में कोई सार्थक अंतर परिलक्षित नहीं होता है जैसा कि ग्राफ क्रमांक 13 से स्पष्ट है।

सारिणी क्रमांक - **41**

शिक्षक, पालक सरपंच/प्रतिष्ठित व्यक्तियों के अभिमत का काई वर्ग मान एवं प्रतिशत (शिक्षार्थियों में सामाजिक - व्यवहार सुधार संबंधी)

प्र० क्र०		शिक्षक				पालक				प्रतिष्ठित व्यक्ति			
		संख्या एवं प्रतिशत				संख्या एवं प्रतिशत				संख्या एवं प्रतिशत			
		सहमत	उदासीन	असहमत	काईवर्ग	सहमत	उदासीन	असहमत	काईवर्ग	सहमत	उदासीन	असहमत	काईवर्ग
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
1.	fo	29 (48%)	21 (35%)	10 (17%)	5.50	25 (42%)	25 (42%)	10 (17%)	7.50	24 (40%)	24 (40%)	12 (20%)	4.80
	fe	20	20	20		20	20	20		210	20	20	
2.	fo	20 (33%)	22 (37%)	18 (30%)	0.40	28 (47%)	20 (33%)	12 (20%)	6.40	26 (43%)	20 (33%)	14 (23%)	3.6
	fe	20	20	20		20	20	20		20	20	20	
3.	fe	8 (13%)	22 (37%)	30 (50%)	12.4	6 (10%)	20 (33%)	34 (57%)	19.6	7 (12%)	24 (40%)	29 (48%)	13.30
	fe	20	20	20		20	20	20		20			

प्र० क्र०		शिक्षक				शिक्षक				शिक्षक			
		संख्या एवं प्रतिशत				संख्या एवं प्रतिशत				संख्या एवं प्रतिशत			
		सहमत	उदासीन	असहमत	काईवर्ग	सहमत	उदासीन	असहमत	काईवर्ग	सहमत	उदासीन	असहमत	काईवर्ग
1.		**2.**	**3.**	**4.**	**5.**	**6.**	**7.**	**8.**	**9.**	**10.**	**11.**	**12.**	**13.**
4.	fo	5 (8%)	18 (30%)	37 (62%)	25.90	4 (7%)	20 (33%)	36 (60%)	25.60	3 (5%)	26 (43%)	31 (52%)	22.30
	fe	20	20	20		20	20	20		20	20	20	
5.	fo	26 (43%)	13 (22%)	21 (35%)	4.30	22 (37%)	19 (32%)	19 (32%)	0.30	24 (40%)	18 (30%)	18 (30%)	1.20
	fe	20	20	20		20	20	20	20	20	20	20	
6.	fo	29 (48%)	20 (33%)	11 (18%)	8.10	11 (18%)	15 (25%)	34 (57%)	15.10	30 (50%)	18 (30%)	12 (20%)	8.40
	fe	20	20	20		20	20	20		20	20	20	

प्र० क्र०		शिक्षक संख्या एवं प्रतिशत				शिक्षक संख्या एवं प्रतिशत				शिक्षक संख्या एवं प्रतिशत			
		सहमत	उदासीन	असहमत	काईवर्ग	सहमत	उदासीन	असहमत	काईवर्ग	सहमत	उदासीन	असहमत	काईवर्ग
1.		**2.**	**3.**	**4.**	**5.**	**6.**	**7.**	**8.**	**9.**	**10.**	**11.**	**12.**	**13.**
7.	fo	23 (38%)	19 (32%)	18 (30%)	0.90	27 (45%)	16 (27%)	17 (28%)	6.70	25 (41%)	20 (33%)	15 (25%)	2.50
	fe	20	20	20		20	20	20		20	20	20	
8.	fo	25 (42%)	20 (33%)	15 (25%)	2.50	21 (35%)	21 (35%)	18 (30%)	0.30	23 (38%)	19 (32%)	18 (30%)	0.70
	fe	20	20	20		20	20	20		20	20	20	
9.	fo	11 (18%)	11 (18%)	38 (63%)	24.30	10 (17%)	5 (8%)	45 (75%)	48.50	2 (3%)	23 (38%)	35 (58%)	27.90
	fe	20	20	20		20	20	20		20	20	20	
10.	fo	29 (48%)	14 (23%)	17 (29%)	6.30	30 (50%)	16 (27%)	14 (23%)	7.60	27 (45%)	21 (35%)	12 (20%)	5.70
	fe	20	20	20		20	20	20		20	20	20	

सारिणी क्रमांक - **42**

शिक्षक, पालक, सरपंच/प्रतिष्ठित व्यक्तियों के अभिमत का काई वर्ग आधारित विश्लेषण (शिक्षार्थियों में सामाजिक गुणों के विकास संबंधी)

प्र0 क्र0	प्राप्त काई वर्ग का मान	शिक्षक — प्रमाणिक काई वर्ग मान पर विश्वासस्तर		प्राप्त काई वर्ग का मान	पालक — प्रमाणित काई वर्ग मान पर विश्वासस्तर		प्राप्त काई वर्ग का मान	सरपंच / प्रतिठित व्यक्ति — प्रमाणित काई वर्ग मान पर विश्वसास्तर	
		.05 का मान	.01 का मान		.05 का मान	.01 का मान		.05 का मान	.01 का मान
		5.99	9.210		5.99	9.210		5.99	9.210
01	5.50	स्वीकृत	स्वीकृत	7.50	अस्वीकृत	स्वीकृत	4.80	स्वीकृत	स्वीकृत
02	0.40	स्वीकृत	स्वीकृत	6.40	अस्वीकृत	स्वीकृत	3.60	स्वीकृत	स्वीकृत
03	12.40	अस्वीकृत	अस्वीकृत	19.60	अस्वीकृत	अस्वीकृत	13.30	अस्वीकृत	अस्वीकृत
04	25.90	अस्वीकृत	अस्वीकृत	25.60	अस्वीकृत	अस्वीकृत	22.30	अस्वीकृत	अस्वीकृत
05	4.30	स्वीकृत	स्वीकृत	0.30	स्वीकृत	स्वीकृत	1.20	स्वीकृत	स्वीकृत
06	8.10	अस्वीकृत	स्वीकृत	15.10	अस्वीकृत	अस्वीकृत	8.40	अस्वीकृत	स्वीकृत
07	0.90	स्वीकृत	स्वीकृत	6.70	अस्वीकृत	स्वीकृत	2.50	स्वीकृत	स्वीकृत
08	2.50	स्वीकृत	स्वीकृत	0.30	स्वीकृत	स्वीकृत	0.70	स्वीकृत	स्वीकृत
09	24.30	अस्वीकृत	अस्वीकृत	48.50	अस्वीकृत	अस्वीकृत	27.90	अस्वीकृत	अस्वीकृत
10	6.30	अस्वीकृत	स्वीकृत	7.60	अस्वीकृत	स्वीकृत	5.70	स्वीकृत	स्वीकृत

सारिणी क्रमांक - **42** से प्राप्त निष्कर्ष -

1. प्र०क्र० 1 के लिये तीनों के मत में बालकों में अपनी आवश्यकता पूर्ति हेतु अपने मित्र की वस्तु मांगकर उठाने की आदत विकसित हुई है।
2. प्र०क्र० 2 के लिये तीनों के मत में एक प्रतिशत विश्वास स्तर पर बालकों की में फल खाकर छिलके सड़क पर कही भी फेंक देने की आदत में सुधार नही आया हैं।
3. प्र०क्र० 3 के लिये तीनों के मत में बालकों में उत्सवों को सादगी से मनाने का भाव विकसित नहीं हुआ है।
4. प्र०क्र० 4 के लिये तीनों के मत में बालकों में भूल से स्वयं का नुकसान हुआ जानकर दूसरे व्यक्ति को बुरा भला न कहने की भावना उत्पन्न न हो सकी।
5. प्र०क्र० 5 के लिये तीनों के मत में बालकों में अपने मित्र के अस्पताल में भर्ती होने की सूचना पाते ही अस्पताल के लिये तुरन्त चलने की एवं उसे देखने की उत्कृष्ट अभिलाषा रहती है।
6. प्र०क्र० 6 के लिये शिक्षकों एवं सरपंच/प्रतिष्ठित व्यक्तियों के मत में एक प्रतिशत विश्वास स्तर पर बालकों में अपने धर्म के अलावा दूसरों के धार्मिक उत्सवों में जाने की इच्छा विद्यमान रहती है जबकि पालकों का मत इसके विपरीत है।
7. प्र०क्र० 7 के लिये तीनों के मत में बालकों में स्वयं के द्वारा गलती हो जाने पर नि:संकोच अपनी भूल स्वीकार करने की आदत विकसित हुयी है।
8. प्र०क्र० 8 के लिये तीनों के मत में बालकों में परिवार की उन्नति हेतु कम संतान का होना अच्छा समझने का अवबोध विकसित हुआ है।
9. प्र०क्र० 9 के लिये तीनों के मत में बालकों में अपना आवश्यक कार्य बन्द करके भी लाचार व्यक्ति की मदद करने की भावना विकसित नहीं हो सकी है।
10. प्र०क्र० 10 के लिये तीनों के मत में एक प्रतिशत विश्वास स्तर पर बालकों में भेदभाव न रखते हुए सभी के साथ मिलकर कार्य करने की भावना जागृत हुई है।

सारिणी क्रमांक -43

शिक्षक, पालक, सरपंच/प्रतिष्ठित व्यक्तियों के अभिमत का काई वर्ग मान एवं प्रतिशत (शिक्षार्थियों के शिक्षा की मुख्य धारा से जुड़ने संबंधी)

प्र० क्र०		शिक्षक				पालक				प्रतिष्ठित व्यक्ति			
		संख्या एवं प्रतिशत				संख्या एवं प्रतिशत				संख्या एवं प्रतिशत			
		सहमत	उदासीन	असहमत	काईवर्ग	सहमत	उदासीन	असहमत	काईवर्ग	सहमत	उदासीन	असहमत	काईवर्ग
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
1.	fo	24 (40%)	23 (38%)	13 (22%)	3.70	12 (20%)	17 (28%)	31 (52%)	9.70	25 (42%)	13 (22%)	22 (37%)	3.90
	fe	20	20	20		20	20	20		20	20	20	
2.	fo	23 (38%)	23 (38%)	14 (23%)	2.70	26 (43%)	17 (28%)	17 (28%)	2.70	21 (35%)	25 (42%)	14 (23%)	3.10
	fe	20	20	20		20	20	20		20	20	20	
3.	fo	30 (50%)	15 (25%)	15 (25%)	7.50	27 (45%)	16 (27%)	17 (28%)	3.70	28 (47%)	16 (27%)	16 (27%)	3.60
	fe	20	20	20		20	20	20		20	20	20	

प्र० क्र०		शिक्षक संख्या एवं प्रतिशत				पालक संख्या एवं प्रतिशत				प्रतिष्ठित व्यक्ति संख्या एवं प्रतिशत			
		सहमत	उदासीन	असहमत	काईवर्ग	सहमत	उदासीन	असहमत	काईवर्ग	सहमत	उदासीन	असहमत	काईवर्ग
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
4.	fo	12 (20%)	12 (20%)	36 (60%)	19.20	13 (22%)	13 (22%)	34 (27%)	14.70	14 (23%)	14 (23%)	32 (53%)	10.80
	fe	20	20	20		20	20	20		20	20	20	
5.	fo	26 (43%)	24 (40%)	10 (17%)	7.60	22 (37%)	18 (30%)	20 (33%)	0.40	27 (45%)	15 (20%)	18 (30%)	3.90
	fe	20	20	20		20	20	20		20	20	20	
6.	fo	10 (17%)	20 (33%)	30 (50%)	10.00	9 (15%)	[97] (32%)	[illegible] (53%)	13.30	29 (48%)	15 (25%)	16 (27%)	6.10
	fe	20	20	20		20	20	20		20	20	20	

प्र० क्र०		शिक्षक				पालक				प्रतिष्ठित व्यक्ति			
		संख्या एवं प्रतिशत				संख्या एवं प्रतिशत				संख्या एवं प्रतिशत			
		सहमत	उदासीन	असहमत	काईवर्ग	सहमत	उदासीन	असहमत	काईवर्ग	सहमत	उदासीन	असहमत	काईवर्ग
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
7.	fo	26 (43%)	16 (27%)	18 (30%)	2.80	22 (37%)	21 (35%)	17 (28%)	0.70	23 (38%)	21 (38%)	16 (35%)	1.30
	fe	20	20	20		20	20	20		20	20	20	
8.	fo	20 (17%)	15 (25%)	25 (42%)	17.50	24 (40%)	19 (32%)	17 (28%)	1.30	25 (42%)	15 (25%)	20 (33%)	2.50
	fe	20	20	20		20	20	20		20	20	20	
9.	fo	27 (45%)	17 (28%)	16 (27%)	3.70	26 (43%)	14 (23%)	20 (33%)	3.60	19 (32%)	24 (40%)	17 (28%)	1.30
	fe	20	20	20		20	20	20					
10.	fo	30 (50%)	13 (22%)	17 (28%)	7.90	18 (30%)	25 (42%)	17 (28%)	1.90	18 (30%)	26 (43%)	16 (27%)	2.80
	fe	20	20	20		20	20	20		20	20	20	

सारिणी क्रमांक - 44

शिक्षक, पालक, सरपंच/प्रतिष्ठित व्यक्तियों के अभिमत का काई वर्ग आधारित विश्लेषण (शिक्षार्थियों के शिक्षा की मुख्य धारा से जुड़ने संबंधी)

प्र0 क्र0	प्राप्त काई वर्ग का मान	शिक्षक		प्राप्त काई वर्ग	पालक		प्राप्त काई वर्ग	सरपंच/प्रतिठित व्यक्ति	
		प्रमाणिक काई वर्ग मान पर विश्वासस्तर			प्रमाणित काई वर्ग मान पर विश्वासस्तर			प्रमाणित काई वर्ग मान पर विश्वसास्तर	
		.05 का मान	.01 का मान		.05 का मान	.01 का मान		.05 का मान	.01 का मान
		5.99	9.210		5.99	9.210		5.99	9.210
01	3.70	स्वीकृत	स्वीकृत	9.70	अस्वीकृत	अस्वीकृत	3.90	स्वीकृत	स्वीकृत
02	2.70	स्वीकृत	स्वीकृत	2.70	स्वीकृत	स्वीकृत	3.10	स्वीकृत	स्वीकृत
03	7.50	अस्वीकृत	स्वीकृत	3.70	स्वीकृत	स्वीकृत	3.60	स्वीकृत	स्वीकृत
04	19.20	अस्वीकृत	अस्वीकृत	14.70	अस्वीकृत	अस्वीकृत	10.80	अस्वीकृत	अस्वीकृत
05	7.60	अंस्वीकृत	स्वीकृत	0.40	स्वीकृत	स्वीकृत	3.90	स्वीकृत	स्वीकृत
06	10.00	अस्वीकृत	अस्वीकृत	13.30	अस्वीकृत	अस्वीकृत	6.10	अस्वीकृत	स्वीकृत
07	2.80	स्वीकृत	स्वीकृत	0.70	स्वीकृत	स्वीकृत	1.30	स्वीकृत	स्वीकृत
08	17.50	अस्वीकृत	अस्वीकृत	1.30	स्वीकृत	स्वीकृत	2.50	स्वीकृत	स्वीकृत
09	3.70	स्वीकृत	स्वीकृत	3.60	स्वीकृत	स्वीकृत	1.30	स्वीकृत	स्वीकृत
10	7.90	अस्वीकृत	स्वीकृत	1.90	स्वीकृत	स्वीकृत	2.80	स्वीकृत	स्वीकृत

सारिणी क्रमांक -**44** से प्राप्त निष्कर्ष -

1. प्र०क्र० 1 के लिए शिक्षकों एवं सरपंच/प्रतिष्ठित व्यक्तियों के मत में बालक केन्द्र पर पढ़ने के लिये अपनी इच्छा से प्रतिदिन जाते हैं जबकि पालकों का मत इसके विपरीत है।
2. प्र०क्र० 2 के लिये तीनों के मत में बालकों के व्यावहारिक ज्ञान में वृद्धि हुई है।
3. प्र०क्र० 3 के लिये तीनों के मत में 1 प्रतिशत विश्वास स्तर पर बालकों में पत्र लिखने की योग्यता उत्पन्न हो गई है।
4. प्र०क्र० 4 के लिये तीनों के मत में बालकों में नाट्य गायन तथा खेल के प्रति अभिरूचि नहीं बढ़ी है।
5. प्र०क्र० 5 के लिये तीनों के मत में 1 प्रतिशत विश्वास स्तर पर पढ़ने से बालकों के बातचीत करने के ढंग में सुधार हुआ है।
6. प्र०क्र० 6 के लिये शिक्षकों एवं पालकों के मत में बालकों में घर पर अधिक समय तक अपना पाठ पढ़ने की अभिरूचि का विकास नहीं हुआ है, जबकि 1 प्रतिशत विश्वास स्तर पर सरपंच/प्रतिष्ठित व्यक्तियों का मत इसके विपरीत है।
7. प्र०क्र० 7 के लिये तीनों के मत में बालकों में चित्र या चार्ट की मदद् से पढ़ने की रूचि विद्यमान है।
8. प्र०क्र० 8 के लिये पालकों एवं सरपंच प्रतिष्ठित व्यक्तियों के मत में बालकों में केन्द्र पर दी जाने वाली शिक्षा को स्कूली शिक्षा की भांति समझने की भावना विद्यमान है जबकि शिक्षकों का मत इसके विपरीत है।
9. प्र०क्र० 9 के लिये तीनों के मत में केन्द्र छोड़ने के बाद बालकों में अगली कक्षा में पढ़ने की इच्छा विद्यमान रहती है।
10. प्र०क्र० 10 के लिये तीनों के मत में 1 प्रतिशत विश्वास स्तर पर बालकों में समाजोपयोगी उत्पादक कार्य सीखने की इच्छा विद्यमान है।

सारिणी क्रमांक - 45

शिक्षक, पालक, सरपंच/प्रतिष्ठित व्यक्तियों के अभिमत का काई वर्गमान एवं प्रतिशत (शिक्षार्थियों में प्रजातांत्रिक गुणों के विकास संबंधी)

प्र० क्र०		शिक्षक				पालक				प्रतिष्ठित व्यक्ति			
		संख्या एवं प्रतिशत				संख्या एवं प्रतिशत				संख्या एवं प्रतिशत			
		सहमत	उदासीन	असहमत	काईवर्ग	सहमत	उदासीन	असहमत	काईवर्ग	सहमत	उदासीन	असहमत	काईवर्ग
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
1.	fo	30 50%	16 27%	14 25%	7.60	16 27%	6 10%	38 63%	26.80	26 43%	17 28%	17 28%	2.70
	fe	20	20	20		20	20	20		20	20	20	
2.	fo	31 51%	15 25%	14 23%	9.10	28 47%	16 27%	16 27%	4.80	27 45%	17 28%	16 27%	3.70
	fe	20	20	20		20	20	20		20	20	20	
3.	fo	22 37%	22 37%	16 27%	1.20	24 40%	26 42%	10 18%	7.20	19 32%	23 38%	18 30%	0.70
	fe	20	20	20		20	20	20		20	20	20	

प्र० क्र०		शिक्षक				पालक				प्रतिष्ठित व्यक्ति			
		संख्या एवं प्रतिशत				संख्या एवं प्रतिशत				संख्या एवं प्रतिशत			
		सहमत	उदासीन	असहमत	काईवर्ग	सहमत	उदासीन	असहमत	काईवर्ग	सहमत	उदासीन	असहमत	काईवर्ग
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
4.	fo	20 33%	28 47%	12 20%	6.40	17 28%	28 47%	15 25%	6.90	18 30%	25 42%	17 28%	1.90
	fe	20	20	20		20	20	20		20	20	20	
5.	fo	14 23%	14 23%	32 54%	10.80	7 12%	17 28%	36 60%	21.70	8 13%	25 42%	27 45%	10.90
	fe	20	20	20		20	20	20		20	20	20	
6.	fo	25 42%	23 38%	12 20%	4.90	23 38%	22 37%	15 25%	1.90	27 45%	20 33%	13 22%	4.90
	fe	20	20	20		20	20	20		20	20	20	
7.	fo	18 30%	10 17%	32 53%	12.40	10 17%	17 28%	33 55%	4 13.90	4 7%	22 37%	34 56%	22.80
	fe	20	20	20		20	20	20		20	20	20	

प्र० क्र०		शिक्षक				पालक				प्रतिष्ठित व्यक्ति			
		संख्या एवं प्रतिशत				संख्या एवं प्रतिशत				संख्या एवं प्रतिशत			
		सहमत	उदासीन	असहमत	काईवर्ग	सहमत	उदासीन	असहमत	काईवर्ग	सहमत	उदासीन	असहमत	काईवर्ग
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
8.	fo	23 38%	23 38%	14 24%	2.70	10 17%	16 27%	34 56%	15.60	13 22%	16 27%	31 51%	9.30
	fe	20	20	20		20	20	20		20	20	20	
9.	fo	10 17%	15 25%	35 58%	17.50	11 18%	12 20%	37 62%	21.70	13 22%	15 25%	32 53%	10.90
	fe	20	20	20									
10.	fo	12 20%	17 29%	31 51%	9.70	13 22%	14 23%	33 55%	12.70	9 15%	13 22%	38 63%	24.7
	fe	20	20	20		20	20	20		20	20	20	

सारिणी क्रमांक - 46

शिक्षक, पालक, सरपंच/प्रतिष्ठित व्यक्तियों के अभिमत का काई वर्ग आधारित विश्लेषण (शिक्षार्थियों में प्रजातांत्रिक गुणों के विकास संबंधी)

प्र0 क्र0	प्राप्त काई वर्ग का मान	शिक्षक प्रमाणिक काई वर्ग मान पर विश्वासस्तर		प्राप्त काई वर्ग का मान	पालक प्रमाणित काई वर्ग मान पर विश्वासस्तर		प्राप्त काई वर्ग का मान	सरपंच/प्रतिठित व्यक्ति प्रमाणित काई वर्ग मान पर विश्वसास्तर	
		.05 का मान	.01 का मान		.05 का मान	.01 का मान		.05 का मान	.01 का मान
		5.99	9.210		5.99	9.210		5.99	9.210
01	7.60	अस्वीकृत	स्वीकृत	26.80	अस्वीकृत	अस्वीकृत	2.70	स्वीकृत	अवीकृत
02	9.10	अस्वीकृत	स्वीकृत	4.80	स्वीकृत	स्वीकृत	3.70	स्वीकृत	स्वीकृत
03	1.20	स्वीकृत	स्वीकृत	7.20	अस्वीकृत	स्वीकृत	0.70	स्वीकृत	स्वीकृत
04	6.40	अस्वीकृत	स्वीकृत	6.90	अस्वीकृत	स्वीकृत	1.90	स्वीकृत	स्वीकृत
05	10.80	अस्वीकृत	अस्वीकृत	21.70	अस्वीकृत	अस्वीकृत	10.90	अस्वीकृत	अस्वीकृत
06	4.90	स्वीकृत	स्वीकृत	1.90	स्वीकृत	स्वीकृत	4.90	स्वीकृत	स्वीकृत
07	12.40	अस्वीकृत	अस्वीकृत	13.90	अस्वीकृत	अस्वीकृत	22.80	अस्वीकृत	अस्वीकृत
08	2.70	स्वीकृत	स्वीकृत	15.60	अस्वीकृत	अस्वीकृत	9.30	अस्वीकृत	अस्वीकृत
09	17.50	अस्वीकृत	अस्वीकृत	21.70	अस्वीकृत	अस्वीकृत	10.90	अस्वीकृत	अस्वीकृत
10	9.70	अस्वीकृत	अस्वीकृत	12.70	अस्वीकृत	अस्वीकृत	24.70	अस्वीकृत	अस्वीकृत

सारिणी क्रमांक - **46** से प्राप्त निष्कर्ष -

1. प्र०क्र० 1 के लिये सरपंच/प्रतिष्ठित व्यक्तियों के मत में 5 प्रतिशत एवं 1 प्रतिशत विश्वास स्तरों पर बालकों में बुराई को दूर करने के लिये संघर्ष करने की भावना विद्यमान रहती है। लेकिन शिक्षकों के मत में 1 प्रतिशत विश्वास स्तर पर बालकों में यह भावना दिखाई देती है जबकि पालकों का मत दोनों ही स्तरों पर इसके विपरीत है।
2. प्र०क्र० 2 के लिये पालकों सरपंच/प्रतिष्ठित व्यक्तियों के मत में बालकों में किसी समस्या के हल के लिये अपनी राय देने की इच्छा विद्यमान रहती है। जबकि शिक्षकों के मत में 1 प्रतिशत विश्वास स्तर पर ही बालाकों में उक्त इच्छा दिखाई देती है।
3. प्र०क्र० 3 के लिये शिक्षकों एवं सरपंच/प्रतिष्ठित व्यक्तियों के मत में बालकों में जनप्रतिनिधियों में चुनाव, मतदान में भाग लेने की अनिवार्यता का बोध विद्यमान है जबकि पालकों का मत 1 प्रतिशत विश्वास स्तर पर ही इस पक्ष में है।
4. प्र०क्र० 4 के लिये सरपंच/प्रतिष्ठित व्यक्तियों के मत में 5 प्रतिशत एवं 1 प्रतिशत दोनों ही विश्वास स्तरों पर बालकों में स्वतंत्रता पूर्वक विचारो को प्रकट करने की भावन विद्यमान रहती है। जबकि शिक्षकों एवं पालकों का मत 1 प्रतिशत विश्वास स्तर पर इस पक्ष में है।
5. प्र०क्र० 5 के लिये तीनों के मत में बालकों में सामाजिक कार्यो में अगुआ बनने की भावना नही रहती है।
6. प्र०क्र० 6 के लिये तीनों के मत में बालकों में केन्द्र की उन्नति के लिये समुदाय के सहयोगी की अनिवार्यता का बोध विद्यमान है।
7. प्र०क्र० 7 के लिये तीनों के मत में बालकों में विद्यालय अथवा समाज के कार्यक्रमों में सभी साथियों को भाग लेने के लिये प्रोत्साहित करने की भावना नही रहती है।

8. प्र०क्र० 8 के लिये शिक्षकों के मत में बालकों में बड़ों के निर्देशों का स्वेच्छा से पालन करने की आदत विद्यमान है। जबकि पालकों एवं सरपंच/प्रतिष्ठित व्यक्तियों का मत इसके विपरीत है।
9. प्र०क्र० 9 के लिये तीनों के मत में बालकों में एक दूसरे की समस्याओं को हल करने हेतु परस्पर सहयोग न करने की भावना नहीं रहती है।
10. प्र०क्र० 10 के लिये तीनों के मत में बालकों में दूसरों की बात रखने के लिये स्वयं की इच्छाओं की भी परवाह न करने की भावना नहीं रहती है।

सारिणी क्रमांक - 47
शिक्षक, पालक, सरपंच/प्रतिष्ठित व्यक्तियों के अभिमत का काईवर्ग मान एवं प्रतिशत (शिक्षार्थियों में वैज्ञानिक अभिरूचि विकास संबंधी)

प्र० क्र०		शिक्षक				पालक				प्रतिष्ठित व्यक्ति			
		संख्या एवं प्रतिशत				संख्या एवं प्रतिशत				संख्या एवं प्रतिशत			
		सहमत	उदासीन	असहमत	काईवर्ग	सहमत	उदासीन	असहमत	काईवर्ग	सहमत	उदासीन	असहमत	काईवर्ग
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
1.	fo	28 47%	17 28%	15 25%	4.90	29 48%	20 35%	11 18%	8.10	30 50%	18 30%	12 20%	8.4
	fe	20	20	20		20	20	20		20	20	20	
2.	fo	11 18%	18 30%	31 52%	10.30	13 22%	15 25%	32 53%	10.90	23 38%	8 13%	29 28%	11.7
	fe	20	20	20		20	20	20		20	20	20	
3.	fo	26 43%	19 32%	15 25%	3.00	27 45%	15 25%	18 30%	4.20	25 42%	19 32%	16 27%	1.38
	fe	20	20	20		20	20	20		20	20	20	

प्र० क्र०		शिक्षक				पालक				प्रतिष्ठित व्यक्ति			
		संख्या एवं प्रतिशत				संख्या एवं प्रतिशत				संख्या एवं प्रतिशत			
		सहमत	उदासीन	असहमत	काईवर्ग	सहमत	उदासीन	असहमत	काईवर्ग	सहमत	उदासीन	असहमत	काईवर्ग
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
4.	fo	28 47%	4 7%	28 47%	19.2	12 20%	10 17%	78 70%	11.4	20 33%	10 17%	30 50%	10.0
	fe	20	20	20		20	20	20		20	20	20	
5.	fo	10 17%	30 50%	20 33%	10.0	25 42%	25 42%	10 17%	7.50	9 15%	11 10%	39 65%	30.1
	fe	20	20	20		20	20	20		20	20	20	
6.	fo	24 40%	24 40%	12 20%	4.90	23 38%	22 37%	15 25%	1.90	27 45%	20 33%	13 22%	3.90
	fe	20	20	20		20	20	20		20	20	20	
7.	fo	14 23%	10 17%	36 60%	19.6	10 17%	15 25%	35 58%	17.50	13 22%	9 15%	38 63%	24.70
	fe	20	20	20		20	20	20		20	20	20	

प्र० क्र०		शिक्षक				पालक				प्रतिष्ठित व्यक्ति			
		संख्या एवं प्रतिशत				संख्या एवं प्रतिशत				संख्या एवं प्रतिशत			
		सहमत	उदासीन	असहमत	काईवर्ग	सहमत	उदासीन	असहमत	काईवर्ग	सहमत	उदासीन	असहमत	काईवर्ग
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
8.	fo	27 45%	21 35%	12 20%	5.70	9 15%	19 32%	32 53%	14.30	22 37%	22 37%	16 27%	1.20
	fe	20	20	20		20	20	20		20	20	20	
9.	fo	26 43%	18 30%	16 27%	2.8	25 42%	17 28%	18 30%	1.90	23 38%	21 35%	16 27%	1.30
	fe	20	20	20		20	20	20		20	20	20	
10.	fo	29 48%	19 32%	12 20%	7.3	10 17%	19 32%	31 52%	11.10	11 18%	18 30%	31 52%	10.30
	fe	20	20	20		20	20	20		20	20	20	

सारिणी क्रमांक - 48

शिक्षक, पालक, सरपंच/प्रतिष्ठित व्यक्तियों के अभिमत का काई - वर्ग आधारित विश्लेषण (शिक्षार्थियों में वैज्ञानिक अभिरुचि विकास संबंधी)

प्र0 क्र0	प्राप्त काई वर्ग का मान	शिक्षक		प्राप्त काई वर्ग का मान	पालक		प्राप्त काई वर्ग का मान	सरपंच/प्रतिठित व्यक्ति	
		प्रमाणिक काई वर्ग मान पर विश्वासस्तर			प्रमाणित काई वर्ग माान पर विश्वासस्तर			प्रमाणित काई वर्ग मान पर विश्वसास्तर	
		.05 का मान	.01 का मान		.05 का मान	.01 का मान		.05 का मान	.01 का मान
		5.99	9.210		5.99	9.210		5.99	9.210
01	4.90	स्वीकृत	स्वीकृत	8.10	अस्वीकृत	स्वीकृत	8.40	अस्वीकृत	स्वीकृत
02	10.30	अस्वीकृत	अस्वीकृत	10.90	अस्वीकृत	अस्वीकृत	11.7	अस्वीकृते	अस्वीकृत
03	3.00	स्वीकृत	स्वीकृत	4.20	स्वीकृत	स्वीकृत	1.38	स्वीकृत	स्वीकृत
04	19.20	अस्वीकृत	अस्वीकृत	11.40	अस्वीकृत	अस्वीकृत	10.00	अस्वीकृत	अस्वीकृत
05	10.00	अस्वीकृत	अस्वीकृत	7.50	अस्वीकृत	स्वीकृत	30.10	अस्वीकृत	अस्वीकृत
06	4.80	स्वीकृत	स्वीकृत	1.90	स्वीकृत	स्वीकृत	3.90	स्वीकृत	स्वीकृत
07	19.60	अस्वीकृत	अस्वीकृत	17.50	अस्वीकृत	अस्वीकृत	24.70	अस्वीकृत	अस्वीकृत
08	5.70	स्वीकृत	स्वीकृत	14.30	अस्वीकृत	अस्वीकृत	11.20	स्वीकृत	स्वीकृत
09	2.80	स्वीकृत	स्वीकृत	1.90	स्वीकृत	स्वीकृत	1.30	स्वीकृत	स्वीकृत
10	7.30	अस्वीकृत	स्वीकृत	11.10	अस्वीकृत	अस्वीकृत	10.30	अस्वीकृत	अस्वीकृत

सारिणी क्रमांक **48** से प्राप्त निष्कर्ष-

1. प्र०क्र० 1 के लिये तीनों के मत में बालकों में यह चेतना जाग्रत हो गई है कि नाखून बढ़ाना स्वास्थ्य के लिये हानिकारक है।
2. प्र०क्र० 2 के लिये तीनों के मत में बालक पान खाने से उत्पन्न होने वाले मुख केंसर की संभावना से परिचित नही है।
3. प्र०क्र० 3 के लिये तीनों के मत में बालक संक्रामक रोगों के टीके लगवाने से नहीं डरता है।
4. प्र०क्र० 4 के लिये तीनों के मत में बालकों में गर्मी के दिनों में सफेद या हल्के रंग के कपड़े पहनने की अभिरूचि जाग्रत नही हुई है।
5. प्र०क्र० 5 के लिये शिक्षकों एवं सरपंच/प्रतिष्ठित व्यक्तियों के मत में बालक शौचालयों, मूत्रालयों और नालियों में फिनाइल छिड़कने को खर्चीली क्रिया नही समझते है। जबकि पालकों के मत में 1 प्रतिशत विश्वास स्तर पर बालक फिनाइल छिड़कने को खर्चीली क्रिया समझते है।
6. प्र०क्र० 6 के लिये तीनों के मत में बालकों में तालाब के पानी को उबालकर पीने योग्य बनाकर पीने की चेतना उत्पन्न हो गई है।
7. प्र०क्र० 7 के लिये तीनों के मत में बालकों में पर्यावरण में सुधार करने के लिये वृक्षारोपण की चेतना का विकास हो गया है।
8. प्र०क्र० 8 के लिये शिक्षा के एवं सरपंच/प्रतिष्ठित व्यक्तियों के मत में बालक ईधन के लिये कोयला या जंगली लकड़ी की अपेक्षा गैस का उपयोग करना पसंद करते है। जबकि पालक इस मत के पक्ष में नहीं है।
9. प्र०क्र० 9 के लिये तीनों के मतानुसार बालकों में परीक्षा के दिनों में देवी देवताओं की मनौती में विश्वास करने की भावना विद्यमान है।
10. प्र०क्र० 10 के लिये पालकों एवं सरपंच एवं प्रतिष्ठित व्यक्तियों के मत में बालकों में चन्द्र या सूर्य ग्रहण को भौगोलिक क्रिया के रूप में समझने की क्षमता उत्पन्न नही हो पाई है। जबकि शिक्षकों का मत इसके विपरीत है।

शिक्षक/पालक/सरपंच (प्रतिष्ठित व्यक्ति) से केन्द्र सम्बन्धी अतिरिक्त जानकारी वाले प्रश्नों के उत्तरों का विश्लेषण

क- शिक्षक से प्राप्त उत्तरों का विश्लेषण -

1- अ - क्षेत्र में उच्च शिक्षा के अवसर प्राप्त होने के कारण लगभग 67 प्रतिशत छात्र - छात्रायें क्षेत्र की अगली कक्षा में प्रवेश लेते हैं जबकि लगभग 43 प्रतिशत छात्र - छात्रायें क्षेत्र में उच्च शिक्षा के अवसर होने के बाद भी निम्न कारणों से प्रवेश नहीं ले पाते है-

1. पैतृक व्यवसाय में सहायता करना।
2. अगली कक्षा के लिये शिक्षा सामग्री के व्यय का भार वहन न कर पाना।
3. पालकों द्वारा सहशिक्षकों को अनुचित एवं बालिका शिक्षा को अनुपयोगी मानना।

ब- क्षेत्र में उच्च शिक्षा के अवसर प्राप्त न होने के कारण लगभग छात्रायें ही 22 प्रतिशत अगली कक्षा में प्रवेश लेने के लिये क्षेत्र के बाहर जाते हैं जबकि लगभग 78 प्रतिशत छात्र-छात्रायें निम्न कारणों से अगली कक्षा में प्रवेश नही लेते हैं-

1. क्षेत्र में उच्च शिक्षा हेतु औपचारिक/निरौपचारिक शाला का अभाव।
2. आर्थिक विसमता।
3. पैतृक व्यावसाय में सहायता करना।
4. पालकों द्वारा सह शिक्षा को अनुचित एवं बालिका शिक्षा को अनुपयोगी मानना।

2- अ - लगभग 59 प्रतिशत शिक्षक केन्द्र संचालन प्रक्रिया में प्रशिक्षण को निम्न कारणें से उपयोगी मानते हैं-

1. छात्र - छात्राओं के पंजीयन में वृद्धि करने में।
2. नियमितता बनाये रखने में।
3. शिक्षण पद्धति को प्रभावी बनाने में,
4. तथा समुदाय का सहयोग बनाये रखने में सहायक होना।

ब - लगभग 41 प्रतिशत शिक्षकों के अनुसार प्रषिक्षण निम्न कारणों से अनुपयोगी है-

1. प्रशिक्षण सैद्धांतिक अधिक होता है और व्यवहारिक कम।

2. केन्द्र की समस्याओं एवं कठिनाइयों के निराकरण के संबंध में प्रशिक्षण में मार्गदर्शन नही दिया जाता है।

3. प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुवर्ती एवं उन्मुखीकरण कार्यक्रम का अभाव रहता है।

3- लगभग 37 प्रतिशत केन्द्र के शिक्षक छात्र छात्राओं को सहायक वाचन सामग्री प्रदान करते है क्योंकि इन में अधिकांश केन्द्रों के क्षेत्रों में माध्यमिक या उच्चतर माध्यमिक शाला में उपलब्ध है जिनके कारण शैक्षिक वातावरण बना हुआ है। शेष केन्द्रों के शिक्षकों द्वारा छात्र - छात्राओं को सहायक वाचन सामग्री प्रदाय न करने के निम्न कारण सामने आये है-

1. सामग्री की अनुपलब्धता
2. शैक्षिक वातावरण का अभाव

4- लगभग 43 प्रतिशत केन्द्रों द्वारा पाठ्येत्तर क्रियाकलाप आयोजित किये जाते है किन्तु इन क्रियाकलापों में सम्भाषण खेलकूद तथा स्थानीय क्षेत्र का भ्रमण ही मुख्य हैं। शेष केन्द्रों द्वारा इन क्रियाकलापों का आयोजन न किये जाने के निम्न कारण सामने आये है-

1. सुविधाओं का अभाव।
2. केन्द्र प्रभारी की क्रियाकलापों में रूचि एवं दक्षता का अभाव।
3. समुदाय के सहयोग का अभाव।

5- पढ़ने योग्य आयु के छात्रों के केन्द्र पर पढ़ने न आने के निम्न कारण ज्ञात हुये है-

1. लगभग 48 प्रतिशत बालक - बालिकाएं ऐसे है जिनके परिवार का आर्थिक स्तर निम्न है अत: वे पालको को गृहकार्य में सहयोग देते है।
2. लगभग 18 प्रतिशत अस्पृश्यता का कारण है।
3. लगभग 14 प्रतिशत बालकों द्वारा सहशिक्षा को अनुचित मानना।
4. लगभग 27 प्रतिशत पालकों का शिक्षा के प्रति उदासीन होना है।
5. लगभग 10 प्रतिशत बालक - बालिकाओं के लिये केन्द्र का समय अनुकूल नही है।

6- (अ) लगभग 43 प्रतिशत पालकों द्वारा केन्द्र को निम्न कारणों से सहयोग प्रदान किया जाता है-

1. शासन द्वारा अपेक्षित सहयोग न मिलने की संभावना से परिचित होना।

2. बालकों की उन्नति के लिये स्वयं जागरूक होना।

3. प्रबुद्ध लोगों द्वारा प्रेरित किया जाना।

(ब) लगभग 47 प्रतिशत पालक निम्न कारणों से केन्द्र को सहयोग नहीं करते हैं-

1. बालकों की शिक्षा के लिये शासन को पूर्ण उत्तरदायी समझना।

2. स्वयं की आर्थिक स्थिति कमजोर होना तथा स्वयं के कार्यों में व्यस्तता के कारण समयाभाव।

3. बालकों की शिक्षा के प्रति उदासीन होना।

4. केन्द्र की वर्तमान कार्य प्रणाली से संतुष्ट न होना।

7- केन्द्र पर अध्ययनरत तथा शिक्षा प्राप्त कर चुके छात्रों को शिक्षक निम्न कार्यों के लिये मार्गदर्शन देना उचित समझते है-

1. समाज के जरूरतमंद व्यक्तियों को व्यवसाय में सहायता देने की प्रेरणा देना।

2. अवकाश के समय समाज के निरक्षरों को साक्षर बनाने के लिये प्रेरित करना।

3. समाज में चलित अथवा स्थाई सार्वजनिक वाचनालय तथा प्राथमिक सेवा में संचालित करने के लिये प्रेरणा देना।

ख - पालक से प्राप्त उत्तरों का विश्लेषण-

1- निम्नलिखित कारणों से पालक बच्चों को केन्द्र पर पढ़ने भेजते है-

1. लगभग 63 प्रतिशत पालकों के व्यवसाय के लिये केन्द्र पर अध्ययन का समय बाधक नहीं है।
2. लगभग 19 प्रतिशत पालकों की दृष्टि में क्षेत्र/गांव में अन्य विद्यालय का न होना।
3. लगभग 18 प्रतिशत पालकों का शिक्षा की उपयोगिता से परिचित होना।

2- लगभग 43 प्रतिशत पालक केन्द्र को निम्न प्रकार से सहयोग करते है-

1. श्रमदान
2. भौतिक साधन सामग्री का सहयोग
3. केन्द्र के कार्यक्रमों में में व्यक्तिगत उपस्थिति।

3- लगभग 52 प्रतिशत पालक केन्द्र पर दी जाने वाली शिक्षा से निम्न कारणों से संतुष्ट है-

1. परिवार एवं समाज के अन्य व्यक्तियों के प्रति बालक बालिकाओं के बातचीत करने एवं आचार विचार के ढंग में सुधार आना।
2. उनमें आत्म विश्वास बढ़ना।
3. रूढ़िवादी भावनाओं में कमी आना।

4- लगभग 46 प्रतिशत पालक अपने बालक को अगली कक्षा में प्रवेश दिलाना चाहते है तथा लगभग 54 प्रतिशत पालक निम्न कारणों से इस पक्ष में नही है-

1. लगभग 31 प्रतिशत पालकों के मत में इसका कारण बालकों द्वारा घरेलू कार्यों में सहयोग देना तथा परिवार का आर्थिक स्तर निम्न होना है।
2. लगभग 16 प्रतिशत पालकों द्वारा सहशिक्षा को अनुचित एवं बालिका शिक्षा को अनुपयोगी मानना है।
3. लगभग 7 प्रतिशत पालकों का शिक्षा के प्रति उदासीन होना है।

ग - सरपंच/प्रतिष्ठित व्यक्ति से प्राप्त उत्तरों का विश्लेषण-

1- अ - लगभग 60 प्रतिशत सरपंच/प्रतिष्ठित व्यक्ति केन्द्र पर दी जाने वाली शिक्षा से निम्न कारणों से संतुष्ट है-

1. छात्र-छात्राओं में उच्च शिक्षा के प्रति रूचि बढ़ना
2. सामाजिक व्यवहार में सुधार आना
3. वैज्ञानिक अभिरूचि विकसित होना।
4. प्रजातांत्रिक भावना का आंशिक विकास होना।

ब - लगभग 40 प्रतिशत सरपंच/प्रतिष्ठित व्यक्ति केन्द्र पर दी जाने वाली शिक्षा से निम्न कारणों से असंतुष्ट हैं-

1. पैतृक व्यवसाय में सहयोग देने की रूचि कम हो जाना।
2. अपेक्षानुकूल बच्चे के सामान्य ज्ञान एवं सामाजिक व्यवहार में सुधार न होना।
3. व्यावसायिक शिक्षा का प्रावधान न होना।

2- सरपंच/प्रतिष्ठित व्यक्ति केन्द्र को निम्न प्रकार से सहयोग करते हैं-

1. केन्द्र के कार्यक्रमों में व्यक्तिगत एवं सामूहिक रूप से सम्मिलित होना।
2. केन्द्र व्यवस्था के लिये भौतिक सामग्री के रूप में सहयोग देना।
3. केन्द्र पर आयोजित प्रतियोगिताओं में विजेता छात्रों को पुरस्कार देकर प्रोत्साहित करना।
4. शासन से आर्थिक एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिये पहल करना।

3- सरपंच/प्रतिष्ठित व्यक्तियों के अनुसार पढ़ने योग्य आयु के छात्रों का केंन्द्र पर पढ़ने न जाने के निम्न कारण हैं-

1. 38 प्रतिशत सरपंच/प्रतिष्ठित व्यक्तियों के मत में बच्चों की आवश्यकता आधारित पाठ्क्रम का केन्द्र पर न चलाया जाना।
2. 37 प्रतिशत सरपंच-प्रतिष्ठित व्यक्तियों के अनुसार केन्द्र पर एक शिक्षक होने के कारण विभिन्न स्तर के छात्रों पर समुचित रूप से ध्यान न दिया जाना।
3. रोचक उपकरणों एवं सहायक पाठ्य सामग्री का पर्याप्त रूप में केन्द्र पर उपयोग न किया जाना है।
4. खेलकूद तथा सांस्कृतिक आयोजनों का अभाव।

4- सरपंच/प्रतिष्ठित व्यक्तियों के अनुसार केन्द्र प्रभारी/शिक्षक केन्द्र के माध्यम से समाज को निम्न प्रकार से सहयोग प्रदान करते हैं-

1. सामाजिक कार्यों एवं उत्सवों में स्वयं भाग लेना एवं छात्रों को भी प्रेरित करना।
2. सामाजिक समस्याओं के निराकरण के लिये स्वयं समाज के व्यक्तियों को यथा समय उचित परामर्श एवं सहयोग देना।
3. छात्रों द्वारा श्रमदान कराना।

✖ ✖ ✖

षष्ठ अध्याय

निष्कर्ष एवं सुझाव

1. निष्कर्ष एवं सुझाव
2. भावी शोध अध्ययन की संभावनायें

निष्कर्ष एवं सुझाव

1. निष्कर्ष एवं सुझाव :-

निष्कर्ष -

केन्द्र में अध्ययनरत छात्र - छात्राओं, शिक्षक, पालक एवं सरपंच/प्रतिष्ठित व्यक्तियों से लिये गये साक्षात्कार द्वारा प्राप्त जानकारी एवं अभिमत की सांख्यिकीय गणना एवं विश्लेषण से प्राप्त निष्कर्ष इस प्रकार है-

1. सामाजिक गुणों का विकास बालक-बालिकाओं शाला त्यागी-अप्रवेशी शिक्षार्थियों में समान रूप से होता है, इसके फलस्वरूप उनमें स्पष्टवादिता समता सहयोग की भावना आदि गुणों का विकास हुआ है।
2. बालक - बालिकाओं में हठधर्मी फिज़ूलखर्ची तथा सार्वजनिक स्थलों के सदुपयोग एवं अन्य नागरिक गुणों के प्रति सजगता नहीं पाई गई है।
3. सामाजिक विकास के प्रति सवर्ण, असवर्ण तथा शहरी और ग्रामीण शिक्षार्थियों के बीच अन्तर पाया गया है।
4. असवर्ण एवं ग्रामीण शिक्षार्थियों में सामाजिक गुणों का अधिक विकास पाया गया है।
5. शिक्षा की मुख्य धारा से जुड़ने के संबंध में बालक-बालिकाओं में अन्तर पाया गया है, बालकों की अपेक्षा बालिकाओं में उच्च शिक्षा प्राप्त करने की ललक अधिक होती है।
6. शिक्षार्थियों में व्यावहारिक ज्ञान की वृद्धि एवं विचार अभिव्यक्ति में निश्चित रूप से सुधार हुआ है।
7. शिक्षार्थियों में केन्द्र पर समाज उपयोगी उत्पादक कार्यों में प्रशिक्षण प्राप्त करने की इच्छा देखी गई है।

8. शिक्षा की मुख्य धारा से जुड़ने के संबंध में शिक्षार्थियों में जातिगत एवं क्षेत्रगत प्रभाव महत्वहीन दिखाई दिया है। फिर भी असवर्णों में शिक्षा की मुख्य धारा से जुड़ने की प्रकृति अधिक पाई गई है।
9. शिक्षा की मुख्य धारा से जुड़ने के प्रति दोनों प्रकार के शिक्षार्थियों (शाला त्यागी-अप्रवेशी) में समान रूप से अभिरूचि दिखाई देती है।
10. प्रजातांत्रिक गुणों के विकास के संबंध में शिक्षार्थियों में क्षेत्रगत, लिंगगत कोई अंतर नहीं देखा गया अर्थात इन गुणों का समान रूप से विकास पाया गया है।
11. जबकि प्रजातांत्रिक गुणों के विकास के संबंध में शिक्षार्थियों में जातिगत प्रभाव देखा गया है। सवर्णो में इन गुणों का अपेक्षाकृत अधिक विकास हुआ है।
12. प्रजातांत्रिक गुणों का विकास शाला त्यागी शिक्षार्थियों में अप्रवेशियों की तुलना में अधिक हुआ है।
13. केन्द्र के शिक्षार्थियों में नेतृत्व एवं त्याग की भावना का विकास नहीं पाया गया है परंतु अन्य प्रजातांत्रिक गुणों का समुचित विकास हुआ है जैस-बुराई के प्रति संघर्ष करना, स्वतंत्रता के प्रति चेतना, समुदाय का सहयोग प्राप्त करना एवं किसी समस्या विशेष के प्रति अपना मत स्पष्ट करना।
14. निरौपचारिक शिक्षा केन्द्रों पर अध्ययनरत बालक-बालिकाओं में वैज्ञानिक अभिरूचि का विकास समान रूप से होता है।
15. वैज्ञानिक अभिरूचि के विकास के फलस्वरूप वे अपने जीवन में रूढ़िवादिता एवं अंधविश्वासों के प्रति नकारात्मक प्रवृति रखते है।
16. इसके बावजूद यह देखा गया है कि वे वैज्ञानिक तथ्यों को जीवन में प्रयोग नहीं कर पाते।
17. वैज्ञानिक अभिरूचि के विकास के संबंध में जातिगत प्रभाव देखा गया है इसका मुख्य कारण किसी जाति विशेष (असवर्ण) के छात्रों का निरौपचारिक शिक्षा के प्रति आशान्वित होना है।

18. अप्रवेशी शिक्षार्थियों की तुलना में शाला त्यागी शिक्षार्थियों की वैज्ञानिक अभिरुचि अधिक विकसित पाई गई।

19. वैज्ञानिक अभिरुचि विकास के संबंध में क्षेत्रगत (शहरी ग्रामीण) कोई प्रभाव नहीं दिखाई दिया है।

सुझाव -

1. केन्द्र के शिक्षार्थियों में सामाजिक और प्रजातांत्रिक गुणों (त्याग, सहिष्णुता, नेतृत्व और संवेदनशीलता आदि) के विकास एवं व्याप्त कुंठाओं को दूर करने हेतु सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाये।
2. शिक्षार्थियों में सार्वजनिक स्थलों के सदुपयोग (रख रखाव और सफाई) की चेतना जाग्रत करने के लिये उन्हें ग्राम पंचायत भवंन, मंदिर, मस्जिद, मनोरंजनालय, सभा स्थल, गांव मोहल्ले की गलियों तथा शहर की सड़कों आदि का समय-समय पर सतर्कता पूर्वक अवलोकन कराया जाये।
3. शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षार्थियों की भागीदारी बढ़ाने तथा पाठ्य वस्तु को रोचक और बोधगम्य बनाने के लिये पाठ्क्रम से चुने हुये पाठ या अंश का अध्यापन अभिनय कौशल द्वारा कराया जावे।
4. अध्ययन क्रिया में शिक्षक की भागीदारी कम करने एवं शिक्षार्थियों की भागीदारी बढ़ाने के लिये छोटे समूहों में क्रियाओं परस्पर चर्चा द्वारा सीखने के लिये छात्रों को प्रेरित किया जावे।
5. बाल-केन्द्रित शिक्षा और अभिनय कौशल आधारित शिक्षा देने के लिये शिक्षकों को आवश्यक प्रशिक्षण दिया जावे।
6. छात्रों में सुस्पष्ट अभिव्यक्ति की भावना का विकास करने एवं रहने की प्रवृति दूर करने के लिये रोचक शैक्षणिक प्रतिस्पर्धाओं का समय-समय पर आयोजन किया जावे।
7. निरौपचारिक शिक्षा केन्द्रों के शिक्षार्थियों में व्यावसायिक क्षमता उत्पन्न करने एवं उनकी आर्थिक उन्नति करने के लिये पढ़ों-कमाओ योजना प्रारंभ किया जाना चाहिये।

किन्तु उन्हीं क्राफ्ट या उत्पादन कार्यों को प्रारंभ किया जावे। जिनके लिये कच्ची सामग्री बहुलता से प्राप्त हो सके।

8. छात्र-छात्राओं में स्थानीय व्यवसाय एवं कला के प्रति अभिरूचि तथा क्षमता उत्पन्न करने के लिये गांव या क्षेत्र के कलाकार अथवा व्यवसाय कुशल पालकों को केन्द्र पर आमंत्रित किया जावे ताकि छात्र उक्त व्यवसाय में संबंधित प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त कर सकें।
9. वैज्ञानिक तथ्यों को समझने के लिये बच्चों को स्वयं प्राकृतिक क्रियाओं व घटनाओं के निरीक्षण करने की प्रेरणा दी जावे।
10. छात्रों को घर के लिये अभ्यास कार्य (HOMEWORK) देने की व्यवस्था के स्थान पर केन्द्र पर ही उन्हें घटनाओं क्रियाओं का अवलोकन निरीक्षण करने को कहा जाये। छात्र को अपनी रिपोर्ट (मौखिक या लिखित) शिक्षक के मार्गदर्शन में कक्षा के समक्ष प्रस्तुत करने को कहा जावे।
11. केन्द्र के छात्रों को मध्यान्ह भोजन या नाश्ते के स्थान पर अपने घर से यथा उपलब्ध अल्प मात्रा में भोज्य सामग्री (टिफिन) लाने के लिये प्रेरित किया जावे। जिससे कि उनमें सहभोजन की सामाजिक भावना उत्पन्न हो सके।
12. केन्द्रों के सुव्यवस्थित संचालन के लिये इनका सतर्कता पूर्वक आकस्मिक निरीक्षण विभागीय अधिकारियों के अतिरिक्त स्वैच्छिक संगठनों स्वायत्व संगठनों के कार्यकर्ताओं द्वारा भी किया जावे जिससे कि समुदाय में केन्द्र को अपना अभिन्न अंग मानने की भावना का विकास हो सके।
13. निरौपचारिक शिक्षा केन्द्र को वास्तव में सामुदायिक केन्द्र बदलने के लिये प्रयत्न किये जाना चाहिये।
14. निरौपचारिक शिक्षा की नई नीति के अनुसार प्रति 5 से 10 केन्द्रों के निरीक्षण के लिये एक पर्यविक्षाक की नियुक्ति के प्रावधान को व्यावहारिक रूप देने की आवश्यकता है इसके लिये उक्त पर्यविक्षाक के कार्यों का भी निरीक्षण आकस्मिक रूप से वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा भी किया जाना चाहिये।

15. एक पर्यविक्षाक को क्षेत्रान्तर्गत चल रहे निरौपचारिक केन्द्रों में से एक उपर्युक्त केन्द्र को संकुल केन्द्र (वर्तमान वेतन केन्द्र से अतिरिक्त) बनाया जाना चाहिये।
16. निरौपचारिक शिक्षा क्षेत्रों में सहकारिता के आधार पर चलित अथवा स्थाई वाचनालय, पुस्तकालय तथा प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा में संचालित करने के लिये केन्द्र शिक्षकों द्वारा शिक्षार्थियों को उचित मार्गदर्शन दिया जावे। यथा प्रारंभिक स्थिति में समुदाय के सहृदय एवं जागरूक व्यक्तियों से पठनीय साहित्य, मलहम पट्टी आदि की सामग्री के रूप में सहयोग प्राप्त किया जावे।
17. केन्द्रों की संख्या वृद्धि की अपेक्षा गुणवत्ता वृद्धि के लिये हर संभव प्रयास किया जावे।
18. जो छात्र स्कूली शिक्षा में रूचि नहीं रखते उनके लिये शीघ्र ही मॉडल नं० 2 के निरौपचारिक शिक्षा केन्द्रों की व्यवस्था की जावे।
19. केन्द्रों को जन-शिक्षा निलयम् की भूमिका का निर्वाह करने हेतु तैयार किया जावे।

2. भावी शोध अध्ययन की संभावनायें -

प्रत्येक शोध कार्य के फलस्वरूप कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष प्राप्त होते हैं जिनके आधार पर भावी शोध कर्ताओं को शोध करने के लिये क्षेत्र और विषय चुनने में सुगमता होती है तथा शोध के लिये प्रेरणा मिलती है। प्रस्तुत शोध के द्वारा भी भावी शोध के लिये अनेक क्षेत्र खुले है। जिनमें कुछ क्षेत्रों में शोध की संभावनायें निम्नानुसार है:-

1. शाला त्यागी और अप्रवेशी छात्रों के बीच होने वाले सामाजिक परिवर्तनों में क्या अंतर होता है?
2. निरौपचारिक केन्द्रों को प्रदेश में संचालित हुए विगत वर्ष व्यतीत होने के बाद भी इन केन्द्रों के प्रति सकारात्मक जन विश्वास न बनने के क्या कारण है?
3. निरौपचारिक शिक्षा केन्द्रों को सामुदायिक केन्द्रों में परिवर्तित होने में क्या कठिनाईयां है?
4. शाला त्यागी एवं अप्रवेशी छात्रों के बीच होने वाले सामाजिक परिवर्तनों में कितना अंतर होता है?
5. प्राथ० और माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रमों की अवधि द्विवर्षीय कर देने से निरौपचारिक केन्द्रों की शिक्षा की गुणवत्ता में अंतर आया है।
6. निरौपचारिक शिक्षा केन्द्रों की शिक्षा उच्च वर्ग के बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं है।
7. निरौपचारिक शिक्षा के मॉडल नं० 2 के केन्द्र संचालन में क्या व्यावहारिक कठिनाइयां है?

उक्त भावी शोध सम्भावनाओं की ओर दिशा निर्देशन करने वाला प्रस्तुत शोध-कार्य अनुसंधान कर्ताओं के लिये प्रेरणास्पद बन सकेगा, ऐसा मेरा विश्वास है।

परिशिष्ट

1. *टीकमगढ़ जिले के शोध सम्बन्धी केन्द्रों की सूची ब्लाकवार*
2. *केन्द्रों में अध्ययनरत शिक्षार्थियों के लिये साक्षात्कार अनुसूची*
3. *शिक्षक, पालक, सरपंच / प्रतिष्ठित व्यक्तियों से साक्षात्कार के लिये सामान्य अनुसूची*
4. *शिक्षक, पालक, सरपंच से केन्द्र सम्बंधी अतिरिक्त प्रश्न*

परिशिष्ट

परिशिष्ट क्रमांक.-1

शोध क्षेत्रान्तर्गत निरौपचारिक शिक्षा केन्द्रों की सूची

टीकमगढ़ जिले में ब्लाक वार

क्र.	निरौपचारिक शिक्षा केन्द्र का नाम	ब्लाक	केन्द्र का स्तर	बालक + बालिका कुल संख्या
1	आजादपुरा	टीकमगढ़	प्राथमिक	5+18=23
2	जमुनियां खेरा	"	"	35+14=49
3	धर्मपुरा	"	"	11+16=27
4	भड़रा	"	"	11+08=19
5	आदिवासी मुहल्ला हैदरपुर	"	"	23+04=27
6	नया गाँव	"	माध्यमिक	14+03=17
7	अमनखेरा	बल्देवगढ	प्राथमिक	06+00=06
8	लुहारी	"	"	05+03=08
9	गुना	"	"	16+12=28
10	पिपरा	"	"	10+11=21
11	कुमेंढ़ी	जतारा	माध्यमिक	13+02=15
12	गनेशगंज	"	प्राथमिक	11+09=20
13	करमौरा	"	"	18+10=28
14	लिधौरा ताल	"	"	16+11=27
15	विजयपुर खिरक	"	"	10+10=20

क्र.	निरौपचारिक शिक्षा केन्द्र का नाम	ब्लाक	केन्द्र का स्तर	बालक + बालिका कुल संख्या
16	लहर बुजुर्ग	पलेरा	प्राथमिक	16+15=31
17	धमकन खेरा	"	"	12+13=25
18	बारी	"	"	31+00=31
19	महेवा चक्र न.4	"	"	08+21=28
20	लारौन खुशीपुरा	"	प्राथमिक	08+14=22
21	आदिवासी बस्ती	पृथ्वीपुर	"	11+09=20
22	कुँवरपुरा	"	"	22+09=31
23	गर्रोली	"	"	21+14=35
24	मड़िया	"	माध्यमिक	37+07=44
25	शक्तिभैरों	निवाड़ी	माध्यमिक	13+07=20
26	सेन्दरी	"	प्राथमिक	16+06=22
27	ओरछा	"	"	14+13=27
28	सकूली	"	"	06+00=06
29	मुड़ारा	"	"	08+01=09
30	तरीचरकला	"	"	18+12=30
				कुल महायोग =719

परिशिष्ट क्रमांक - 2

केन्द्र में अध्ययनरत शिक्षार्थियों के लिये साक्षात्कार अनुसूची

1- आप घर का कचरा डालते हैं-

1. अपने घर के बाहर।
2. दूसरे के घर के सामने।
3. दूरी पर रखे हुये कचरादान में।

2- यदि घर में आपसे कांच की सुन्दर वस्तु फूट गयी है, तो आप -

1. अपनी भूल स्वीकार करते है।
2. उसे पहले से ही फूटा बताकर झूठ बोलते हैं।
3. किसी दूसरे का नाम बता देते हैं।

3- दिन में विवाह का कार्यक्रम करने से -

1. राष्ट्रीय विद्युत के खर्च में कमी आती है।
2. आप सामाजिक दृष्टि से बुरा मानते है।
3. कार्यक्रम फीका लगता है।

4- आपका साथी बीमार होने से अस्पताल में भर्ती हो गया है, तो आप-

1. उसके माता-पिता से कुशलक्षेम पूछते हैं।
2. अपना आवश्यक कार्य निपटाने के बाद अस्पताल जाने की योजना बनाते है।
3. बीमारी की गंभीरता को समझते हुये तत्काल अस्पताल जाते हैं।

5- अपने मोहल्ले से दूसरे धर्म का जुलूस निकलने पर -

1. आपको बुरा नही लगता।
2. घृणा होती है।
3. दूसरे धर्म की बात सीखने की इच्छा होती है।

6- समाज में भिन्न-भिन्न भाषा बोले जाने से -

1. अलगाव की भावना बढ़ती है।
2. व्यक्तिगत रूचि को बढ़ावा मिलता है।
3. एक दूसरे को दूसरी भाषा सीखने की इच्छा होती है।

7- विद्यालय के उत्सव में कार्यक्रम सुनाई न देने पर आप -

1. अगली पंक्ति में घुसने का प्रयत्न करते है।
2. चुपचाप कार्यक्रम को छोड़कर घर चले जाते है।
3. अध्यापक के पास जाकर पात्रों की आवाज बढ़ाने के लिये निवेदन करते हैं।

8- समुद्र किनारे रहने वाले व्यक्ति मछली पकड़कर -

1. अपनी रोजी रोटी कमाते हैं।
2. पाप कमाते हैं।
3. समुद्री जीवों का संतुलन बनाये रखते हैं।

9- जनसंख्या नियंत्रण के लिये उचित उपाय है -

1. मृत्युदर की कमी को रोकना।
2. कम संतान होना अच्छा समझना।
3. अविवाहित स्त्री पुरूषों की संख्या में वृद्धि करना।

10- टेलीविजन का प्रभाव होता है-

1. छात्रों के सामान्य ज्ञान में वृद्धि होना।
2. घर का खर्च बढ़ना।
3. घर की प्रतिष्ठा बढ़ना।

11- केन्द्र पर पढ़ने के लिये आप जाते हैं-

1. स्वेच्छा से।
2. अभिभावकों के कहने से।
3. घर पर काम न करना पड़े इस बहाने से।

12- केन्द्र पर पढ़ने से -

1. आपके बातचीत करने के ढंग में सुधार आया है।
2. ढंग में परिवर्तन बिल्कुल भी नही आया है।
3. ढंग को अक्कखड़पन आया है।

13- केन्द्र पर आने के बाद आपमें घर पर पढ़ने का अभ्यास -

1. बढ़ा है।
2. कम हुआ है।
3. पहले जैसा ही है।

14- केन्द्र पर शिक्षा प्राप्त करने से आप में -

1. पाठ्य सामग्री पढ़ने की इच्छा बढ़ी है।
2. पाठ्य सामग्री के अतिरिक्त साहित्य पढ़ने की रूचि बढ़ी है।
3. पढ़ने की रूचि नहीं बढ़ी है।

15- केन्द्र में आने के बाद आप -

1. रिश्तेदार, मित्रों व अधिकारियों को नि:संकोच पत्र लिखते हैं।
2. दूसरों से मार्गदर्शन प्राप्त करने पर ही पत्र व्यवहार कर पाते हैं।
3. पत्र लिखने में हिचकिचाते हैं।

16- केन्द्र पर पढ़ने से आप में -

1. क्रय विक्रय के संबंध में व्यावहारिक ज्ञान बढ़ा है।
2. कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।
3. संतोषजनक परिवर्तन नहीं हुआ है।

17- केन्द्र पर पढ़ने से आप अपने विचारों को -

1. स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त करने लगे हैं।
2. स्पष्ट करने में हिचकिचाते हैं।
3. स्पष्ट नहीं कर पाते हैं।

18- केन्द्र पर सांस्कृतिक आयोजन के प्रभाव से -

1. अध्ययन में सहायता मिलती है।
2. अध्ययन पर दुष्प्रभाव पड़ता है।
3. अध्ययन पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है।

19- केन्द्र पर दी जाने वाली शिक्षा में सहायक शिक्षण सामग्री का प्रयोग -

1. बिल्कुल नहीं किया जाता है।
2. यथा शक्ति उपलब्ध करने का प्रयत्न किया जाता है।
3. सामग्री का भरपूर प्रयोग किया जाता है।

20- केन्द्र पर दी जाने वाली शिक्षा -

1. केवल प्रमाण पत्र प्रदान करती है।
2. व्यावसायिक कार्यों से संबंधित मार्गदर्शन देती है।
3. उच्च शिक्षा के प्रतिप्रेरणा देने वाली है।

21- विद्यालय/समाज के कार्यक्रम में आप -

1. सदा स्वयं ही आगे आने के इच्छुक रहते हैं।
2. अपने अन्य साथियों को बदल बदल कर अवसर देना चाहते हैं।
3. उदासीन भाव रखते हैं।

22- पिछड़े वर्ग के छात्रों को सुविधा प्राप्त होने पर -

1. आप द्वेष की भावना रखते हैं।
2. उन्हें उन्नति के लिये अवसर देना उपयुक्त समझते हैं।
3. शासन की नीति का विरोध नहीं करना चाहते हैं।

23- कक्षा में अनुशासन बनाये रखने के लिये आप -

1. अध्यापक की उपस्थिति आवश्यक समझते हैं।
2. मॉनीटर के निर्देशों को भी महत्व देते हैं।
3. स्वयं पर नियंत्रण रखना उचित समझते हैं।

24- आप दूसरों के विचारों को भी -

1. ध्यान से सुनते हैं।
2. उदासीन बने रहते हैं।
3. बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं।

25- सामाजिक अवसरों कर स्वयं की रूचि का भोजन न होने पर भी आप -

1. भरपूर भोजन ग्रहण करते है।
2. दूसरों का साथ देने के लिये भोजन ग्रहण करते हैं।
3. भोजन बिल्कुल ग्रहण करना पसंद नहीं करते हैं।

26- सामाजिक/पारिवारिक समस्या के हल के लिये अन्य सदस्यों की राय को आप-

1. अधिक महत्व देना उचित मानते हैं।
2. अपनी राय को ही महत्व देते हैं।
3. दोनों ही की उपयुक्त बातों को महत्व देते हैं।

27- ग्राम पंचायत या नगर पालिका में लोग चुनकर आना चाहते हैं-

1. व्यक्तिगत उन्नति के लिये।
2. सामूहिक भलाई के लिये।
3. समाज में व्यक्तिगत प्रभाव बढ़ाने के लिये।

28- शाला/सामाजिक उत्सवों में मिलकर कार्य करने से-

1. कार्य बिगड़ता है।
2. समय पर कार्य निपटता है।
3. सभी की कुशलता का उपयोग होता है।

29- किसी साथी द्वारा भूल से आपको चोट पहुंचाने पर आप-

1. बदला लेना चाहते है।
2. भूल समझ कर उसे सहन कर लेते हैं।
3. भविष्य के लिये उसे चेतावनी देते हैं।

30- परीक्षा में सहपाठी के अधिक अंक पाने पर आप -

1. द्वेष की भावना रखते हैं।
2. प्रसन्नता प्रकट करते हैं।
3. उससे स्वयं उन्नति हेतु प्रेरणा प्राप्त करते हैं।

31- नाखून बढ़ाना -

1. स्वास्थ्य के लिये हानिकारक है।
2. पेंटिंग में सहायता देता है।
3. शरीर की सुन्दरता में सहायक होता है।

32- शौचालय, मूत्रालय, नालियों में केवल पानी की अपेक्षा फिनायल छिड़कने से-

1. खर्च बढ़ जाता है।
2. कीटाणु नष्ट होते हैं।
3. दुर्गन्ध आती है।

33- लगातार पान खाते रहने से -

1. प्रतिष्ठा बढ़ती है।
2. मुख की दुर्गन्ध दूर होती है।
3. मुख केंसर की संभावना रहती है।

34- गर्मी में मौसम में काली कमीज व सफेद पेंट पहनने से -

1. मैचिंग के कारण अच्छा लगता है।
2. शरीर में अधिक गर्मी लगती है।
3. अन्य कपड़ों के समान शरीर की रक्षा होती है।

35- संक्रामक रोगों के टीके लगवाने से -

1. संक्रमण से संघर्ष करने की क्षमता बढ़ती है।
2. समाज में सभ्य कहलाते हैं।
3. शरीर में सक्रामक रोग पैदा होते हैं।

36- केवल कोयले पर निर्भर रहने से खतरा है, क्योंकि -

1. इसे संचय करना कठिन है।
2. यह सीमित अवधि रखता है।
3. इसे खोद कर निकालने से भूकम्प आते हैं।

37- अधिक वृक्षारोपण से -

1. अधिक आमदनी होती है।
2. पर्यावरण सुधरता है।
3. खाद्य की कमी होती जाती है।

38- जल संकट के समय आप -

1. दिन में एक बार पानी पीकर काम चलाऐंगे।
2. अन्य किसी पेय पदार्थ का उपयोग करेंगे।
3. तालाब या अन्य स्त्रोत से उपलब्ध पानी को ही उबालकर पीना पसंद करेंगे।

39- शराब पीने की आदत से-

1. स्वास्थ्य बिगड़ता है।
2. थकावट दूर होती है।
3. मनोरंजन होता है।

40- पौधों से बीजों का बिखरना जरूरी है, क्योंकि एक ही जगह पर रहने से -

1. उनको भोजन की आवश्यकता होती है।
2. उनमें स्थान, प्रकाश और वायु के लिये होड़ लगती है।
3. उनमें गर्मी, भोजन और सुरक्षा के लिये होड़ लगती है।

परिशिष्ट क्र. 3

शिक्षाक/पालक/सरपंच (प्रतिष्ठित व्यक्ति) से साक्षात्कार के लिये सामान्य अनुसूची

सहमति, उदासीन, असहमति

(अ) (ब) (स)

1- अपनी आवश्यकता पूर्ति हेतु अपने मित्र की वस्तु मांग कर उठाता है/उठाते हैं।
(अ ब स)

2- फल खाकर छिलके सड़क पर कही भी फेंक देता है/देते हैं।
(अ ब स)

3- उत्सवों को सादगी से मनाना बुरा नही मानता है/मानते हैं।
(अ ब स)

4- भूल से स्वयं का नुकसान हुआ जानकर दूसरे व्यक्ति को बुराभला कहता है/कहते हैं।
(अ ब स)

5- अपने मित्र के अस्पताल में भर्ती होने की सूचना पाते ही अस्पताल के लिये चल देता है/देते हैं।
(अ ब. स)

6- अपने धर्म के अलावा दूसरों के धार्मिक उत्सवों में जाना पसंद करता है/करते हैं।
(अ ब स)

7- गल्ती हो जाने पर नि:संकोच अपनी भूल स्वीकार कर लेता है/लेते हैं।
(अ ब स)

8- परिवार की उन्नति हेतु कम संतान होना अच्छा समझता है/समझते हैं।
(अ ब स)

9- अपना आवश्यक कार्य बंद करके भी लाचार व्यक्ति की मदद् करता है/करते हैं।
(अ ब स)

10- भेदभाव न रखते हुये सभी के साथ मिलजुल कर कार्य करना पसंद करता है/करते हैं।
(अ ब स)

11- केन्द्र पर पढ़ने के लिये अपनी इच्छा से प्रतिदिन जाता है/जाते हैं।
(अ ब स)

12- बालक के व्यवहारिक ज्ञान में वृद्धि हुई है।
(अ ब स)

13- रिश्तेदार मित्रों व अधिकारियों को पत्र लिखने लगा है/लगे हैं।
(अ ब स)

14- केन्द्र पर पढ़ने के कारण बालक/बालकों नाट्य गायन तथा खेल के प्रति अभिरुचि बढ़ी है।

(अ ब स)

15- पढ़ने से बातचीन करने के ढंग में सुधार लाया है/लाये हैं।

(अ ब स)

16- घर पर अधिक समय तक अपना पाठ पढ़ने लगा है/लगे है

(अ ब स)

17- चित्र या चार्ट की मदद से पढ़ने की इच्छा रखता है/रखते हैं।

(अ ब स)

18- केन्द्र पर की जाने वाली शिक्षा को स्कूली शिक्षा की भांति समझता है/समझते हैं।

(अ ब स)

19- केन्द्र छोड़ने के बाद अगली कक्षा में पढ़ना चाहता है/चाहते हैं।

(अ ब स)

20- समाजोपयोगी उत्पादक कार्य सीखना चाहता है/चाहते हैं।

(अ ब स)

21- बुराई को दूर करने के लिये संघर्ष करना पसंद करता है/करते हैं।

(अ ब स)

22- किसी समस्या के हल के लिये अपनी राय देना पसंद करता है/करते हैं।

(अ ब स)

23- जन प्रतिनिधियों के चुनाव मतदान में भाग लेना आवश्यक समझता है/समझते हैं।

(अ ब स)

24- अपने विचारों को स्वतंत्रता पूर्वक व्यक्त करना पसंद करता है/करते हैं।

(अ ब स)

25- सामाजिक कार्यों में अगुआ बनना पसंद करता है/करते हैं।

(अ ब स)

26- केन्द्र की उन्नति के लिये समुदाय का सहयोग आवश्यक समझता है/समझते हैं।

(अ ब स)

27- विद्यालय अथवा समाज के कार्यक्रमों में सभी साथियों को भाग लेने के लिये प्रोत्साहित करता/करते हैं।

(अ ब स)

28- बड़ों के निर्देशों का स्वेच्छा से पालन करता है/करते हैं।

(अ ब स)

29- एक दूसरे की समस्या को हल करने हेतु परस्पर सहयोग करना पसंद करता है/करते हैं।

(अ ब स)

30- दूसरों की बात रखने के लिये स्वयं की इच्छाओं की भी परवाह नही करता है/करते है।

(अ ब स)

31- बालक नाखून बढ़ाना स्वास्थ्य के लिये हानिकारक समझता है/समझते हैं।

(अ ब स)

32- बालक पान खाने से उत्पन्न मुख केंसर की संभावना से परिचित हैं/हैं।

(अ ब स)

33- बालक संक्रामक रोगों के टीके लगवाने से डरता है/डरते है।

(अ ब स)

34- बालक गर्मी के दिनों में सफेद या हल्के रंग के कपड़े ही पहनना पसंद करता है/करते है।

(अ ब स)

35- बालक शौचालयों, मूत्रालायों और नालियों में फिनायल छिड़कने की खर्चीली क्रिया समझता है/समझते है।

(अ ब स)

36- बालक तालाब के पानी को उबालकर पीने योग्य बनाकर पीना पसंद करता है/करते है।

(अ ब स)

37- बालक पर्यावरण में सुधार करने के लिये अधिक से अधिक वृक्ष लगाना आवश्यक नही समझता है/समझते है।

(अ ब स)

38- बालक ईधन के लिये कोयला, लकड़ी की अपेक्षा गैस को उपयोग करना पसंद करता है/करते है।

(अ ब स)

39- परीक्षा के दिनों में बालक देवी देवताओं के मनौती में विश्वास रखता है/रखते हैं।

(अ ब स)

40- चन्द्र या सूर्य ग्रहण को बालक भौगोलिक क्रिया के रूप में समझता है/समझते हैं।

(अ ब स)

परिशिष्ट क्रमांक - 4

शिक्षक, पालक, सरपंच/प्रतिष्ठित व्यक्तियों से केन्द्र संबंधी अतिरिक्त प्रश्न

शिक्षक से -

1. क्या केन्द्र से उत्तीर्ण होने वाले छात्र प्रतिवर्ष अगली कक्षा में प्रवेश लेते है?

(हां/नहीं)

- यदि हां तो क्षेत्र कितने प्रतिशत में या क्षेत्र के बाहर कितने प्रतिशत/यदि नही तो क्या कारण?

2. आप केन्द्र संचालन प्रक्रिया में प्रशिक्षण को किस प्रकार उपयोगी अनुपयोगी मानते है? उपयोगिता/अनुपयोगिता के क्या कारण है?

3. क्या आप बालकों को केन्द्र पर अथवा घर पर पढ़ने के लिये अतिरिक्त सहायक वाचन सामग्री देते है?

- यदि नहीं तो क्या कारण है?

4. क्या आप पाठ्येत्तर क्रियाकलापों (संगीत, नृत्य, नाटक, संवाद, खेल, भ्रमण आदि) के लिये बच्चों को अवसर प्रदान करते है?

- यदि नहीं तो क्या कारण है?

5. पढ़ने योग्य आयु के छात्रों का केन्द्र पर पढ़ने न आने के क्या कारण है?

6. क्या केन्द्र संचालन में समाज का सहयोग प्राप्त होता है?

(हां/नहीं)

7. केन्द्र में अध्ययनरत तथा शिक्षा प्राप्त कर चुके छात्रों को समुदाय का सहयोग करने के लिये आप उन्हें किन कार्यों के लिये मार्गदर्शन देना उचित समझते है?

पालक से अधिक जानकारी के प्रश्न -

1. केन्द्र पर बालक को पढ़ने भेजने के क्या कारण है?

2. क्या आप केन्द्र को सहयोग करते है? (हां/नहीं)

यदि हां तो किस प्रकार का सहयोग करते है।

3. क्या आप केन्द्र पर दी जाने वाली शिक्षा से संतुष्ट है?सहमति/असहमति के क्या कारण है।

4. क्या केन्द्र की पढ़ाई पूर्ण होने के बाद आप अपने बालक को अगली कक्षा में प्रवेश दिलाना चाहते है? (हां/नहीं)

यदि नहीं तो क्या कारण है?

सरपंच से अधिक जानकारी लेने संबंधी प्रश्न -

1. क्या आप केन्द्र पर दी जाने वाली शिक्षा से संतुष्ट है?

सहमति/असहमति के क्या कारण है? (हां/नहीं)

2. आप केन्द्र को किस प्रकार सहयोग करते है?

3. पढ़ने योग्य आयु के छात्रों का केन्द्र पर पढ़ने न जाने के क्या कारण है?

3. केन्द्र प्रभारी/शिक्षक केन्द्र के माध्यम से समाज को किस प्रकार सहयोग करते है?

x x x

सन्दर्भ ग्रंथसूची

1. *अंग्रेजी साहित्य*
2. *हिन्दी साहित्य*

सन्दर्भ ग्रंथ सूची

1. अंग्रेजी ग्रन्थ :-

1. Daleri Deqbald B.Van. Role of Hypothesis in Educational Research & Educational Administration and supervision 42 (Dec.1956) Pg. 457-62.

2. Edward A Krey – Curriculam Planning.

3. Gude & Halt, Mathods in Social research Newyork 1952.

4. Gillin & Gillin, Cultural Society, P. 561-562.

5. Gadrrete, E Henery – Statistics in Psychology and Educaiton Vakils, Feffer and Simans Pvt. Ltd.,

6. Ludbarg Jeorge A., social research Newyork Longmans Grean & Co., 1951.

7. John W. Best – A research in Education.

8. Murdal Gunner The Political elementary in the Dev. of Economic theory London Routledge & Kagan. Ltd., 1963.

9. Murdal Gunner objectivity in Social Resercy Newyork, Pattern Books 1969.

10. Mouleg George J., The Science of Educations Research New Delhi An Asci Publishing House, (P) Ltd., 1952.

11. Maris H. Henson & More than noses will be counted' Business week Feb.27, 1960 page 30-31.

12. Narayan Ikbal – Panchayti Raj – administration New Delhi 1970.

13. Saigh & Shukla S.C. – Nonformal Education – An alternative to formal education.

14. Shah a & Khan Shusheela – NFE and the NAEP – oxford university press, Delhi – 1980.
Young Paulin V. – Scientific social surveys and Research' Engleupood Chiffs. N.J. Aprentice Hall Inc. 1956 PP.99.

15. Young Paulin V.- Scientific Social Surveys Research. Aria publishing House Bombay 1952.

REPORTS :-

1. Administration Staff College of Hyderabad 1986 – Universalisation of Primary Education – An Indepth study of Policy.

2. Bargess E.N. – Social Survey – A field for constructive survey by deptt., of sociology American Journal of Sociology XXI Jan 1986.

3. Bordia Anil – Policy Statement of Govt. of India Regarding N-A.E.P. (IJAE Vol. 30 No. 6 June 1977).

4. Banerjee P.K.- Smoking & health Hazard (Research Payer) 68th session Indian Science Congress 1981.

5. Buch M.D. and palsane – first survey of education evaluation of the progress of Adult education in operation under the pilot project wardha Distt. Ph.D., Educ. Nagpur V. 1974.

6. Chittis, S.V. – expts on NFE University news vol. XI No.4, Feb.1979.

7. Combs Philip H. etal, New Patna to learning prepared by UNESCO (International commission on Dev. of education) 1973, p. 10.

8. Chaturvedi S.C. – Impact of Social education on the life and living of people in block area in Distt. Of Gorakhpur, Jhansi, Lucknow & Mathura Ph.d., Social work Lucknow V. 1969.

9. Das Ratan – General of Gandlyiyan studies Allahabad, vol. 14, Jan. 1977.

10. Everymain Science – Journal of Indian Science Congress Association Vol. XV No.3 Jul., 1980.

11. Gupta Daljit – A critical study of NFE programme (Age group 9-14) Run by different agencies in stage of M.P. Ph.D., edu., Bhopal University, 1983.

12. Gupta Daljit Avasthi N.K. – NFE in action (cyctostyed) NCERT 1980 – A status of NFE conful run by NCERT through RCE Ajmer Bhopal Bhuvneshver, Mysore & field adviser's in states.

13. Indian Journal of Adult Education Vol. 40, No. 10 & 11, Nov. 1979.

14. Jain S.P. Panchayti Raj – An apprasal Khadi Gramodyog, Bombay Vol.20, No. 2, 1973.

15. Khajadeer M., Adult Edu., National Integration, Indian Jounal of Adult Edu., Jan-March 1987.

16. Kant Lokesh NFE why & How? Education quarterly Vo., 29, No.4, January 1978.

17. Lalge B. – Adult education concept & trainedy IJAE, Jan-March 87.

18. Majumdar P.K. – A study to the Impact of the rural development on fertility 68th session Indian Science congress 87.

19. Maitra Satyen – Corriculam construction for NFE for age group 15-25 IJAE, Vol.37, No. 9 sept., 1979.

20. NCERT Delhi Status report on NFE (M.P.) Non-formal education Bulletin Vol.4, No.1, Jun. 1986 P. 8-11.

21. NCERT Delhi – A study of NCERT & experimental NFE Centres (Dec. 1978-May 1982).

22. Nayak Smt. Chitra – Project report – Developing Non-formal Primary edu., A rewarding experience.

23. NCERT – Bhopal (Jan. 1979 – May 1982) towards universalisation of elementary edu., final report of NFE congress of Multai (M.P.) Cyclostyled).

24. NCERT Delhi, Status report on NFE (M.P.) non formal education Bulletin vol.4, No.2 Sep.1986, NCERT DELHI – education of Deprived sections parichaty girls & scheduled trigas.

25. NCERT Delhi Salien features of the revised scheme of NFE Annexure I, nonformal education Bulletin Vol. 5, No. 1, Jan – 1987/p. 3-6.

26. NCERT, Delhi Elementry education, NFE Annex., II non-formal education, Vol.5, No. 1, Jan. 1987/p. 10-15.

27. Pillal K.S. – Integrated Rural Development through NFE educational India Vol.44, No.10,1978.

28. Panchayati Raj – Prospective & Programme A IPP New Delhi 1965.

29. Report of Edu., commission 1964-66 New Delhi.

30. Rawat D.S. – A report on the nonformal and part time edu., centre of Bhumiadhar Nanital (UP) NCERT 1976, (Cyclostyled).

31. RCE Bhopal (1980) – NFE Centre A report.

32. Recmmendation from commettee, science & its social Reteions, 67th session Indian science congress, 1980.

33. Recmmendation from commettee, science & economic development 67th Indian science Engresx 1980.

34. RCE Bhopal 1984 – Tools & techniques to assess porformance of children of NFE centers & primary schools.

35. RCE Bhopal (1986) Instructional sketls and edated instructional materials for the centers of nonformal edu., An Erica project report.

36. RCE Bhopal (1985) – NFE centers of NCERT in rural areas of western region A report.

37. Rastogi K.G. – objective & modals of NFE Naya Shikshak, Jan – Mar. – 80.

38. Recreational and cultural activities in social edu., report of 5th national seminar organised by Indian Adult edu., Assoiciation at Mysore, Oct. – 1-20, 1954.

39. Recorganisation of NFE scheme into project Annex I salient features of revised scheme of NFE, Bulletin NFE NCERT, June 87, p.6.

40. Reddy V. Eswara NFE & Social change in India-social change journal June –sept. 86 Vol. 16, No. 2 & 3.

41. Rawat D.S., Nonformal education in the group 6-14 year NCERT DELHI.

42. Survey report of xboard of wntinning edu., in Tamilnadu 1975 – towards a factional learning society.

43. Shrinivasan H.R. – towards a successful adult edu., programme education quarterly, Vol. 30 No. 3, Oct., 1978.

44. Sachdeva J.L. – Nonformal education (for 15-25 age group) Indian Journal of adults education Vol. 37, No.6, July 1978.

45. The education quarterly Vol. XXV No. 2, July 1973.

46. Teacher today April – June 1979 Bikaner (Raj).

2. हिन्दी ग्रन्थ :-

1. भार्गव, डॉ० एस०एल० एवं डॉ० राजपूत, डॉ० जे०एस०-म०प्र० में प्राथमिक शिक्षा के अन्य प्रयोग - औपचारिकेतर शिक्षा सिद्धांत और क्रियान्वयन।

2. बाजपेयी एस०आर० सामाजिक सर्वेक्षण एवं शोध, किताब घर, कानपुर *1972* भर्दहरि नीति शतकम्

3. वर्मा डॉ० प्रीती एवं श्रीवास्तव डॉ० डी०एन० - मनोविज्ञान और शिक्षा में सांख्यिकी।

4. चतुर्वेदी उमाशंकर एवं अन्य - शिक्षा के नये आयाम एवं नवाचार, विशाल प्रकाशन इलाहाबाद, *1982.*

5. छान्दोग्योपरिषद
गैरेट ई०हैनरी - शिक्षा एवं मनोविज्ञान में सांख्यिकी कल्याणीय पब्लिशर्स लुधियाना, *1972.*

6. कृष्ण मूर्ति जे० - संस्कृति के प्रश्न, महाराष्ट्र सभा राष्ट्र भाषा पुणे *1970*
कपूर सुदर्शन नाथ - सांख्यिकीय विधियां और उनका अनुप्रयोग
कपिल एच०के० - सांख्यिकीय के मूल तत्व।

7. लोक शिक्षण संचालनालय मध्यप्रदेश, भोपाल - औपचारिकेतर शिक्षा, एक प्रयोग
   लोक शिक्षण संचालनालय मध्यप्रदेश, भोपाल - औपचारिकेतर शिक्षा संहिता, *1984*

8. महाभारत शान्ति पर्व

9. मनु स्मृति

10. मिश्र आत्मानंद - वयस्कों के प्रति व्यवहार शैक्षणिक ओरियंटल लोर्ग मेंस दिल्ली फरवरी *1960*

11. पतन्जलि योग दर्शन

12. ऋगवेद - *10/191/2*

13. राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद म०प्र० भोपाल - शिक्षक प्रशिक्षण नई चेतना भाग - *1*, मई *1987*.

14. श्री मद भागवत गीता

15. सुखिया एस०पी० एवं मेहरोत्रता पी०बी० - शैक्षिक अनुसंधान के मूल तत्व डॉ० सत्यदेव - सामाजिक विज्ञानों की शोध पद्धतियां हरियाणा साहित्य अकादमी चण्डीगढ़, *1985*.

16. तिवारी डॉ० गोविन्द - मापन, मूल्यांकन एवं परीक्षण

17. तरूण तेजसिंह - समाज शिक्षा विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा *1977*

रिपोर्ट एवं पत्रिकायें :-

1. अन्तर्राष्ट्रीय विकास आयोग पेरिस (*1972*) - प्रतिवेदन

2. भारत शासन शिक्षा एवं सांस्कृतिक मंत्रालय (शिक्षा विभाग) *3/6/79* अर्धशासकीय पत्र क्रमांक एफ *78-79*, स्कूल - *2*

3. भण्डारी आर०के० - प्रारंभिक शिक्षा को व्यापक बनाना एक मुश्किल काम - शिक्षा विवेचन जुलाई - *1979*

4. देवदास, डॉ० राजम्मल पी - राष्ट्रीय शिक्षा कार्यक्रम में शिक्षा संस्थाओं का योगदान, प्रौढ़ शिक्षा पत्रिका अगस्त 1979.

5. जैन कु० सुषमा एवं अहलूवालिया एसपी० - महिलाओं में साक्षरता एवं सामाजिक चेतना - भारतीय आधुनिक शिक्षा त्रैमासिक पत्रिका अंक 3 जून 85.

6. काल और गोपीनाथ - सतत शिक्षा के लिये ग्रंथालय, साहित्य परिचय, आगरा सितम्बर 1987.

7. क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय, भोपाल, 1985

8. म०प्र० में आदिवासी एवं गैर आदिवासी क्षेत्रों में कार्यरत औपचारिकेतर शिक्षा के समन्वयकों एवं पर्यविक्षकों के लिये उन्मुखीकरण कार्यक्रम एवं कार्यगोष्ठ प्रतिवेदन।

9. महेन्द्र कमल - राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम एक समीक्षा, पलाश पत्रिका जनवरी - मार्च 1984

10. मध्यप्रदेश संदेश, अक्टूबर - 1986.

11. डॉ० मेहतासज्जन लाल - सिद्धांत और व्यवहार का सुन्दर समन्वय शिविरा पत्रिका, मई - 1987.

12. नया शिक्षक अप्रैल जून 1986 - अनौपचारिक शिक्षा 15-25 (आवश्यकता)।
नया शिक्षक पत्रिका अप्रैल 1979 - अनौपचारिक शिक्षा 15-25 (आवश्यकता)।

13. ओझा सुशीला - "शिक्षा की अलख जगायेगा गण शिक्षक केन्द्र" शिविरा पत्रिका मई - जून 1986.

14. प्रौढ़ शिक्षा पत्रिका, सितम्बर 1979.

15. पलाश - राज्य शिक्षक मण्डल म०प्र० भोपाल जुलाई 1980, अक्टूबर 1980, दिसम्बर 1980 तथा जनवरी 1981 दिसम्बर 1981 तथा जनवरी 1982.

16. शिक्षा विवेचन जुलाई 1979 - प्रौढ़ शिक्षा पर विचार।

17. शर्मा खेमराज - अनौपचारिक शिक्षा किसलिये ? नया शिक्षक पत्रिका (जनवरी-मार्च) *1980, vol no. 32,* नं० *3.*

18. शिक्षा विवेचन *1980* - राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम कार्यान्वयन के लिये नीतियां।

19. शिविरा पत्रिका अप्रैल *1985*

20. शिविरा पत्रिका मई-जून *1985* - एक चुनौती साक्षात्कार की।

21. शर्मा सोहन लाल - प्रौढ़ की क्रियान्वित योजना, शिविरा पत्रिका अक्टूबर *1986.*

22. शिविरा पत्रिका (मई-जून *1987*) - अध्यापक पाठ्य पुस्तक नाट्य निर्देशक

23. प्रारंभिक शिक्षा में गुणात्मक सुधार, एक और प्रयास *31* अक्टूबर *2002*

24. शिक्षा चार्टर - *2002*

25. सर्व शिक्षा अभियान पत्रिका - *2003*

ꕥ ××× ꕥ